खण्ड-349, अंक-8
सोमवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(9 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..1085-1088
कोरम का अभाव	.. 1089
प्रश्नोत्तर	..1089-1125
बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में निकाली जा रही नहरों के लिए अधिग्रहीत भूमि व फसल का मुआविजा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	..1125-1126
यूनियन इन्टर कालेज, रामनगर, जिला बाराबंकी के छात्रों एवं अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष के फलस्वरूप जिले की शिक्षण संस्थाओं में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1126
साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में हरिजन छात्रवृत्ति आदि सम्बन्धी घपला एवं गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1127
देवरिया जिले के हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारित दूरी से अधिक रखे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1127
बस्ती जनपद में डुमरियागंज तहसील में मिट्टी के तेल व चीनी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1128
दैनिक जागरण के सम्पादकीय लेख में छपे 'विधान सभा में विपक्ष' नामक शीर्षक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1129
उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल, उत्तर प्रदेश, प्राविधिक शिक्षा परिषद् व रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान सम्बन्धी सूचना ..1129-1130	
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें 1130-1132	
1981-82 के आय-व्यय क में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 44--श्रम कल्याण तथा अनुदान संख्या 45--श्रम सेवायोजन 1132-1183	
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 1183-1184	
मैनपुरी जिले के थाना सिरसागंज के ग्राम नागमई में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों की हत्या एवं कई व्यक्तियों के घायल किये जाने से उत्पन्न आतंक एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 1184-1192	
नत्थियां 1195-1201	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक–सभा मंडप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–301

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार महम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल श्री, (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर, एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश सिंह, यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
भगवती सिंह बिशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)

मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (बाराबंकी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीतसिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टेहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
बिमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)

वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर, (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सून्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नो), (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ, उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट :—मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

कोरम का अभाव

श्री उपाध्यक्ष—

पांच दिन की छुट्टी के बाद भी माननीय सदस्य छुट्टी के मूड से बाहर नहीं आ पाये हैं।

श्री ऊदल—

कोरम की जिम्मेदारी किस की है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कहीं झगड़ा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन चलाने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की उतनी ही है जितनी सरकार की।

श्री रियासत हुसैन—

जितनी हमारी तादाद है उसके 1/10 से ज्यादा तादाद में हम बैठे हैं।

श्री मोहन सिंह—

हमारा कोरम पूरा है।

श्री उपाध्यक्ष—

रियासत साहब की आंख आगे देख पा रही है पीछे नहीं।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 9 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति डा0 अतर सिंह द्वारा दिया गया विज्ञापन

*1—श्री दीना नाथ पाण्डेय (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वर्तमान कुलपति डा0 अतर सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों हेतु विज्ञापन संख्या 1-1978 से विज्ञापन सं0 1-1980 तक एक वर्ग विशेष को वरीयता देने का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? क्या इससे कृषि विश्वविद्यालय अधिनियमों, परिनियमों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान कुलपति के विरुद्ध राष्ट्रपति शासनकाल में शासन को की गयी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के तत्कालीन कुलपति डा0 अतर सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर नियुक्तियों हेतु विज्ञापन सं0 1/1978 से 1/1980 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मुकाबले समान योग्यता में वरीयता, यदि वे उपयुक्त पाये जाते हैं, देने का उल्लेख किया गया है। यह शासकीय नीति के अनुसार नहीं है। यह उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच कृषि सचिव द्वारा की जा रही है।

[सोमवार 9 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री मित्रसेन, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री बदन सिंह, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री सुरेन्द्र कुमार--

[दिनांक 7-7-80 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित।]

फर्टिलाइजर के मूल्य में कथित वृद्धि

*2--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब फर्टिलाइजर का मूल्य 8-6-80 को भारत सरकार ने बढ़ाया गया तो क्या यह भी निर्देश दिया था कि जो पुराने दाम में खरीदा हुआ फर्टिलाइजर है उसको उसी दाम में किसानों को दिया जाय ? यदि हां, तो उसका अनुपालन हुआ कि नहीं ? क्या यह सत्य है कि किसी भी प्राइवेट फर्टिलाइजर के लाइसेंसी ने पुराने दामों पर फर्टिलाइजर नहीं बेचा ? क्या उनको कोई निदेश फर्टिलाइजर कन्ट्रोलर, उत्तर प्रदेश ने दिया था ? यदि हां, तो क्या ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्टिलाइजर कंट्रोलर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, यह पहले प्रश्न का जो नहीं कहा गया 8-6-80 को बढ़ाया गया। भारत सरकार ने कोई निर्देश प्रदेश सरकार को दिया है ? यदि हां, तो वह निर्देश क्या हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, भारत सरकार ने 8-6-80 को आदेश दिया था जो राज्य सरकार को 9 तारीख को प्राप्त हुआ, उस आदेश में फर्टिलाइजर के दाम निम्नांकित हो गये, जो निश्चित ही बढ़े हुये मूल्य हैं, उसमें यह नहीं था कि पुराने मूल्य पर दिया जाय।

श्री ऊदल--

क्या सरकार को यह मालूम है कि जब 9-6-80 को भारत सरकार का निर्देश मिल गया और प्रदेश सरकार की तरफ से 18-6 को निर्देशित किया गया प्रदेश में तो क्या यह सही है कि उस वक्त फर्टिलाइजर सरकारी गोदाम या प्राइवेट डीलरों के यहां जा था, वह सस्ता दाम का था और भारत सरकार का निर्देश होते ही सभी जगहों पर खाद महंगी बेची गई ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न अभी पूछा है, उसके सन्दर्भ में बताना चाहता हूं कि 9 तारीख को आदेश प्राप्त हुये और तुरन्त यहां से टेलेक्स और तार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को बता दिया गया कि वे स्टाक पोजीशन ले लें और बिक्री बन्द कर दें। सरकारी नियंत्रण में जो गोदाम थे, उनकी स्टाक पोजीशन भी ले लें, तदनुसार स्टाक पोजीशन आने के बाद यह भी आदेश आये भारत सरकार से कि इस रेट पर बेचा जाये।

श्री रियाज़त हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने 8-6-80 को फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ाने के बारे में पत्र लिखा था, 9 को प्राप्त हुआ क्या उसमें इस तरह की कोई चीज थी कि बढ़े हुए दाम फैक्ट्री के हैं या केवल किसानों को दिये जाने का मूल्य बढ़ा है या डीलरों के लिये दाम बढ़े हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जो सदस्य की मंशा है, जहां तक मैं समझता हूं वह यह है कि पुराने रेट पर पुरानी खाद क्यों नहीं दी गई, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि प्राइस कण्ट्रोल खाद पर भारत सरकार का है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और इसके बहुत पहले सन् 74 के करीब भी एक बार दाम बढ़ा था, उस समय सरकार ने कुछ मेजर एडाप्ट किये थे, डी० आई० आर० का अधिकार सरकार के पास था, इसके अन्तर्गत पुराने दाम पर भी हमने खाद बंटवाई। हमने इस सम्बन्ध में कानूनी सलाहकारों से सलाह ली, भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया। इस पर भी पैसा भारत सरकार का था और पुराने मूल्यों पर यदि खाद को बेचते तो हमको इसका डिफरेन्स देना पड़ता जो करीब 10 करोड़ के होता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने 74 का जिक्र किया है, मैं उनको बता दूं उस समय बहुगुणा जो मुख्य मंत्री थे और इस सम्बन्ध में असेम्बली में भी मामला उठा था, उन्होंने तत्काल भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था और पुराने रेट पर ही खाद बंटवाई थी, तो क्या यह इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि जो करोड़ों रुपया बनियों के गोदामों में पड़ा था, उसमें और डालने जा रहे हैं, तो क्या भारत सरकार से कन्टैक्ट करके अपने आदेशों से अवगत कराया कि जो उनके स्टाक में खाद है, उसको पुराने दाम पर ही किसानों को दिया जाय ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पहल की ?

श्री निर्भय नारायण सिंह---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पूछ-तांछ कर रहे हैं। भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश थे, उसके मुताबिक दाम घटाकर देना सम्भव नहीं था और किसानों को बढ़े हुये मूल्यों पर ही वितरित करने के उनके निर्देश थे। मान्यवर, हमारे यहां क्वालिटी कन्ट्रोल का विषय है। हम क्वालिटी भी देख सकते हैं। लेकिन मूल्य निर्धारण का अधिकार भारत सरकार का है। लेकिन, मान्यवर, हमने किसानों और प्रदेश के इंटरेस्ट में लिखा-पढ़ी की। किन्तु आज भी यही निर्देश आ गए कि उसी बढ़े हुये मूल्य पर बेचा जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, भारत सरकार का कोई निर्देश हुआ दाम बढ़ाने का। तो पहली बात जितनी खाद प्राइवेट डीलर्स के पास थी, उसका हिसाब मंगा लें और दूसरी बात केन्द्रीय सरकार को कब लिखा था कि पुरानी खाद उनके पास जितनी मात्रा में थी उसको ये लोग पुराने दाम पर दें? तो मान्यवर, ये दो सवाल हैं कि उस समय कितनी खाद इन पुराने डीलर्स के पास थी और केन्द्रीय सरकार से कब कन्टक्ट किया कि पुराने दाम पर ही खाद बंटवायी जाय?

श्री उपाध्यक्ष---

पहला प्रश्न तो साफ नहीं है, माननीय मंत्री जी दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

लेकिन मान्यवर, पहला वाला प्रश्न ही आवश्यक है कि कितना स्टाक था प्राइवेट डीलर्स के गोदामों में? उसी को कैलकुलेट किया जायेगा, तो पता चलेगा कि कितना पैसा इन्होंने प्राइवेट डीलर्स की तिजोरियों में फेंक दिया?

श्री निर्भय नारायण सिंह---

मान्यवर, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद विषयांतर हो रहा है। मान्यवर, हमारा सरकारी गोदामों पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, उस पर बात कर रहे हैं। उसमें एग्रीकल्चर और एग्रो के गोदाम वगैरह हैं। अब दो बातें सामने आयीं कि प्राइवेट डीलर्स के पास कितना था। उसका एकाउन्ट हमको पता नहीं है और न हम उनको बाध्य कर सकते हैं कि पहले वाले रेट से बेंचे। शासन के पास इस तरह का अधिकार नहीं है कि वह उनको मजबूर कर सके कि उस रेट पर बेचें। हम मैक्सिमम दाम/दर को तो नियंत्रित कर सकते हैं कि इससे ज्यादा न बेचें और क्वालिटी कन्ट्रोल के बारे में कर सकते हैं लेकिन उनको घटे दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और न हमारे पास यह सूचना है कि उनकी गोदामों में कितनी खाद थी।

गोरखपुर जिले में खाद एवं बीज पर मिलने वाली छूट

*3---श्रीमती गौरी देवी (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में किसानों को खाद, बीज पर मिलने वाली छूट के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी एवं कृषि अधिकारी ने विकास खण्ड अधिकारियों को अलग-अलग भिन्न-भिन्न निदेश वर्ष 1980 में भेजे जिससे 15 नवम्बर तक किसानों को खाद व बीज में छूट नहीं मिल सकी? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*4--श्री राम आसरे पासवान--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

जौनपुर जिले के रसूलपुर-बघाड़ी एवं सोइथाखुर्द-बनुआडीह नाले का निर्माण

*5--श्री जंगबहादुर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में विकास क्षेत्र खुटहन में ग्राम रसूलपुर से बघाड़ो व सोइथाखुर्द से बनुआडीह तक जल निकासी के लिये नाले की खुदाई गत 2-3 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई थी जो पूरी नहीं हुई तथा पूरी न होने के कारण इस वर्ष की अति वृष्टि के कारण भागमलपुर को हरिजन बस्ती तथा बनुआडीह, पुरैना आदि ग्रामों के सैकड़ों मकान गिर गये ? इस सम्बन्ध में दिनांक 25-8-80 को उप सचिव ग्राम्य विकास विभाग को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही नाले के मुकम्मल कराने के सम्बन्ध में की गई ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ब्लाक प्रमुखों, जिला परिषद् के सदस्यों एवं चेयरमैनों का चुनाव

*6--श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ब्लाक प्रमुखों, जिला परिषद् के सदस्य व चेयरमैनों का चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कराने जा रही है और कब तक चुनाव कराने का विचार है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । उक्त पदाधिकारियों के चुनाव वर्तमान पद्धति से ही ग्राम पंचायतों के चुनाव के उपरांत कराना सम्भव होगा ।

फतेहपुर सीकरी में "सुलहकुल" समारोह का आयोजन

*7--श्री रियासत हुसैन, श्री बदन सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री विजय सिंह राणा, श्री मुख्तार अनीस--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, 1980 में फतेहपुर सीकरी में होने वाले सुलहकुल फरमान की 400वीं वर्षगांठ के मनाये जाने पर कितना धन व्यय किया गया और किस-किस मद में व्यय किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

माह अक्तूबर, 1980 में फतेहपुर सीकरी में आयोजित "सुलहकुल" समारोह से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों पर कुल 2,90,000 रु0 का व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नवत् है :--

(1) वाहन की व्यवस्था	70,000 रु0
(2) अवस्थान एवं भोजन व्यवस्था	25,000 रु0
(3) रोशनी एवं सम्बद्ध व्यवस्था	1,55,000 रु0
(4) विविध व्यय (स्टेशनरी, पी0 ओ0 ए0 एल0 फोटोग्राफ, टेप रिकार्ड, आदि)	40,000 रु0

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जो ने अभी ब्यौरा दिया है, उसके आधार पर यह बतलाने को कृपा करेंगे कि सुलहकुल में कितने-कितने लोग इनवाइट किए थे, कितने माननीय सदस्यों को इनवाइट किया और कितने लोगों, वी0 आई0 पीज0 ने उसमें शिरकत की और उन लोगों के रहने की क्या व्यवस्था की ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, वहां काफी संख्या में लोग बुलाए गए थे और काफी संख्या में लोग आए । कितने लोग आये और उनके लिए कहां-कहा व्यवस्था की गई इसके लिए अलग प्रश्न पूछा जा सकता है । इसमें जो पूछा गया है उससे यह चीज सम्बन्धित मालूम नहीं होती है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 25 हजार रुपया अवस्थान एवं भोजन पर खर्च हुआ है । इस संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्वीटेशन माननीय सदस्यों को गया था उसके अन्दर स्पष्ट लिखा था कि रहने आदि की व्यवस्था अपने आप करें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह 25 हजार जो खर्च हुआ वह किन लोगों के रहने के ऊपर और भोजन के ऊपर खर्च हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण, सुलहकुल के मामले में रियासत हुसैन साहब कम से कम प्रोत्साहन देंगे । वही बात है, नावक ने तेरे सैद न छोड़ा जमाने में, इससे सुलहकुल नहीं बच सका । मान्यवर, इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता कि कितने लोग बुलाए गए और कितने आये । लेकिन दूसरा जो प्रश्न है, कार्ड में था कि अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करें । इस प्रकार के 10 हजार कार्ड्स ईशू किए गए थे । जो उसका कमेटी के मेंबर्स थे और जो सम्मानित अतिथि थे, उनके लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था हमने की थी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह सुलहकुल था या कलहकुल था, उसके बारे में मंत्री जी जानते हैं । मैं जानना चाहता हू कि जो सुलहकुल का आयोजन किया गया उसमें लोगों से टिकट का पैसा लिया गया, तो सुलहकुल से कितनी आय हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं तो यह नहीं कहूंगा कि सम्मानित सदस्य झूठ बोल रहे है क्योंकि वह हर बात सत्य कहते हैं । यह सत्य से परे बात है कि यह कहा जाय कि दिन नहीं है रात है । सुलहकुल का जो फंक्शन हुआ था, उसमें किसी तरह का कोई टिकट का पैसा नहीं लिया गया ।

श्री सूबेदार सिह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन के लिए बजट में कितने रुपए का प्राविधान था और कितना खर्च हुआ और कितनी बचत हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो खर्च हुआ है, उसमें इस तरह का कोई प्राविधान नहीं था, प्राविधान किया गया है । यह ऐसी ज्वलंत समस्या है, हमारे माननीय सूबेदार सिह ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसका आधार यही है और इसमें उनको आपत्ति है यह आश्चार्य की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर यह आयोजन हुआ था, तो उसके सम्बन्ध में पुरातत्व विभाग को आपत्ति हुई थी कि वहां आने जाने से ऐतिहासिक महत्व की इमारतें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और साथ ही साथ क्या यह आपत्ति आई है कि जो पुराने ऐतिहासिक महत्व के नाम हैं उन नामों मे परिवर्तन कर दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष --

यह प्रश्न इससे ताल्लुक रखता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसमें पैसा खर्च हुआ है, हम इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के अधिकारी हैं वैसे जैसी आपकी आज्ञा ।

श्री उपाध्यक्ष --

इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, इसमें पैसा खर्च हुआ है, आयोजन का उद्देश्य और उपलब्धि भी प्रश्न के अन्तर्गत निहित हो जाती है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की जो आपत्ति है, सही जगह से आपत्ति आई इसके ऊपर ।

मान्यवर, जहां तक पहले भाग का संबंध है पुरातत्व विभाग को इसमें कोई आपत्ति थी, तो जिस समय उत्सव किया जा रहा था और कुछ चीजों पर एतराज था, जैसा उन्होंने कहा, तो वह उसी समय किया जाना था लेकिन उत्सव का काम उन्हीं के अनुसार किया गया है दूसरा प्रश्न नाम बदलने का

है, तो इस प्रकार का कोई नाम नहीं बदला गया है । केवल एक अट्रेक्शन फोकस करना था और लोगों की तवज्जह इस तरफ देना था । जो इतिहास में घटना हो चुकी है, उसमें एक प्रेम एक सदभाव का ऐसा जमाना था, जब लोग एक दूसरे के करीब थे, जिसकी याद दिलाना था ताकि लोग एक दूसरे के करीब रहें जिसको सभी माननीय सदस्यों को सराहना करनी चाहिए थी बल्कि उस पर टिप्पणी हो रही है ।

(एक सदस्य के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य पहले सदन के तरीकों पर ध्यान दें कि यदि कुछ कहना तो खड़े होकर कहें ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, सुलहकुल क्या धंधा है । जो दे उसका भला और जो न दे उसका भी भला ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य को सुलहकुल का पता नहीं है यह ताज्जुब की बात है । जो इतिहास है, सुलहकुल की सारी चीजें उसी से सम्बन्धित हैं और इनका भी सम्बन्ध रहा है । आज से 400 साल पहले अकबर ने एक फरमान जारी किया था जिसमें भारत में रहने वाले बिना फर्क के सबको बराबर के अधिकार दिए गए थे, सुलहकुल उसी याद को ताजा करती है और उसके बाद आप जानते हैं, जो घटनायें घटी हैं, उसमें आपके पूर्वजों का भी बड़ा हाथ रहा है ।

बाराबंकी, जिला परिषद् की दरियाबाद-मियांगंज-अद्रा बदोसराय सड़क के पेड़ों की कटान

*8-श्री श्यामलाल वाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला परिषद् से सम्बन्धित खजुरी अद्रा मार्ग के सौ पेड़ जिला परिषद् सा० नि० वि० के इन्जीनियर और थानाधिकारी टिकैतनगर द्वारा कटवा दिए गए ? यदि हां, तो क्या शासन बाराबंकी जिला परिषद् के पेड़ों की रक्षा के लिए कारगर कदम तथा पेड़ काटने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कदम उठाने की सोच रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला परिषद् की दरियाबाद मियांगंज-अद्राबदो सराय सड़क पर पेड़ों को काट जाने की सूचना जिला परिषद् को दिनांक 1-11-80 को प्राप्त हुई । जिला परिषद् द्वारा उसी दिन इसकी जांच कराई गई तथा टिकैतनगर थाने में 1-11-82 को ही अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई । जांच के बाद कुल 70 पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई । यह सही नहीं है, कि जिला परिषद् के अभियन्ता और थानाध्यक्ष टिकैतनगर की साजिश से पेड़ कटवाये गये, अतः इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अभियुक्तों के विरुद्ध पुलस द्वारा दिनांक 29-1-81 को न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 1-11-80 को जो जिला परिषद् को पेड़ काटने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो यह सत्य से परे की बात है। मान्यवर, बाराबंकी जनपद के मियां अशफाक हुसैन जिला परिषद् के अधिकारियों के पास गये, उन्होंने उनकी बात सुनने से इन्कार कर दिया। तब वह पुलिस अधीक्षक के पास गये, तो उन्होंने वायरलेस से रुकवाया। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिला परिषदों के एक मात्र वह स्वामी हैं, तो क्या वह बाराबंकी के पेड़ों की संख्या को बता सकते हैं कि क्या है?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मेरी सूचना को सत्य मानते हुये मंत्री जी जैसा कह रहे ह और मैं सदस्य के रूप में कह रहा हूं कि यह सम्पूर्ण जिला परिषद् की बात है और बाराबंकी में सभी पेड़ काट जा रहे है। इसलिये क्या मंत्री जी इसकी गुप्तचर विभाग से जांच करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न एक खास मार्ग से सम्बन्धित है। इसलिये उसी के सम्बन्ध में प्रश्न करें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, यह खास मार्ग पर है, यह बात अपनी जगह सही ह लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह सत्य से परे है, वे सदन में इस प्रकार की घोषणा करें कि वह गुप्तचर विभाग से जांच करायेंगे, तो मामला साफ हो जायेगा ?

श्री ऊदल--

पूरे बाराबंकी जिला परिषद् के पेड़ काटे गये हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह बात स्पष्ट नहीं हो रही है ?

उपाध्यक्ष--

उत्तर में ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन गवर्न हो रही है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था कि वे तीन अभियुक्त कौन है, क्या माननीय मंत्री जी उनके नाम बतायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

हौसला प्रसाद, नन्दू सिंह और इमदाद अली।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सदन में अपनी जानकारी के हिसाब से जो सूचना दे रहा हूं कि बाराबंकी जिला परिषद् के

सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो इन्जीनियर महोदय हैं, उन्होंने सारे के सारे पेड़ कटवा दिये हैं। माननीय मंत्री जो स्वयं अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछें कि महमूदाबाद, जहां के वे रहने वाले हैं, वहां क्या सारे पेड़ नहीं काटे गये ? क्या वे इसकी जांच सतर्कता विभाग से कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

किसकी जांच ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

सारे के सारे पेड़ों के कटवाने की ।

श्री उपाध्यक्ष—

कहां के पेड़ों की ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

बाराबंकी जिला परिषद् के पेड़ों की ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, सम्मानित सदस्य ने जो सूचना दी है और जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसमें दोनों में आपस में ताल-मेल नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि सम्मानित सदस्य कोई गलत बात कह रहे हैं, मगर दोनों सूचनाओं में फर्क जरूर है, तो इसकी पूरी जांच करायी जायेगी ताकि सम्मानित सदस्य को संतोष हो जाय ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

पूरी जांच किससे कराई जायेगी ? यदि जांच जिलाधिकारी से करायेंगे, तो जो सूचना माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई है, वह उसकी पुष्टि कर देंगे। इसकी जांच कोई दूसरी एजेन्सी द्वारा ही करानी चाहिये । कोई दूसरी एजेन्सी का क्या नाम बताने का माननीय मंत्री जी कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

अगर सम्मानित सदस्य को गुप्तचर विभाग की जांच से सन्तोष है, तो जांच उसी से करायी जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इस प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि कुल 70 पेड़ काटे गये । यह पेड़ किसके आदेश से काटे गये, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। परन्तु तीन आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। उन तीन अभियुक्तों ने अपने बयान में क्या कहा कि किसने आदेश दिये उन पेड़ों को काटने के लिये, जिसके आदेश से ये पेड़ कटवाये गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, इसमें तो प्रश्न अलग-अलग हैं क्योंकि प्रश्न के उत्तर में नीचे कहा गया है कि इस मुकदमें का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जहां तक तीन अभियुक्तों का सवाल है, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं हो जाता इसलिये इस समय कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो तीन अभियुक्त पकड़े गये हैं, उन्होंने पुलिस के सामने क्या बयान दिया ? न्यायालय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो मुलजिम बयान देता है, वही उन्होंने कहा कि "हमने नहीं काटे" ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, एक इंस्ट्रक्शन के दो वर्जन हो गये । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो श्री अशफाक साहब ने एस0 एस0 पी0 को कन्टैक्ट किया और सारा मामला बताया, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यह पेड़ कटाने के आदेश जिला परिषद् के अधिकारियों ने दिये या ऐसे कोई आदेश दिये जिससे पेड़ों का काटना रोक कर मुकदमा न्यायालय में चलाया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो हमारी सूचना है, उसके अनुसार कैटेल पाउन्ड कीपर ने सूचना दी, लेकिन माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, जो वे बता रहे हैं, तो जांच के लिये कहा गया है, जांच होने पर सारी बातें सामने आ जायेंगी ।

अन्त्योदय कार्यक्रम की कथित समाप्ति

*9—श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में अन्त्योदय कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष से समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । प्रदेश में अन्त्योदय कार्यक्रम पूर्ववत् चल रहा है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में बाराबंकी को कितना रुपया स्वीकृत किया गया और अब तक कितना रुपया आवंटियों को दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके पूछन का मतलब टोटल रुपये से है कि जिलेवार से ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—

टोटल ही बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 10 करोड़ रु0 का प्राविधान था, अब उसे 30 करोड़ रु0 किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सम्बन्ध में दो बातें बताने की कृपा करेंगे एक तो यह कि जो 10 करोड़ रु0 आवंटित किया गया उसमें से कितना रुपया यूटीलाइज नहीं हो पाया ? दूसरा यह कि जब से यह अन्त्योदय कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उस समय जब जनता सरकार थी, जिला परिषद् के माध्यम से दिया जाता था, परन्तु अब अगर मेरी जानकारी यह सही है कि इस सरकार ने बैंकों के द्वारा केवल सब्सिडी देने की बात कही थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं उसी पर आ रहा हूं । मेरा प्रश्न यह है कि जो 10 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, उसमें से कितना रुपया यूटीलाइज नहीं हो पाया ? दूसरी बात क्या यह जो मैंने अपनी जानकारी देने की कोशिश की है, यह सही है ? यदि हां, तो क्या यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से दिया जायेगा, जिससे कि पूर्व की भांति अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर तो 31 मार्च की शाम को दिया जा सकता है । अभी इस समय वह संभव नहीं है । दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य का है, वह बात सही है । इस वक्त विभाग में हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे बैंकों का झंझट कम किया जा सके । जो मार्गदर्शन माननीय सदस्य ने दिया है, उस पर विचार किया जा रहा ह ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने 31 मार्च की शाम को कहा है या पहली अप्रैल की सुबह आप यह सूचना देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जैसा आप आदेश दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उस दिन सायंकाल इसकी सूचना आप आदरणीय सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

यदि प्रश्न करेंगे माननीय सदस्य तो ।

एटा जिले के जिला सूचना अधिकारी, श्री सोहन लाल कुलश्रेष्ठ द्वारा लिया गया अभिनन्दन पत्र एवं भेंट

*10—श्री भगवती सिंह विशारद (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा के जिला सूचना अधिकारी (श्री सोहन लाल कुलश्रेष्ठ) द्वारा विगत 16 जून, 1980 को एटा जनपद के पत्रकारों से अपने सम्मान में सार्वजनिक आयोजन कराकर अभिनन्दन पत्र एवं आर्थिक भेंट ग्रहण सम्बन्धी श्री जयगोपाल मिश्र, भूतपूर्व सम्पादक, युगवाणी, एटा की शिकायत दिनांक 11-8-80 उन्हें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विषय में उक्त अधिकारी को यू0 पी0 गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स, 1956 के रूल सं0 11 व 14 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि नहीं, तो फिर उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विषय में श्री मिश्र की एक शिकायत दिनांक 13-6-80 जिलाधिकारी एटा को भी प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। 11-8-80 की शिकायत शासन को और 13-6-80 की शिकायत जिलाधिकारी को प्राप्त हुई थी। जांच से ज्ञात हुआ कि जिला सूचना अधिकारी श्री सोहन लाल कुलश्रेष्ठ ने एक आयोजन में अभिनन्दन पत्र ग्रहण किया था जो कि अनियमित था। इस अनियमितता के लिए श्री कुलश्रेष्ठ को कड़ी चेतावनी दी गई है।

आर्थिक लाभ प्राप्त करने का कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ।

मस्जिद एवं मजार बाबा तुराबशाह, लखनऊ की भूमि का इन्द्राज

*11—श्री अशफाक अहमद तथा श्री हरवंश प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मस्जिद एवं मजार बाबा तुराबशाह की भूमि एफ0 सेक्टर, आवास विकास कालोनी, राजाजीपुरम् (तालकटोरा), लखनऊ का इन्द्राज नगर महापालिका, लखनऊ के रजिस्टर कब्रिस्तान सआदतगंज वार्ड और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के वक्फ सम्पत्ति रजिस्टर में है ? यदि हां, तो इसका इन्द्राज वर्तमान खसरा और खतौनी में क्यों नहीं किया गया ? क्या शासकीय आदेश संख्या 40 (30)-68, दिनांक 29-3-68 तथा अर्द्ध शासकीय आदेश संख्या 1812 (4)-52—688-76, दिनांक 5-9-80 के अनुसार उपरोक्त प्रश्न गत वक्फ सम्पत्ति की चौहद्दी आदि निर्धारित करा कर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई ह ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही ह।

प्रदेश में मंडी-स्थलों का निर्माण

*12—श्री सोमांश प्रकाश—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय मंडी स्थलों का निर्माण हो चुका है और क्या सभी मंडी-स्थलों में कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

प्रदेश में चालीस नवीन मंडी-स्थलों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसमें से चौदह मंडी स्थलों में आंशिक रूप से व्यापार हो रहा है। शेष में कुछ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं जिसके पश्चात् उनमें भी कार्य शुरू हो जायेगा।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 1975 में करीब-करीब बहुत सी मंडी-स्थलों का निर्माण हो चुका है, ऐसी क्या औपचारिकतायें हैं, जो आज तक उन मंडी-स्थलों में व्यापार शुरू नहीं हो सका ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

औपचारिकताओं में कुछ बननी शेष हैं, कुछ का बनने के बाद नोटीफिकेशन करना पड़ता है ताकि व्यापारी वहां आ कर व्यापार करें। कुछ परेशानी होती है। नोटीफिकेशन होने में कुछ देरी हो रही है। किसी विशेष मंडी स्थल की बात हो तो माननीय सदस्य बतायें उस पर विशेष कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के मऊ-रानीपुर मंडी-स्थल के निर्माण के लिए कार्यवाही चल रही थी ? यदि हां, तो कब तक निर्माण प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

किसी खास मंडी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मंत्री जी ने कहा है कि अगर किसी परटिकुलर मंडी-स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में पूछना हो, तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि किसी परटिकुलर मंडी समिति के बारे में जानकारी हो या उसमें तेजी लाना चाहते हों, तो नालेज में लायेंगे, पूरा प्रयत्न किया जायगा। किसी विशेष के बारे में सूचना देना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न व्यापक था।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इनके परटिकुलर की परिधाा के अन्तर्गत कौन-कौन सी चीजें आती हैं ? झांसी जनपद के मऊरानीपुर मंडी स्थल का निर्माण विचाराधीन था। उसके बारे में मैं जानकारी चाहता था कि वह निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अग्निहोत्री जी, आपका प्रश्न व्यापक था । अगर आप किसी खास मंडी के बारे में पूछ रहे हैं, जैसा माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया तो आप उसको परटिकुलराइज कर के पूछ लें ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के पुनः प्रश्न करने पर)

जी नहीं, इस पर स्थान विशेष के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न नहीं कर सकते हैं ।

श्री ऊदल—

क्या मेरी सूचना को सही मानकर मंडी समिति अतर्रा झांसी जनपद, बरहद, इस तरह की बहुसंख्यक मंडी समितियों की जांच करायेंगे । मुख्य कारण यह है कि मुख्य बाजार से तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर बीहड़ में ये मंडियां बना दी है इसीलिए व्यापारी लोग वहां नहीं जा रहे हैं । क्या इसकी जांच करायेंगे ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य लिख कर दे दें जांच करायी जायगी ।

श्री सोमांश प्रकाश—

मान्यवर, इस विषय में जानकारी देना चाहता था । हमारे जनपद में मुजफ्फरनगर और शामली में 1975 में मंडी स्थल बन चुके थे और आज तक इन दो मंडी-स्थलों में व्यापार प्रारम्भ नहीं हुआ जब कि 1975 में दोनों मंडी-स्थल बनकर तैयार हो चुके, उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका लेकिन आज तक इन दोनों जगहों में व्यापारी व्यापार करने के लिए नहीं गए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न क्या हुआ ?

श्री सोमांश प्रकाश—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि मुझे स्पेसिफिक जानकारी दी जाय क्यों नहीं अभी तक वहां ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानकारी उनको देंगे, इस समय केवल प्रश्न करें ।

श्री सोमांश प्रकाश—

में यह पूछना चाहता हूं कि 1975 में जब मंडी-स्थलों का निर्माण हो चुका, तो वहां अभी तक व्यापारी क्यों नहीं व्यापार करने गए ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, जो प्रश्न था जनरल था, व्यापक नेचर का है, परटिकुलर माननीय सदस्य बतायें तो उसके बारे में जानकारी की जायगी ।

कृषि प्रसार निरीक्षकों की नलकूप चालकों के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी राजाज्ञा

*13—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास आयोग के अन्तर्गत कृषि प्रसार योजना से सम्बन्धित जिन कृषि प्रसार निरीक्षण की नियुक्तियां वेतनमान 230-385 रुपए पर सन् 1972-73 में हुई थी और 31 दिसम्बर, 1975 में उपरोक्त योजना की समाप्ति पर जिन लोगों की सेवाएं समाप्त कर उनकी नियुक्तियां वेतनमान 180-265 रु0 पर नलकूप चालक के पद पर की गई क्या उनकी नियुक्तियां कृषि व गन्ना विभाग में करने हेतु 11-4-79 को वित्त व सिंचाई तथा कृषि विभाग की संयुक्त बैठक के निर्णयानुसार कोई राजाज्ञा जारी की गई ? यदि हां, तो उसके अनुसार कितने लोगों की नियुक्तियां हुईं और अभी कितने लोग शेष हैं ? यदि नियुक्तियां नहीं की गईं तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, 23 फरवरी, 1981 की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या 13 का क्या आपने अवलोकन किया है जिसमें आपने इस राजाज्ञा को भी स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि 200 छटनीशुदा कृषि प्रसार निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है । उसके उत्तर में आज ये कह रहे हैं कि "जी नहीं" । यह कितना बड़ा विरोधाभास है । तो यह सरकार है या मंत्री हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न आपका क्या हुआ ? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि यह सरकार है कि मंत्री हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं यह क्या सरकार है जिसके ऐसे मंत्री हैं । क्या आप 23 फरवरी, 1981 की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या 13 को देखते हुए जिसमें आपने स्वीकार किया है कि राजाज्ञा संख्या 5220 (54)-सी0 ए0ओ0-9-1379, दिनांक 12-12-79 के द्वारा छटनी शुदा भूतपूर्व कृषि प्रसार निरीक्षकों को कृषि विभाग में नियुक्ति के आदेश हुए थे और इसके उत्तर में आप कहते हैं "जी नहीं" । मैंने प्रश्न किया था कि क्या कोई राजाज्ञा जारी की गई थी और राजाज्ञा आपने स्वीकार की है और तब आप कहते हैं जी नहीं, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो इंगित किया है कि पिछली मर्तबा यह प्रश्न आ चुका है, यह बिलकुल ठीक है । तब माननीय सदस्यों से यह अनुरोध किया गया था कि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं होगा । अब पुनः यह प्रश्न आ गया है और

माननीय सदस्य कानपुर ने कहा कि उत्तर 'जी नहीं" क्यों दिया गया। मान्यवर, आपने पूछा है कि 11-4-79 को कृषि एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त बैठक के निर्णय के अनुसार क्या कोई राजाज्ञा जारी की गई थी ? मान्यवर, ऐसी कोई राजाज्ञा जारी नहीं की गई थी। दूसरी बात मैं पुनः माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वह जो संयुक्त बैठक हुई थी, वह सचिव स्तर की बैठक थी और उसमें कृषि या इर्रीगेशन विभागों से ही सम्बन्धित कर्मचारियों के बारे में उनको सुविधा आदि देने की बात नहीं थी बल्कि अन्य विभागों से सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी उसमें तय हुआ था। उसमें कुछ बातें तय हुई थीं। उसमें हमारे कृषि विभाग ने सिंचाई विभाग के 200 आदमियों को जो बी0एस-सी0 (ए0जी0) थे, उनको एडजस्ट करने के बारे में सूचना दी गई थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कार्मिक विभाग ने एक सरकारी आदेश निकाला जिसके जरिये इस तरह के कर्मचारियों को जो अलग हो रहे थे, सुविधा देने के लिए जैसे क्वालिफिकेशन और एज में छूट दी गई थी और कोई राजाज्ञा नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में पुनः कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि शासन उनके बारे में सोच रहा है। इसके आगे कुछ बताना ज्यादा उचित नहीं होगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न माननीय मन्त्री जी से जानना....

श्री उपाध्यक्ष --

श्रीमान् अभी मैंने आपको तो बुलाया नहीं। आप विराजें। (श्री प्रभु नारायण के बैठने पर) अब आप प्रश्न करें।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

(व्यवधान)]

माननीय ओझा जी को मेरे उठने बैठने पर मजा आ रहा है। गोरखपुर और जौनपुर का निकट का सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष--

इन दोनों जिलों का सम्बन्ध काफी मधुर है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--

मान्यवर, पिछली बार भी इस तरह का प्रश्न जिसका रिफरेंस माननीय देहलवी जी ने दिया था, जिसमें आपने कहा था की मामला कोर्ट में है यहां न उठाया जाय, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी कृषि स्नातक नियुक्त हुए थे क्या वे भी कोर्ट में गये हैं ? जिसमें से दो सौ आपने नियुक्त कर दिये हैं तो क्या अभी और कितने शेष हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने नियुक्त किये और कितने शेष हैं जो एडजेस्ट करने हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य जौनपुर को आपने उठने के लिये निर्देश दिया उससे हमारा भी काम हलका हो गया। मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरी स्तर की जो बैठक हुई थी, उसमें सब एग्रीकल्चर विभाग में नहीं लिये गये। सेंटपरसेंट हम भर्ती नहीं कर सके कुछ तो कृषि स्नातक लिये, कुछ

डिपार्टमेंटल प्रमोशन दिया और कुछ नये के लिए चुनना पड़ता है कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो कहने पर अदालत में प्रभाव पड़ेगा कहना नहीं चाहता हम भरसक कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेंटपरसेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें प्रमोशन भी है, और डायरेक्ट रेक्रूटमेंट का भी सवाल है तथा अन्य विभागों में भी हम एडजस्ट कर रहे हैं केवल कृषि विभाग में सब को नहीं नियुक्त कर सकते ।

*14--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[19वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*15--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[11वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कृषि विपणन निदेशालय एवं कृषि निदेशालय का पृथकीकरण

*16--श्री झिलमिट राम (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विपणन निदेशालय व कृषि निदेशालय का बजट अलग-अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो अधिकारियों व कर्मचारियों को कृषि विभाग से उद्यान विभाग की तरह पृथक् न करने का क्या कारण है ? क्या उसे पृथक् करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्रेणी-1 का राज्य कृषि विपणन अधिकारी का पद पृथक् कर दिया गया है तथा श्रेणी-2 एवं अन्य कर्मचारियों को भी पृथक् करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

सीतापुर जिले में मूंगफली के बीज पर दिया जानें वाला अनुदान

*17--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में अगली बुआई के लिए काश्तकारों को मूंगफली का उन्नत बीज उपलब्ध कराने हेतु कुल कितना बीज का भान्डारण किया गया है ? क्या सरकार इस बीज को अनुमानित दर पर काश्तकारों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो अनुदान की दर क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

सीतापुर में अगली बुआई के लिए 380 कुन्तल मूंगफली का बीज क्रय करने की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा क्रय आरम्भ हो गया है । केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पैटर्न के अनुसार वर्ष 1980-81 में मूंगफली के प्रमाणित बीज पर 150 रु0 तथा दुथफुल बीज पर 100 रु0 प्रति कुन्तल अनुदान कृषकों को उपलब्ध था । अगली बुआई के लिए यदि भारत सरकार ने उक्त पैटर्न (Pattern) स्वीकृत किया, तो इसी दर से अनुदान दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा उन्होंने अपन उत्तर में कहा है कि केवल फारमैलिटीज पूरी करनी हैं कार्य आरम्भ हो गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले दिन किस तारीख को मूंगफली का कितना बीज खरीदा गया तथा पिछले वर्ष जिसका रैफरेंस है किस रेट पर मूंगफली का बीज खरीदा गया और किस रेट पर काश्तकारों को उपलब्ध कराया गया ? मेरी जानकारी है कि अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

किस तारीख से क्रय शुरू हुआ और कितना क्रय हुआ इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी खरीद शुरू हो गयी है इस समय शुरू है । हमारे पास स्टाक है और हम खरीदना चाहते हैं और जो हमारा लक्ष्य है, उसे पूरा करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बीज परचेज कर रहे हैं, उसमें टोटल कितनी शोइंग होगी और कितने एकड़ में सबसिडाइज कर दिया गया है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

कितना एरिया है, कितने लोग बोयेंगे, आदि यह सब देखें तो अलग से प्रश्न हो जायेगा और अलग से उसको सूचना देनी पड़ेगी । फिलहाल सम्भव नहीं है देना । मैं बताना चाहता हूं पिछले साल 36·63 क्वीन्टल मूंगफली का बीज वितरित किया गया था और इस साल 38 क्वीन्टल खरीदने की योजना बनाई गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस प्रश्न में दिया गया है कि पिछले वर्ष इतनी सब्सिडी दी गई, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने किस दर पर मूगफली का बीज खरीदा था और किस दर पर किसानों को दिया था ? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस सीतापुर जिले से मिले हुये जिले में केन्द्र सरकार की पुरोनिधानित योजना के अधीन जो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन चल रहा है, बीज खरीदने और काश्तकारों को वितरित कराने में उसका विस्तार सीतापुर में न कराने का क्या कारण है, जब कि दोनों की समस्यायें समान हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

प्रश्न सीतापुर से सम्बन्धित है और स्पष्ट है कि यह बीज अनुदान के बारे में पूछा गया था । अब बीज रेट के बारे में सीतापुर के अलावा किसी जिले के बारे में यहां पूछना ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप देखें इस प्रश्न के दो भाग हैं ।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, आप मूल प्रश्न को देखें, इसमें है कि क्या सरकार इस बीज को अनुमानित दर पर काश्तकारों को उपलब्ध करायेगी ? यह प्रश्न नहीं है कि किस रेट से खरीदेंगे या देंगे ? केवल सीतापुर जिले की इसकी अनुमानित दर के बारे में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन यह सप्लीमेन्टरी रेट के बारे में जायज है, आपके पास सूचना न हो तो समय ले लें ।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

इसके बारे में सूचना न मांगी गई थी और न है । यदि माननीय सदस्य कहेंगे, तो दे दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी जानकारी है कि एक भी क्वीन्टल मूंगफली का बीज अभी वहां खरीदा नहीं गया है । मैंने प्रश्न पूछा था कि कितना अब तक खरीदा गया है, तो कहा गया कि इतना खरीदने की योजना है । दूसरा रिलीवेन्ट प्रश्न मैंने पूछा था मूंगफली की उपज के डेवलपमेन्ट के बारे में, जो सीतापुर को, हरदोई में चल रही योजना के विस्तार के सम्बन्ध में था । मैंने दूसरे जिले का प्रश्न नहीं किया है, मैं तो केवल दूसरे जिले की मिसाल देकर सीतापुर के बारे में ही जानना चाहता हूं, यह हमारे यहां की हजारों एकड़ जमीन से सम्बन्धित प्रश्न है, आधा जिला इससे प्रभावित है . .।

श्री उपाध्यक्ष--

आधे क्या यह पूरे जिले से भी सम्बन्ध रखता हो, किन्तु उस जिले से, मूल प्रश्न के जिले से सम्बन्धित नहीं है तो क्या उसको इजाजत दी जाये ? आप इस पर दूसरा प्रश्न कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

दूसरे प्रश्न में मुझे 20 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने रेट के बारे में अनुपूरक प्रश्न किया था .. ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं वहां से आज ही आ रहा हूं, वहां पर अभी परचेज शुरू नहीं हुआ है, हमने इसीलिये पूछा है कि कितना भण्डारण हो चुका है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जहां तक सब्सिडी का सवाल है .. ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सब्सिडी का नहीं भण्डारण का.. ।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

वह भी आयेगा, जहां तक सब्सिडी का सवाल है, वह भारत सरकार से प्राप्त होता है और वह काश्तकारों को हम खरीदारी के वक्त नहीं देते हैं । जिस हिसाब से वहां से सब्सिडी मिलेगी, उसी हिसाब से खरीद पर उनको दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कितना भडारण किया गया, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिये ।

श्री निर्भय नारायण सिंह---

जब हमको भारत सरकार से सब्सिडी मिलेगी तो हम उतना रेट कम करके, अगले साल जो ग्रोअर्स बोयेंगे, उनको कम दाम पर देंगे । भन्डारण का जहां तक सम्बन्ध है मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि 10 दिन पहले जो रिपोर्ट आयी थी उस समय हमारे स्टाक में 6 क्विन्टल और 10 के0 जी0 था ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कृषि स्नातक कक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश

*18--श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि वि0 वि0, फैजाबाद में कृषि स्नातक की पढ़ाई के लिए कृषि विद्यार्थियों के अलावा विज्ञान एवं गणित के विद्यार्थी भी दाखिल किये जाते हैं ? तथा कृषि के विद्यार्थियों को जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थे दाखिल न करके विज्ञान एवं गणित के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कृषि की पढ़ाई के लिए दाखिल किया गया है ? तथा मेरिट से न लेकर घपलेबाजी की गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त अनियमितताओं की जांच करायी गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कृषि स्नातक कक्षा के प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इन्टरमीडिएट (कृषि) तथा इन्टरमीडिएट (साइंस) वर्ग के विद्यार्थियों को उपलब्ध स्थानों पर 50-50 के अनुपात में उनकी मेरिट लिस्ट के अनुसार दाखिल किया जाता है । उक्त कक्षाओं के प्रवेश में कोई अनियमितता नहीं की गई है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

*19—श्री अमर सिंह—

[8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

देवरिया जिले में उर्वरक पर दिया गया अनुदान

*20—श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में 1 लाख बोरी खाद 1:66 एकड़ के नीचे के किसानों को छूट पर बांटने को मिली है जिसका वितरण ठीक से न होकर फर्जी हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दंडित करेंगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद के लक्ष्य के अनुरूप मात्रा में शासन उर्वरक उपलब्ध कराता है। अब तक अनुदान उर्वरक के फर्जी वितरण का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आलू के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाने की मांग

**1—श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडियों में आलू के भाव कम होने के कारण आलू उत्पादक भयंकर मन्दी के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर आलू की खरीद प्रारम्भ करेगी ताकि आलू उत्पादकों को शोषण से बचाया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने 30-1-81 को दिया था । फरवरी तक अनेक मंडियों में आलू आने लगता है और वह 40-45 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है । अब भी बरेली मंडी में भाव कम होने के कारण आलू उत्पादक मंदी के शिकार हो रहे हैं, यह क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

सरकार की आलू की बढ़िया उपज होने का इस वर्ष अनुमान था । अतः किसानों को नुकसान न होने पावे और आलू के दाम न गिरे सरकार ने इस पर विचार किया है । आलू बाहर के प्रदेशों में रेलों द्वारा ढोया जाता है । उसकी व्यवस्था करने के लिए हमारे अधिकारी और मंत्रीगण दिल्ली जाकर बात करते हैं। हम सतत् जागरूक हैं कि आलू का भाव किसी भी दशा में 50 रुपये से नीचे न गिरे । कहीं-कहीं पर फरवरी के महीने में 50 रुपये से 2-3 रुपये कम रहा लेकिन मार्च में भाव में सुधार रहा है । हमने आर्डर दे दिए हैं कि जहां कहीं 50 रु0 से भाव गिरे सरकार की एजेन्सियों और मशीनरी को तैनात कर दिया है कि वे परचेज करें ताकि इसका दाम 50 रुपये से कम न आने पावे ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मंडियों में आलू नवम्बर से आना प्रारम्भ हो गया और फरवरी तक किसान निरन्तर मंदी के शिकार रहे, शासन सतर्क भी रहा। शासन के आंकड़ों के अनुसार ही 47 लाख टन आलू होने की इस वर्ष आशा है जबकि पिछले साल केवल 31 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था। भंडारण की क्षमता भी हमारे यहां पर केवल 15 लाख टन की है। तो क्या यह सही नहीं है कि आलू के उत्पादक शीत गृहों के मालिकों के शोषण के शिकार हो रहे हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

इस वर्ष हमारा आलू का उत्पादन एरिया कम हुआ है लेकिन उत्पादन बढ़ा है, पिछले साल के मुकाबले में। आंकड़ों के अनुसार तीन चौथाई एरिया कम हुआ है लेकिन 40 प्रतिशत उत्पादन अधिक आलू होने की आशा है। जितना आलू होता है उसका एक तिहाई का ही भंडारण की क्षमता है। कभी भी पूरा आलू भंडारण नहीं हो सकता क्योंकि आलू दूसरे प्रदेशों और विदेशों में भी जाता है। जहां तक दिसम्बर की अर्ली वेरायटी वाले आलू का सवाल है वह तो मंडी में ही खपता है। फर्रुखाबाद जिला सबसे ज्यादा आलू पैदा करने वाला जिला है और वहां पर मिलिट्री प्रजाति को सप्लाई होने वाले आलू का भाव 75 रु0 क्विन्टल है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आलू का उत्पादन मूल्य कितना आता है इस समय की महंगाई को देखते हुये ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे कहां उठता है ?

श्री मित्रसेन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस समय प्रदेश में जो रेट आलू भंडारण का है, वह बहुत बढ़ रहा है, यदि हां तो उसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी तथा प्रदेश में आलू की पैदावार को देखते हुए वेस्ट आलू का कोई कारखाना स्थापित करने पर विचार करेगी। सरकार किसान को आलू का उत्पादन मूल्य दिलाने के लिए कौन सी व्यवस्था करेगी तथा भंडारण मूल्य में कमी करेगी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

हमने आलू का निम्नतम मूल्य 50 रुपये क्विन्टल निर्धारित किया है, इससे नीचे नहीं जाने देंगे। अधिकतम मूल्य की कोई सीमा नहीं है, वह कितना ही मिले किसान को। प्रदेश में आलू भण्डारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। विदेशों में भी आलू भेजने की बात कर रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि बरेली में आलू का क्या भाव है और क्या यह सही है कि कोआपरेटिव सेक्टर के शीतगृह 25 रुपये क्विन्टल के भाव से चार्ज कर रहे हैं ? क्या इससे किसान का शोषण नहीं हो रहा है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

शीतगृह वालों के रेट क्या हैं इसके लिए तो सूचना चाहिये, इस समय जानकारी नहीं है। बरेली और सहारनपुर में आलू का भाव एकदम लाइन पर है और बरेली में दो-चार रुपया कम में भी फरवरी के अन्तिम सप्ताह में आलू बिके हैं। हमारे कृषि मंत्री जी दो दिन पहले जो सहारनपुर गए थे, वहां पर फरवरी के अंतिम सप्ताह में 45 रुपया कुंतल जो भाव पहुंच गया था, अब वहां पर दो दिन पहले 80 रुपया पर आ गया। जहां फीगर्स ऐसे आते हैं, वहां पर हम ऐसे प्रबन्ध करने के लिए तत्पर हैं कि 50 रु0 से नीचे भाव न गिरे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, बरेली की सूचना माननीय मंत्री ने नहीं दी, सहारनपुर की दी।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, आज के प्रश्न में पर्टिकुलर जिले के बारे में नहीं था। क्योंकि माननीय मंत्री जी सहारनपुर दो दिन पहले गए थे, वह सूचना हम बता रहे हैं और जो कानपुर का मामला है, 28 फरवरी को वहां पर 55 रुपया था। इस तरह से पहले 50 रुपया तक भी आ गया था। हम 55 रुपया को मार्जिन पर मानते हैं। कभी भी 2-4 रुपया आगे-पीछे हो सकता है, यह तो स्वाभाविक है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कृषि मंत्री, माननीय सदस्य स्पेसिफिकली बरेली के बारे में पूछ रहे हैं। अगर सूचना नहीं है, तो सूचना के बारे में बता दें।

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन को मैं सूचित करना चाहता हूं कि हमने किसानों को एक और सुविधा दिया है ....

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, बरेली की सूचना मंगवा लीजिएगा और वह सूचना दे दीजिएगा। वह बरेली के बारे में सूचना चाहते हैं।

प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किये जाने का कथित प्रस्ताव

**2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्रीमती गौरी देवी, श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री मन्जूर अहमद तथा श्री ख्वाजा हलीम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उर्दू को प्रदेश की दूसरी राज भाषा घोषित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

जी नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह प्रश्न अगर शासन के विचाराधीन नहीं है कि उर्दू प्रदेश की दूसरी राज भाषा बनाई जाय, तो अभी मुख्य मन्त्री जी ने कैसे दिल्ली में एक नीतिविषयक वक्तव्य कैबिनेट की ओर से दे दिया ? शायद माननीय मुख्य मन्त्री जब दिल्ली जाते हैं, तो वह यह भूल जाते हैं कि सदन के बाहर वक्तव्य देना कहां तक उचित है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री से आपके माध्यम से मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि अगर यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है, तो कौन सा प्रश्न शासन के विचाराधीन है, वह ही बता दीजिए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन के बजट के अनुमानों को पेश करते हुए माननीय सदन के सामने राजकीय कार्यालयों में फारसी लिपि में लिखे गये उर्दू प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति स्वीकार करते हुए शीघ्र कार्यवाही की जाय, इसकी समुचित प्रशासनिक व्यवस्था भी की जायगी, यह सूचना सम्मानित सदस्य को बजट के इस भाषण में दे दी गयी थी, इसलिए बाहर इसी का अनुपालन हो रहा है । मान्यवर, इसकी पूर्व सूचना सम्मानित सदन को थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह तो माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन के बाहर वक्तव्य देने के सम्बन्ध में सूचना दे रहे हैं । मेरा प्रश्न है कि अगर शासन के अधीन उर्दू को राज भाषा घोषित करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है, तो क्या विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जुबान की तरक्की के लिए जो कुछ किया जा सकता है, वह किया जा रहा है, यह पहले ही बताया जा चुका है ।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस (आई) ने अपने मैनीफेस्टो में जो वायदे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाये जाने के किये थे, क्या उस पर अब भी अटल हैं ?

श्री लोकपति---

आपको कांग्रेस आई के मैनीफेस्टो से क्या सम्बन्ध ?

श्री मुहम्मद आजम खां---

हमारा सवाल यह नहीं है कि उर्दू का स्टेटस क्या होगा । इसकी दरख्वास्तें आफिसों में ली जायेंगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? यदि हां, तो उसे साफतौर पर बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य, आप प्रश्न करें, साफ-साफ ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, उर्दू में दरखवास्तें मानी जायेंगी या नहीं, सवाल इसका नहीं है। सवाल तो सिर्फ साफतौर पर यह है कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? यदि वह इसको दूसरी जबान बनाना चाहती है, तो इस सम्बन्ध में कब तक घोषणा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, उर्दू को दूसरी जबान, दूसरी भाषा माने जाने पर शीघ्र विचार किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं फिर अपने मूल प्रश्न पर आ रहा हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाये जाने पर विचार किया जायेगा या अभी वर्तमान में विचाराधीन है ? या नहीं है ? या जेरे गौर है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रश्न में स्वयं विरोधाभास है; माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि विचार किया जायेगा।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, इस सिलसिले में स्थिति कोई साफ सामने नहीं आयी। एक तरफ तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रेस स्टेमेन्ट का हवाला दिया गया कि कार्यालयों में उर्दू एप्लीकेशन्स स्वीकार की जायेगी और दूसरे उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है, तो क्या आप अब शीघ्र ही संशोधन विधेयक भी लायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने साफ तौर पर बताया कि इस पर विचार किया जायेगा और जो मान्यवर, अखबारों की बातें कही गयी, वह तो केवल उसकी सुविधाओं के बारे में बताया गया है, कोई कैटागारिकल स्टेटमेन्ट नहीं है, बल्कि क्या-क्या सुविधाएं दी जायेंगी, उस पर रोशनी डाली गयी है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि पिछले दो तीन दिन के अखबारों से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और तमाम मुबारकबादी के तार आने लगे हैं, तो इन सब को देखते हुए स्पष्ट रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि क्या उर्दू को दूसरी राज भाषा स्वीकार कर घोषित करने जा रहे हैं, जैसा कि मुबारकबादियां आ रही हैं ? यदि हां, तो कब तक इसका बिल यहां आवेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर आ चुका है।

श्री रियासत हुसैन--

नहीं मान्यवर, इसका उत्तर अभी नहीं आया है और अखबारों के जरिये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है और जिसकी इन्हें मुबारकबादियां प्राप्त हो रही हैं, तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में बतायें कि क्या उर्दू को राज भाषा बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसी सत्र में इसका अमेन्डमेंट बिल पेश करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष और माननीय आजम साहब हमारे घोषणा-पत्र में जितनी भी चीजें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए यह मौजूदा सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर विचार करेगी और यह आश्वासन भी दे चुकी है ।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर, जिला परिषद् द्वारा मकनपुर-रसूलाबाद सड़क मार्ग की मरम्मत

1--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर जिला परिषद्, मकनपुर से रसूलाबाद वाले कच्चे मार्ग की मरम्मत वर्ष 1980 में करा रही है ? यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया जायगा और इसके पूर्व के 5 सालों में मरम्मत पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्नगत मकनपुर-रसूलाबाद मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत हो जाने के कारण जिला परिषद्, कानपुर द्वारा वर्ष 1980-81 में इस मार्ग पर कोई धन व्यय नहीं किया गया । इसके पूर्व के पांच सालों में जिला परिषद् द्वारा इस मार्ग की मरम्मत पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई :--

वर्ष	रुपया
1975-76	5,009.75
1976-77	1,000.00
1977-78	660.43
1978-79	..
1979-80	24,461.18
योग ..	31,131.36

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

2--श्री हरगोविन्द वर्मा--

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न सं0 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जिले में आई0 आर0 डी0 योजना एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सिलाई मशीनों की खरीद

3--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री शेरबहादुर सिंह तथा श्री गोरेलाल शाक्य--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 व 1978-79 में जनपद फैजाबाद में कितनी सिलाई मशीनें आई0 आर0 डी0 स्कीम तथा कितनी सिलाई मशीनें अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन विभाग द्वारा खरीदी गई थीं तथा अब तक ब्लाकों को दी गई मशीनों में से कितनी मशीनें खराब होने के नाते लौटाई गई हैं ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जनपद के विधायकों का भी कोई शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1977-78 व 1978-79 में जनपद फैजाबाद में आई0 आर0 डी0 तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कोई सिलाई मशीन वितरित नहीं की गई, अतः उनके खराब होने का प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय विधायक का शिकायती-पत्र शासन को अवश्य प्राप्त हुआ है ।

इटावा जिले की सेंगर नदी एवं जमुना नदी की भूमि के समतलीकरण हेतु भेजा गया कथित बुलडोजर

4--श्री धनीराम वर्मा--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि इटावा जिले की औरैया तहसील की सेंगर एवं जमुना नदियों के बिन रे की ऊंची-नीची भूमि को समतल किए जाने हेतु दो बुलडोजर राज्य सरकार की ओर से भजे गए थे परन्तु वे औरैया तहसील की उक्त नदियों की ऊंची भूमि को समतल करने का कार्य न करके भर्थना तहसील की ऊंची-नीची भूमि को समतल कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बुलडोजरों को अतिशीघ्र औरैया तहसील में भेजेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रदेश की दुग्धशालाओं में लाभ एवं हानि

5--श्री मुख्तार अनीस--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में प्रदेश की कि -किस दुग्ध डेरी में कितने रुपये का फायदा हुआ है ? कितनी दुग्ध डेरी लाभ और हानि में चल रही हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1978-79 में 35 दुग्ध संघों में से नौ लाभ तथा 26 में हानि रही।

वर्ष 1979-80 की 13 दुग्ध संघों की बैलेंस शीट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार 4 दुग्ध संघ लाभ पर तथा 9 हानि में रहे हैं। उक्त का विवरण संलग्न है।

पी0 सी0 डी0 एफ0 द्वारा चार दुग्धशालायें संचालित हैं जिनकी वर्ष 1978-79 की बैलेंस शीट अभी नहीं प्राप्त हुई हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1195 पर)

6—श्री मोती लाल देहलवी—

[23-2-81 को तारांकित प्रश्न सं0 13 द्वारा उत्तरित]

नैनीताल जिले की तराई एवं भावर क्षेत्र में सोयाबीन की उपज

7—श्री सुरेश दत्त पालीवाल—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के तराई व भावर जमीन में सोयाबीन की प्रति हेक्टर क्या पैदावार है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद नैनीताल के भावर क्षेत्र में सोयाबीन की अनुमानित औसत पैदावार 15 कुन्तल प्रति हेक्टर है। तराई क्षेत्र में जल भराव के कारण सोयाबीन की खेती नहीं की जाती।

8—श्री कुवेर भंडारी, श्री मोहन सिंह, श्री नन्द किशोर सिंह—

[15-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

ब्लाक ककवन, जिला कानपुर में छूट की खाद के वितरण सम्बन्धी शिकायत

9—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में जुलाई से जनवरी, 81 तक छूट की कितनी-कितनी खाद यूरिया व डी0ए0पी0 तथा पाईराइट दी गई तथा किसानों को किस हिसाब से उपरोक्त तीनों किस्म की खादें वितरित करने का निदेश सरकार की ओर से दिया गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

10—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि विकास खंड ककवन, जनपद कानपुर में अगस्त 80 से 5 जनवरी, 1981 तक यूरिया व डी0 ए0 पी0 छूट की खाद की बोरियों को ग्राम सेवक द्वारा लिखी हुई संख्या में किसानों को न देकर कम दी जाती रही और उसका अंकन रजिस्टर के बजाय पृथक से एक कापी में होता रहा तथा रजिस्टर में ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तावित झूठी संख्या लिख कर किसानों के दस्तखत रजिस्टर में कराए जाते रहे हैं ? यदि हां, तो जब दिसम्बर 80 के अन्तिम सप्ताह में इस भ्रष्टाचार को प्रमाणित किया गया तो ए0 डी0 ओ0 (एग्री) के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण रहा है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में डाकूमेन्ट्री प्रूफ प्रस्तुत करने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

आरोपों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी (बीज एवं प्रक्षेत्र), कानपुर से जांच कराई गई तथा आरोप असत्य पाए गए।

शाहजहांपुर जिले में हुए पंच सम्मेलन पर व्यय की गई धनराशि

11--श्री जगदीश सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह दिसम्बर, 1980 में जनपद शाहजहांपुर में पंच सम्मेलन हुआ था, उस पंच सम्मेलन में शासन का कितना व्यय हुआ ? कितने पंच, सरपंच एवं प्रधान ग्रामों से आये ? क्या इस पंच सम्मेलन के अध्यक्ष जिला अधिकारी थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, लेकिन इसमें शासन का कोई धन व्यय नहीं हुआ है । इस सम्मेलन में 31 पंच, 8 सरपंच एवं 71 प्रधान आए थे । चूंकि सम्मेलन की अध्यक्षता एवं उद्घाटन हेतु माननीय उप मन्त्री जी समय नहीं दे पाये थे और क्षेत्रीय विधायकगण एवं भूतपूर्व अध्यक्ष जिला परिषद् भी सम्मेलन में उद्घाटन समय तक उपस्थित नहीं हो सके थे अत: सम्मेलन की कार्यवाही में विलम्ब से बचने के हित में जिलाधिकारी ने जिला परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाही आरम्भ की थी।

मथुरा जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मीरानगर मेड़िया घाट मार्ग का निर्माण

12--श्री सन्तबख्श रावत--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में चांदपुर में मीरानगर वाया मेड़िया घाट, ब्लाक रामपुर, मथुरा जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो इस सड़क पर कितना कार्य पूर हुआ तथा कितना खाद्यान्न वितरित किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ब्लाक ककवन, जिला कानपुर के ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

13--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक ककवन के ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार फर्जी कार्य एवं ब्लैक मार्केटिंग से सम्बन्धित 10 आरोपयुक्त लगभग 50 किसानों के हस्ताक्षरों से कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, कानपुर व उसकी प्रति कृषि मन्त्री को मध्य दिसम्बर सन् 80 में दी गई थी और उसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा दिसम्बर, 80 के अन्तिम सप्ताह में कराई गई थी ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र में क्या-क्या आरोप थे और जांच किससे कराई गई तथा उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

लगभग 50 किसानों के हस्ताक्षर से कोई भी प्रार्थना-पत्र न तो जिलाधिकारी, कानपुर और न माननीय कृषि मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

14--श्री मोतीलाल देहलवी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

15-17--श्री ऊदल--

[23-2-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 143, 144, 145 द्वारा उत्तरित ।]

प्रोटोकोल अनुभाग, सचिवालय द्वारा भोजन एवं जलपान पर व्यय की गई धनराशि

18--श्री जंगबहादुर--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80 व 1980-81 में 1-12-80 तक प्रोटोकोल विभाग सचिवालय द्वारा कितना व्यय भोजन एवं जलपान पर किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रोटोकोल अनुभाग द्वारा वर्ष 1979-80 में 37,200 रुपये तथा वर्ष 1980-81 में 1-12-80 तक 29,500 रुपये, राज्य अतिथियों के भोजन एवं जलपान पर व्यय किया गया ।

गोरखपुर जिले के सोहगी बरवा-रोहुआ नाला मार्ग का निर्माण

19--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के सोहगी करबा में कितना जन सम्पर्क मार्ग अभी तक तैयार किया गया है ? इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई कितनी है तथा उस पर कितना धन खर्च किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद गोरखपुर में सोहगी बरवा अस्पताल से रोहुआ नाला तक 3 कि0मी0 लम्बाई के जनसम्पर्क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई थी, जिसमें से0 ·571 कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग तैयार कर लिया गया है तथा उस पर 7,206·00 रु0 का खाद्यान्न वितरित किया गया है ।

दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा सिंचाई की व्यवस्था

20--श्री अकबाल हुसैन--

क्या यह सही है कि गोंडा जनपद के आठ सौ राजस्व गांवों को नानाजी देशमुख द्वारा संचालित दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा पूर्णतः सिंचित कराया गया है ? यदि ऐसा नहीं है तो सरकार इस संस्थान द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विकास खंड, हरैया, जिला आजमगढ़ के सीमान्त कृषकों को उर्वरक पर दी गयी छूट

1--श्री पंचानन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में कुल कितने लघु एवं सीमांत कृषक हैं इनमें से कितने कृषकों को उर्वरकों पर दी जाने वाली छूट प्राप्त हुई है ? जिन कृषकों को यह छूट प्राप्त नहीं हुई इसके क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

हरैया विकास खंड में कुल लघु एवं सीमान्त किसानों की संख्या 9,860 है जिनमें से 2,297 लघु सीमान्त कृषकों को छूट पर उर्वरक वितरित किया गया है। इस विकास खंड में उर्वरक वितरण के लिए लक्ष्य का आधा कृषि एवं सहकारिता को दिया गया था । सहकारी समिति के सदस्यों को सहकारी विभाग से उर्वरक पर छूट अनुमन्य है ऐसी स्थिति में अन्य कृषकों को उर्वरक पर छूट केवल कृषि विभाग से ही सम्भव था परन्तु कृषि विभाग का लक्ष्य विकास खंड के कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत तक ही सीमित था ।

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ एवं बिलरियागंज विकास क्षेत्र में सीमान्त कृषको को उर्वरक पर दी गयी छूट

22--श्री पंचानन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लाक में कुल कितने लघु एवं सीमांत कृषक हैं । इनमें से कितने कृषकों को उर्वरक पर दी जाने वाली छूट प्राप्त हुई है ? जिन कृषकों को यह छूट प्राप्त नहीं हुई है इसके क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

विकास खंड अजमतगढ़ में कुल लघु सीमान्त कृषकों की संख्या 9,060 है जिनमें से 2,107 लघु सीमान्त कृषकों को छूट पर उर्वरक वितरित किया गया है। इस विकास खंड में उर्वरक वितरण के लिए लक्ष्य का आधा कृषि एवं सहकारिता को दिया गया था । सहकारी समिति के सदस्यों को सहकारी विभाग से उर्वरक पर छूट अनुमन्य है ऐसी स्थिति में अन्य कृषकों को उर्वरक पर छूट केवल कृषि विभाग से ही सम्भव था परन्तु कृषि विभाग का लक्ष्य विकास खंड के कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत तक ही सीमित था।

23--श्री पंचानन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज ब्लाक में कुल कितने लघु एवं सीमांत कृषक हैं ? इनमें से कितने कृषकों को उर्वरक पर दी जाने वाली छूट प्राप्त हुई है ? जिन कृषकों को यह छूट प्राप्त नहीं हुई हैं इसके क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

विकास खंड बिलरियागंज में कुल लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या 11,020 है जिनमें से 1,228 लघु एवं सीमान्त कृषकों को छूट पर खाद उपलब्ध कराया गया है । इस विकास खंड में उर्वरक वितरण के लिए लक्ष्य का आधा कृषि एवं सहकारिता को दिया गया था । सहकारी समिति के सदस्यों को सहकारी विभाग से उर्वरक पर छूट अनुमन्य है । ऐसी स्थिति में अन्य कृषकों को उर्वरक पर छूट केवल कृषि विभाग से ही सम्भव था परन्तु कृषि विभाग का लक्ष्य विकास खंड के कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत तक ही सीमित था ।

गोंडा जिले में आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत दिया गया अनुदान

24—श्री मंगल देव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोंडा में वर्ष 1980–81 के लिए आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितना अनुदान वितरित किया गया और इस हेतु अनुदान की कुल धनराशि कितनी थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गोंडा में वर्ष 1980–81 के लिए आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत सभी स्रोतों से उपलब्ध 55·79 लाख रुपये की धनराशि में से जनवरी, 1981 तक 46·813 लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में वितरित की गई ।

श्री राधेश्याम श्रीवास्तव, जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती–पत्र

25—श्री मोहन सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राधेश्याम श्रीवास्तव, जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की अनेकों शिकायतें शासन को मार्च, 1980 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और शासन ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इनका तत्काल स्थानान्तरण करा कर जांच करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ (डा0 राधेश्याम श्रीवास्तव) के विरुद्ध प्राप्त एक शिकायती–पत्र दिनांक 20 फरवरी, 1980 की एक प्रतिलिपि संलग्न है । आरोपों की पुष्टि और उस पर प्रकाश डालने के लिए सर्वप्रथम शिकायत–कर्ता को उसके द्वारा शिकायती-पत्र पर दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया गया, परन्तु पता अपूर्ण होने के कारण पत्र वापस आ गया । इसके बावजूद भी जांच करायी गई । जांच में कोई भी आरोप सही नहीं पाया गया । ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत शिकायती–पत्र के आधार पर स्थानान्तरण तथा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का औचित्य नहीं बनता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1197 पर)

26—श्री भीखा लाल—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई जिले के हत्याहरण तीर्थ के जीर्णोद्धार की मांग

27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत हत्या-हरण तीर्थ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए उसके जीर्णोद्धार किये जाने पर शासन विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद हरदोई के अन्तर्गत हत्याहरण तीर्थ का पुरातात्विक सर्वेक्षण उ० प्र० राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है । सर्वेक्षण के उपरान्त यदि उक्त स्थल ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय महत्व का सिद्ध हुआ तो जीर्णोद्धार के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में ही सम्भव हो सकेगा ।

हरदोई जिले की रामगढ़ (रुइया) रियासत के नरेश श्री नरपत सिंह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई

28--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में रामगढ़ (रुइया) रियासत द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुराना लड़ाई लड़ी गई थी और रामगढ़ नरेश नरपति सिंह आखिरी दम तक लड़ते-लड़ते शहीद हुए थे ? क्या शासन को यह भी जानकारी है कि रामगढ़ का किला भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या शासन, पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन विभाग के द्वारा इस किले का जीर्णोद्धार करके एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में उसे कायम रखने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

हरदोई जनपद की तहसील में बिलग्राम रामगढ़ (रुइया) रियासत के नरपत सिंह द्वारा 18 अप्रैल, 1858 की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज जनरल एड्रन होप मारे गये थे । नरपत सिंह के शहीद होने का ऐतिहासिक प्रमाण हरदोई जनपद के गजेटियर में उपलब्ध नहीं है ।

रामगढ़ के किले की ऐतिहासिकता का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । पुरातत्व एवं स्थापत्य की दृष्टि से भी किले का कोई महत्व नहीं है । अतः जीर्णोद्धार कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

चक गंजरिया फार्म, लखनऊ के कर्मचारियों का नगर प्रतिकर भत्ता

29--श्री सन्तबख्श रावत--

प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 7, दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुपालन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि चक गंजरिया फार्म, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को नगर प्रतिकर भत्ता देने के बारे में सामान्य तरीका अपनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

चक गंजरिया फार्म के पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है ।

नगर प्रतिकर भत्ता उन्हीं कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुमन्य है, जो नगर की अर्हकारी सीमाओं में रहते हैं । अत: नगर की अर्हकारी सीमाओं के बाहर रहने वाले कर्मचारियो पर लागू सामान्य तरीका अपनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग में पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति

30-श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ग 3 में कार्यरत कृषि स्नातकों की नियुक्ति वर्ग 2 में मार्च, 1977 से ज्येष्ठता सूची के क्रमांक को तोड़ कर की गई है ? यदि हां, तो अब तक कि ने कर्मचारियों की नियुक्ति और किस परिपत्र तथा नियम के अन्तर्गत ज्येष्ठता तोड़कर की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी नहीं ।

मार्च, 1977 से अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के 306 कृषि स्नातक सदस्यों की तदर्थ नियुक्तियां वर्ग-2 में सीधी भर्ती के कोटे के विरुद्ध उनकी परस्पर ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग से चुने हुए सदस्यों के आने तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासकीय कार्य के हित में कुछ समय के लिए की गयी हैं । उक्त नियुक्तियों के विरुद्ध वर्ग-3 के कुछ सदस्यों द्वारा लोक सेवा अधिकरण में निदेश याचिका दायर कर दी गई है ।

31-श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ग-3 से वर्ग-2 के पदोन्नति में पिछड़ी जाति के आरक्षण के अनुसार उनकी पदोन्नतियां की गई हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की और किस अनुपात में की गयी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 में, जितने सदस्य पिछड़ी जाति के हैं, उनकी ज्येष्ठता सूची अंतिम रूप से तैयार न होने के कारण पिछड़ी जाति के आरक्षण के अनुसार पदोन्नतियां नहीं की जा सकी हैं । पिछड़ी जाति के लिए 15% आरक्षण की तिथि (अर्थात् 13-1-78) से अब तक कुल 722 पदोन्नतियां की गई हैं, जिनमें से उपलब्ध सूचना के आधार पर 71 पिछड़ी जाति के सदस्य पदोन्नति पा चुके हैं, जिनका औसत लगभग दस प्रतिशत होता है ।

परगना सादुल्लानगर, जिला गोंडा के अन्तर्गत उर्वरक पर दी गई छूट

32-श्री मसरूर जाफरी--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील उतरौला, परगना सादुल्लानगर, जनपद गोंडा में जो छूट की खाद छोटे किसानों के लिए शासन द्वारा दी गयी है वह उनमें बट गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने छोटे किसानों में बंटी और कितनी अभी बाकी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जनपद गोंडा के सादुल्लानगर परगना के कुल 112 ग्रामों के केवल 4438 छोटे किसानों ने शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान पर उर्वरक प्राप्त करने हेतु मांग किया जिसमें से 3369 किसानों को अब तक इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है शेष 1069 कृषकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह सुविधा 31 मार्च, 1981 तक उपलब्ध है ।

लक्ष्मी ताल, जिला झांसी के सुन्दरीकरण की योजना

33—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि झांसी नगर में लक्ष्मी-ताल के सुन्दरीकरण करने हेतु शासन ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

लक्ष्मी ताल आदि के सुन्दरीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । उस पर अन्तिम निर्णय होने के बाद कार्य आरम्भ करने का प्रश्न उठेगा ।

भूमि सुधार निगम लि0, लखनऊ में सेवारत लखनऊ निवासी कर्मचारी एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता

34—श्री भीखा लाल—

क्या कृषि मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि शासन के आदेश के विपरीत द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जो लखनऊ जनपद के निवासी हैं और अपने गृह जनपद में ही ऊसर भूमि सुधार निगम में नियुक्त किए गए हैं और ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है तथा निगम का कार्य क्षेत्र लखनऊ तक ही सीमित है । निगम में द्वितीय व तृतीय श्रेणी के जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई उसमें से एक कर्मचारी का गृह जनपद लखनऊ है ।

35—श्री भीखा लाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर भूमि सुधार निगम में किन-किन विभागों से अधिकारी व कर्मचारी डेपुटेशन पर लाये गये हैं और उनको डेपुटेशन भत्ता समान रूप से दिया जाता है ? यदि नहीं, तो किस श्रेणी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को डेपुटेशन भत्ता दिया जाता है और किनको किनको नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार के विभेद का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 में कृषि, लघु सिंचाई तथा वित्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारी डेपुटेशन पर कार्यरत हैं और उनको प्रतिनियुक्ति भत्ता नियमानुसार दिया जा रहा है । भूमि संरक्षण नवाबगंज, उन्नाव की इकाई, जो निगम से सम्बद्ध की गयी है, उनको निगम के कर्मचारी न होने के कारण प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

स्वर्गीय श्री केशव प्रसाद सिंह, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, प्रतापगढ़ की पारिवारिक पेन्शन एवं ग्रेच्युटी

36—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री केशव प्रसाद सिंह, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (ई0 टी0 ओ0), प्रतापगढ़ की उनके सेवा में कार्यरत रहते हुए मई, 1974 में मृत्यु हो गयी थी ? क्या आज तक (15-1-81) इनकी पत्नी को पारिवारिक पेन्शन एवं ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं ? क्या सरकार इनके आश्रितों को देयों का शीघ्र भुगतान कराने तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, श्री केशव सिंह, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी की मृत्यु 23-4-74 को सेवा में कार्यरत रहते हुये हो गयी थी (मई, 1974 में नहीं), जी हां, भुगतान अभी नहीं हो सका है, क्योंकि श्री सिंह द्वारा भवन निर्माण हेतु लिए गए 24360.00 रु0 के अग्रिम में से 23,751.00 रु0 के समायोजन की कार्यवाही अभी विचाराधीन है ?

इस सम्बन्ध में तीव्रता से कार्यवाही की जा रही है। निर्णय होते ही श्री सिंह के परिवार को देयों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। इन परिस्थितियों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

आजमगढ़ जिले में पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि एवं सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पुष्टाहार केन्द्र

37—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1979 से 31 दिसम्बर, 1980 तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? और उसके अन्तर्गत कब, किस प्रकार की कितनी सामग्री ली गयी और उसमें से कितनी 31 दिसम्बर, 1980 तक व्यय की गयी और कितनी शेष है ?

श्री अम्मार रिजवी—

आजमगढ़ में पुष्टाहार योजनान्तर्गत चावल, दुग्धचूर्ण एवं सोयाबीन तेल के हैण्डलिंग चार्जेज एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग पर कुल रु0 2,02,000 की धनराशि व्यय हेतु आबंटित की गई है। दिनांक 31-12-80 तक इस मद पर रु0 34,593.64 का धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत शासन द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु 2,000 मै0 टन चावल, 20 मै0 टन दुग्धचूर्ण तथा 25 मै0 टन सोयाबीन तेल आबंटित किया गया है। उसमें से दिनांक 31-12-80 तक 527 मै0 टन चावल, 20 मै0 टन दुग्धचूर्ण तथा 9 मै0 टन सोयाबीन तेल वितरण/व्यय किया जा चुका है। 1474 मै0 टन चावल तथा 16 मै0 टन सोयाबीन तेल शेष है।

38—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1980 में कौन-कौन से पौष्टिक आहार

केन्द्र खोले गये और कब तक चले और उसमें विभिन्न प्रकार की कुल कितनी सामग्री व्यय हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दो विकास खण्ड अजमतगढ़ एवं हरैया पड़ता है । वर्ष 1980 में उक्त दोनों विकास खंडों में क्रमशः 31 एवं 25 पुष्टाहार केन्द्र खोले गए और ये विभिन्न अवधि तक चले । इन पुष्टाहार केन्द्रों के माध्यम से 286 कुन्तल 39 किलो 500 ग्राम चावल, 1500 किलो दुग्धचूर्ण तथा 634 किलो सोयाबीन तेल, 103 कुन्तल 4 किलो लकड़ी, 4 कुन्तल 84 किलो 500 ग्राम दाल तथा 189 किलो 750 ग्राम नमक तथा 21 किलो हल्दी का वितरण/व्यय हुआ है । विवरण संलग्न है ।†

कृषि विभाग के तिलहन पर्यवेक्षकों एवं कपास पर्यवेक्षकों की पदोन्नति का प्राविधान

39—श्री पंचानन—

क्या कृषि मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि क्या कृषि बिभाग के तिलहन पर्यवेक्षकों एवं कपास पर्यवेक्षकों की पदोन्नति का कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इनकी लम्बी सेवाओं को ध्यान में रखकर इस पर विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

पर्यटन निगम के कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि का भुगतान

40—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि की कितनी किस्तों का 20 अक्तूबर, 1980 तक भुगतान किया गया है ? यदि भुगतान नहीं हुआ है तो क्या सरकार शीघ्र भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के पर्यटक आवास गृह, इलाहाबाद तथा मुख्यालय के कर्मचारियों को दो किस्तों का भुगतान किया जा चुका है । शेष कर्मचारियों के भुगतान के सम्बन्ध में निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा कार से आगरा एवं दिल्ली की यात्रा

41—श्री रियासत हुसैन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनवरी, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक निदेशक पर्यटन ने कार द्वारा कितने ट्रिप दिल्ली तथा आगरे की और उन पर रेल द्वारा यात्रा न किये जाने का क्या कारण है तथा विभाग पर कार द्वारा की गई यात्रा का कितना खर्च पड़ा ?

†छापी नहीं गयी ।

श्री अम्मार रिजवी—

जनवरी, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक निदेशक, पर्यटन द्वारा पर्यटन निदेशालय को स्टाफ कार से कोई यात्रा लखनऊ से दिल्ली एवं लखनऊ से आगरा की नहीं की गई । अतएव विभाग पर खर्च पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन निदेशालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

42—श्री पंचानन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली बनी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो सेवा नियमावली कब तक बन जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

निगम के कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनी है । इस सम्बन्ध में निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मेरठ मण्डल में पर्यटन स्थल का चयन

43—श्री हुकम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ मंडल में वर्ष 1980 में पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए किन-किन स्थलों का चयन किया गया और इन स्थलों के विकसित होने की कब तक सम्भावना है एवं उक्त स्थलों के चयन का क्या आधार है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मेरठ मंडल में पर्यटन विकास के लिए वर्ष 1980 में निम्नलिखित पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है :—

(1) हिन्दन (गाजियाबाद) ।
(2) छूटमलपुर (सहारनपुर) ।
(3) गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ) ।

छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि में धन तथा भूमि की उपलब्धता पर ही उक्त स्थलों का विकास संभव हो सकेगा ।

पर्यटन विभाग की छठी पंचवर्षीय योजना की संरचना के लिए गठित कार्यकारी दल की संस्तुति के आधार पर उक्त स्थलों का चयन किया गया है ।

गोंडा जिले के परसपुर-पसका मार्ग का निर्माण

44—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में परसपुर-पसका मार्ग, जो विगत 5 वर्ष से निर्माणाधीन है, इस पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

45--श्री प्रभू नारायण सिंह--

[6ठें गुरुवार में तारांकित प्रश्न सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

46--श्री मित्रसेन--

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गण्डक समादेश के कर्मचारियों की मांगें

47--श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गण्डक समादेश के वर्ग तीन कर्मचारी अपनी 27 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दिनांक 1-12-80 से क्षेत्रीय कार्य बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या थी और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री अम्मार रिजवी---

गण्डक समादेश के वर्ग-3 के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में क्षेत्रीय कार्य बन्द नहीं किया था बल्कि अपने तृतीय वार्षिक अधिवेशन में 26 सूत्रीय मांगें परियोजना प्रशासक को प्रस्तुत की थी मांगों की सूची संलग्न* है । न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

*देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1199 पर।

गाजीपुर एवं बलिया जिले में एकीकृत विकास योजना एवं अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

48—श्री राम नारायण---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर एवं बलिया जनपदों में वर्ष 1975 से 1980 तक एकीकृत योजना एवं अन्त्योदय कार्यक्रम में किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि किन-किन विकास खण्डों में खर्च की गई है और एकीकृत योजना, जिन विकास खण्डों में लागू की गई है, उन क्षेत्रों में इस योजना के लागू करने के मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक आधार क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

दोनों योजनाओं में पृथक्-पृथक् व्यय विवरण संलग्न† है ।

एकीकृत क्षेत्र विकास योजना 6 चयनित विकास खंडों में लागू की जा रही है इस क्षेत्र में 52 प्रतिशत जोतें 0.5 हेक्टेयर से कम है; भूमिहीन एवं दुर्बल वर्ग के लोगों का बाहुल्य है तथा 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं; कृषि उत्पादकता बहुत कम है और अवस्थापना अविकसित है, ओद्योगीकरण का अभाव है । भीषण गरीबी के कारण हरिजनों एवं सवर्णों में तनाव है । इन सभी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना इस चयनित क्षेत्र में लागू की गई है । अन्त्योदय कार्यक्रम वर्ष 1978-79 से प्रारम्भ किया गया है ।

†छापी नहीं गई ।

बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में निकाली जा रही नहरों के लिए अध्यापित भूमि व फसल का मुआविजा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

पंतनगर में हुए गोलीकाण्ड के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

46--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1978 में पंतनगर में हुए गोली काण्ड से घायल और मृतकों को मुआवजे की धनराशि कितनी है और अभी तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में निकाली जा रही नहरों के लिए अध्याप्ति भूमि व फसल का मुआविजा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5 सूचनाएं स्वीकृत हुई हैं ।

[समय 12·20 अपराह्न]

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुमति से आदरणीय सदन तथा सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जनपद बहराइच की नानपारा तहसील में निकाली जा रही नहरों हेतु अध्यापित भूमि नहर विभाग के कर्मचारी एवं ठेकेदार बिना फसल एवं भूमि का मुआवजा दिए खोदने का प्रयास बराबर कर रहे हैं । किसानों द्वारा मुआवजा की मांग किए जाने एवं न मिलने तक रोके जाने की बातें कहने पर जान-माल की धमकियां देते हैं और स्वयं तथा पुलिस की सहायता से बल प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों में व्यापक असंतोष एवं भय व्याप्त हो गया है ।

सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि पुलिस भी नाजायज तौर पर औचित्य की सीमाओं को लांघकर उनकी मदद कर रही है । ग्राम हाड़ा, बसेहरी, भगवनपुर, कुयोना एवं पटना मलहीपुर आदि की घटनाएं इसका उदाहरण हैं । पटना मलहोपुर में तो बर्बरता की हद कर दी गई है । दिनांक 18 जनवरी, 1981 को माता प्रसाद नामक गरीब व्यक्ति के खेत जिस पर उसने सरकारी कर्जा ले रखा है वसूल नोटिस भी उसे प्राप्त हो चुकी है, पर नहर विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, मेट एवं थाना मल्लीपुर के छोटे दरोगा, श्री राम विलास सिंह व गंगा सिंह राठौर बलात कब्जा लेने का प्रयास किए जिस पर ग्राम प्रधान, श्री सूर्यबख्श सिंह ने श्रीमान् तहसीलदार नानपारा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 17-12-80 का हवाला देकर कब्जा न करने के लिए कहा । इस पर एस० आई० राम विलास सिंह ने प्रधान जी को थान चलने को कहा और थाने में ले जा कर उन्हें इस कदर मारा गया कि उनके हाथ-पैर टूट गए और सिर भी फूट गया । उनका फर्जी चालान भी करके जेल भेज दिया गया । दिनांक 20 जनवरी, 1981 को जिला चिकित्सालय से सूर्य बख्श सिंह ने कोतवाली

[श्री जटा शंकर सिंह--]

शहर में इस घटना की रपट भी लिखाई, इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं माननीय गृह राज्य मंत्री को दिनांक 6 फरवरी को कार्यवाही हेतु पत्र भी दिया। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं आई और जिला प्रशासन दोषी कर्मचारियों की पुरजोर मदद में लगा है।

अतएव मेरी शासन से मांग है कि कृषकों की अध्यापित भूमि एवं फसल का मुआवजा भुगतान करने के बाद ही भूमि की खुदाई की जावे। ऐसा सुनिश्चित कर आवश्यक निर्देश तत्काल जारी किए जावें तथा थाना मल्हीपुर की घटना के दोषी पुलिस कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित करके सक्षम विभाग द्वारा जांच करा कर दंडित किया जावे।

यूनियन इन्टर कालेज, रामनगर, जिला बाराबंकी के छात्रों एवं अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष के फलस्वरूप जिले की शिक्षण संस्थाओं में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला बाराबंकी अन्तर्गत यूनियन इन्टर कालेज, रामनगर के अध्यापकों एवं छात्रों में घोर असन्तोष व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप 2 मार्च, 1981 से कालेज में हड़ताल चल रही है। साथ ही साथ यूनियन इन्टर कालेज, रामनगर के समर्थन में तथा स्थानीय पुलिस के विरोध में जिले की अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें भी बन्द हो गई हैं, जिससे पढ़ाई का व्यापक नुकसान हो रहा है।

विद्यालय में हड़ताल का कारण यह है कि विगत फरवरी, 1981 के दूसरे सप्ताह में यूनियन इन्टर कालेज, रामनगर के प्रधानाचार्य पर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक हमला किया था, जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना रामनगर में की गई थी। परन्तु थाना इन्चार्ज श्री सी० बी० मल्ल अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया। बल्कि कहा यह जाता है कि वह उनसे सांठगांठ करके उन्हें बचाना चाहते हैं। घटना के प्रति स्थानीय पुलिस का उदासीनतापूर्ण रवैइया देखकर कालेज के अध्यापकों एवं छात्रों ने जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को स्थिति से अवगत कराया, फिर भी कोई नतीजा न निकलते देखकर हड़ताल करने पर तुल गए और जिले की समस्त शिक्षण संस्थायें बन्द हो गयीं।

शिक्षण संस्थाओं में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का मौलिक उत्तरदायित्व थाना इन्चार्ज, रामनगर पर आता है, जिसने तुरन्त कार्यवाही न करके अध्यापकों को हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि बाराबंकी के विद्यालयों में चल रही हड़ताल को अविलम्ब समाप्त कराया जाय और थाना इंचार्ज को निलम्बित करके उक्त घटना की जांच करके तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करायी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में हरिजन छात्रवृत्ति आदि सम्बन्धी घपला एवं गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्र सेन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से इस आदरणीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन और शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में हरिजन विषयक शुल्क, क्षतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी कई लाख के घपला एवं गबन का मामला प्रकाश में आया है। जिससे महाविद्यालय के छात्रों में घोर असन्तोष और आक्रोश व्याप्त है। माह नवम्बर वर्ष 1980 से जनवरी, 1981 के मध्य 3 लाख 50 हजार रुपया हरिजन छात्रवृत्ति आदि का धन प्राचार्य हस्ताक्षर से निकाल गया है। विशेषता यह है कि उस पर एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर भी नहीं है। इससे पूर्व भी लगभग 10 रुपये की धनराशि में घपला किए जाने के कारण एक लिपिक और एक चपरासी निलम्बित हो चुके हैं। उक्त महाविद्यालय की कक्षाओं में हरिजन छात्रों के फर्जी प्रवेश लिखकर लाखों रुपये की क्षतिपूर्ति तथा छात्रवृत्ति की धनराशि का गबन किया गया है। इस प्रकार महाविद्यालय में हरिजन छात्रों के मामले को लेकर गम्भीर रूप से आर्थिक अनियमितता एवं धोखाधड़ी की गई है, जिससे पीड़ित छात्रों में अशान्ति एवं आक्रोश का वातावरण व्याप्त हो गया है और छात्र आन्दोलित हो उठे हैं। महाविद्यालय के छात्रों एवं प्राचार्य के मध्य तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

देवरिया जिले के हाई स्कूल व इन्टर की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारित दूरी से अधिक रखे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, देवरिया जिले के अन्तर्गत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा केन्द्र 25 से 30 कि0 मी0 दूर होने से 5,000 से ऊपर छात्रों को परीक्षा देने में भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। कुशक इन्टर कालेज, बलटिकरा का सेन्टर 20 कि0 मी0 हाटा में रखा गया है। बुद्ध कुशीनगर इन्टर कालेज का केन्द्र 25 कि0 मी0 पडरौना में रखा गया है। इसी प्रकार से 50 से ऊपर विद्यालयों का सेन्टर 20 से 25 कि0 मी0 दूरी पर रखा गया है, जहां पर लड़कों के रहने की व्यवस्था नहीं है। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के लिए एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। इसी प्रकार प्राइवेट छात्राओं का सेन्टर 60 कि0 मी0 की दूरी पर रखा गया है, जिससे अभिभावकों में रोष पैदा हो गया है। जिले के अधिकारीगण बिना सोचे समझे इस प्रकार केन्द्र बनाये हैं कि लगता है कि छात्रों से इनका किसी प्रकार का मतलब नहीं है। जब कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि 8 कि0 मी0 से अधिक दूरी पर सेन्टर नहीं रखा जा सकता है।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के प्रश्न को लाकर माननीय शिक्षा मन्त्री से परीक्षा केन्द्रों को 8 कि0मी0 की दूरी पर करने की मांग करता हूं तथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील में मिट्टी के तेल व चीनी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(श्री माता प्रसाद पान्डेय के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने यह कहा था कि आपकी और दिवाकर विक्रम जी की मंशा एक ही है ।

*श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मान्यवर, मंशा तो एक ही है, लेकिन भाषा अलग है । महोदय, आप की आज्ञा से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत पिछले तीन महीनों से मिट्टी के तेल, चीनी का पूर्ण अभाव है । मुख्य रूप से विकास खंड इटवा, खुनियांव व भनवापुर में जनवरी माह से आज तक मिट्टी का तेल न तो स्टाकिस्ट को ही दिया गया और न ही किसी रिटेलर दुकानदार को अथवा साधन सहकारी समिति को आवंटित किया गया है, जिससे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है । शादी और महत्वपूर्ण अवसरों पर लोगों को अंधेरे में ही कार्य निपटाना पड़ रहा है । चीनी भी पिछले तीन माह से उपलब्ध नहीं है, व्यापारी हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर परगनाधिकारी की साजिश से तेल और चीनी उठा ले गए, लेकिन कहीं भी वितरित नहीं किया अब भी फरवरी माह की चीनी प्राइवेट लाइसेन्सी दुकानदारों को बैक डेट में देने की साजिश परगनाधिकारी कर रहे हैं । अभी तक फरवरी माह का चीनी का कोटा भी आवंटित नहीं किया गया है । मिट्टी के तेल के बारे में अतिरिक्त जिलाधिकारी से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती जनपद का मिट्टी के तेल का कोटा बहुत कम कर दिया है । इतनी बड़ी आबादी वाले जिले का कोटा बहराइच जैसे छोटे आबादी वाले जिले से आधा आवंटित किया गया है । इससे जनता में रोष व्याप्त है । सरकार से अनुरोध है कि वितरण प्रणाली को ठीक करके तेल के कोटे के आवंटन को बढ़ाकर जनता में व्याप्त असन्तोष को दूर करने का प्रयास करें ।

श्री मोती लाल वेहलवी—

एक हमारा भी है मान्यवर, बहुत जरूरी है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, सूचनायें बढ़ाने का आपको अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप खड़े तो हों पहले । क्या आप भी नियम 301 में पढ़ना चाहते हैं ?

श्री मोहन सिंह—

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, वह नहीं हो सकता । आप विशेषाधिकार का अपना प्रश्न उठायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दैनिक जागरण के सम्पादकीय लेख में छपे 'विधान सभा में विपक्ष' नामक शीर्षक के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, दैनिक जागरण के 5 मार्च के सम्पादकीय के विरुद्ध दिया है। उनके मालिक के विरुद्ध, पिछले दिनों 3 मार्च को उनके कर्मचारियों की हड़ताल गोरखपुर में चल रही थी, उसी के सिलसिले में ध्यान दिलाया था और उसके सम्बन्ध में वक्तव्य था जो स्वीकार कर लिया गया था और जो आने वाला है...

श्री उपाध्यक्ष—

मोहन सिंह जी, आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा लें, उसके बाद निर्णय देते समय जब मैं आपको सुनने के लिए कहूं तब आप सविस्तार कहेंगे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, 5 मार्च को दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में 'विधान सभा में विपक्ष' एडीटोरियल लिखा है। आप देखें बड़ी गम्भीर बातें लिखी हैं, इसमें अन्त में मान्यवर, लिखा है कि ये विधायक अगर वास्तविक रूप से जानकारी प्राप्त करने के बाद सप्रमाण कोई बात कहें तो उसका असर भी हो तथा सरकार भी इस बात से लिए बाध्य हो, कि वह अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करे। जिस तरह के झूठे मामले विपक्ष के बड़े नेता विधान सभा और विधान परिषद् में उठाते हैं और लफ्फाजी से भरे भाषण देते हैं, वह इस बात का सबूत है कि या तो वे हताश हो गये हैं या वे नितांत विवेकहीन हैं। कुछ बड़े नेताओं ने तो ऐसा लगता है, जैसे झूठ बोलने का ठेका ले रखा हो जैसे कि लोकदल के श्री मोहन सिंह। मान्यवर, एक तो स्पष्टरूप से मेरे खिलाफ है और मान्यवर, महत्वपूर्ण है विपक्ष की वह बात ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप आसीन हों। आपकी बात हमने सुनी। मैं इस पर सम्बन्धित अखबार के जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और उनकी जानकारी मिलने के बाद आवश्यक हुआ तो आप जो कोई भी जानकारी देना चाहेंगे उनको सुनूंगा।

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौन्सिल, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् व रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान सम्बन्धी सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

सदन को सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइफ कौन्सिल में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के 4 सदस्यों तथा रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए विधान सभा के 4 सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में पूरणीय रिक्तियों की संख्या से वैध नाम-निर्देशित सदस्यों की संख्या अधिक रह जाने के कारण उक्त तीन निकायों के निर्वाचन हेतु पूर्व निर्धारित

[श्री उपाध्यक्ष—]

कार्यक्रम के अनुसार मतदान आज दिनांक 9 मार्च, 1981 को 10·30 बजे से विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में प्रारम्भ हो गया है जो अपराह्न 4·00 बजे तक जारी रहेगा ।

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 में केवल 5 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं और सभी अस्वीकार की गयीं । केवल एक सूचना, एक और दो को, एक में सम्बद्ध कर दिया गया है जो श्री प्रदीप कुमार यादव और श्री ऊदल दोनों के द्वारा दी गयी थी । दोनों की मंशा एक ही है और वह है दिनांक 3–3–81 को वाराणसी जनपद में 'जनवार्ता' के सम्पादक श्री ईश्वरदेव मिश्र पर कुछ हमलावरों द्वारा प्राणघातक हमला करने के परिणामस्वरूप सम्पादकों और पत्रकारों में व्याप्त घोर असन्तोष एवं असुरक्षा से सम्बन्धित ।

इस सम्बन्ध में शासन को निर्देश दिया जा रहा है कि शासन इस पर वक्तव्य दे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने आगरा के बारे में सूचना दी थी कि वहां एक जखीरा सैन्य सामग्री का पकड़ा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं । एक बार जो विषय खत्म हो गया, उस पर सुनने की बात नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उसमें संबंधित जिलाधिकारी पर सत्तारूढ़ दल द्वारा दबाव पड़ रहा है क्योंकि जो व्यक्ति पकड़े गए हैं, वे संसद सदस्य श्री सिंह के निकटवर्ती हैं । शासन में प्रभाव रखने वाले हैं । शासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है । इसलिए मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह किस लिए कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं ग्राह्यता के बारे में दो शब्द कह रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन, काम रोको में उसकी ग्राह्यता नहीं हो सकती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अगर गम्भीर बात नहीं होती तो नहीं कहता । वह हमारी सुरक्षा से सम्बन्धित है । सेना का सामान वहां कैसे आ गया ? गोदाम को परमीशन कैसे दी ? तीन मंजिल मकान की बात है । दो लोग मारे गए और 5

घायल हो गए। मान्यवर, इसमें प्रशासन की गम्भीर अनियमितता की बात आती है और सत्तारूढ़ दल द्वारा दबाव डाला जा रहा है इसलिए मान्यवर, निवेदन है कि वक्तव्य दिला दें या चर्चा करा दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, वाराणसी वाला मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई औचित्य नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यादव जी ने कामरोको सूचना दी थी, उसमें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

क्या दो आदमी एक ही साथ बोलेंगे उचित बात के लिए ?

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, जो जखीरा पकड़ा गया है, वह सबके लिए महत्वपूर्ण है कि उसको ले लें। मान्यवर, निवेदन है कि वह केवल सूबे के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरनाक है।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव में नहीं आता। आप इसको और रफा में देते।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

वाराणसी वाले मामले में जो सूचना महत्वपूर्ण है, उसको देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना का समय नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

पत्रकार संघ ने तय कर लिया है। वक्तव्य देने में सुविधा हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य के लिए मिलें। सदन में नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इसलिए वक्तव्य तीन दिन में दिलवा दें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, वक्तव्य कब दिला देंगे ?

श्री उप.ध्यक्ष—

मैंने मद संख्या 8—वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक पर मतद.न ले लिया ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, वक्तव्य कब दिला रहे हैं ? बतला दें ।

श्री उप ध्यक्ष —

(संसदीय कार्य मंत्री जी से) मंत्री जी वक्तव्य कब दे रहें हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, तीन दिन के अन्दर वक्तव्य आ जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या 11 तारीख को वक्तव्य दे सकेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 12 तारीख को रख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, 12 तारीख को वक्तव्य आ जायगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मेरी बात सुन लीजिए। मान्यवर, रानीखेत में एक फैक्ट्री है वहां 26 तारीख से तालाबन्दी चल रही है। 27 तारीख से मजदूरों ने आन्दोलन कर रखा है ।

[12.40 मिनट]

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या 44—श्रम कल्याण तथा अनुदान संख्या 45—

श्रम सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,76,55,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, जो मजदूर निकाले गए हैं उन्होंने तमाम यातायात के रास्तों को बन्द कर रखा है । मैं वहां गया तो उन्होंने मेरा भी घेराव किया । मैंने श्रम मंत्री, मुख्य मंत्री से सम्बन्ध स्थापित किया ताकि कोई जवाब मिले । मैं चारों तरफ चक्कर काट रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने इस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी, आप बैठ जायं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट जी जो बोल रहे हैं वह लिखा न जाय ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45-श्रम विभाग (श्रम सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,05,36,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, इस प्रकार से मैंने अनुदान संख्या 44 और 45 के अन्तर्गत अपनी बजट मांग रखी है । मान्यवर, बजट पर चर्चा शुरू होती है तो 15 मिनट बाद भी यह अपनी बात कह सकते हैं । मुझे अपनी बात रखने दीजिए उसके बाद आप कहें ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट जी, सदन के कुछ नियम हैं, आप उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । आपकी कोई बात नहीं लिखी जायगी ।

(श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के कुछ कहने पर)

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

15 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप कह लीजिएगा ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

15 मिनट में कौन सा आकाश फटा जा रहा, इसलिए 15 मिनट के लिए आप बैठ जायं ।

(श्री जयवन्त सिंह विष्ट के बैठ जाने पर ।)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जब चर्चा के समय उत्तर देने का अवसर होगा तो उत्तर दूंगा । इसमें आपका और माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष --

आपको मैंने आदेश दिया, आप बोलें ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, आपके सामने जो 44 और 45 दो अनुदानें प्रस्तुत कर स्वीकृति चाही है उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हमारा श्रम विभाग बुनियादी रूप से 3-4 बातों को ध्यान में रख कर कार्य करता रहा है । सबसे पहली बात यह है कि औद्योगिक सम्बन्धों को, विद्यमान कानूनों और शासनतंत्र के अंतर्गत ऐसे कानूनों और शासन तंत्र जिनका निर्माण अधिकतर केन्द्रीय कानूनों के अन्तर्गत हुआ है उनमें सामाजिक न्याय की भूमिका पर खड़ा किया जाय इसके साथ ही साथ प्रदेश के श्रमिकों के ऐसे वर्ग को जो असंगठित हैं शोषण से बचाने के लिए तथा उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए प्रयास करना यह हमारा दूसरा चरण रहा है । इन दोनों के साथ ही साथ समाज में किसी भी प्रकार औद्योगिक सम्बन्धों के कारण साधारण लोगों को सेवाओं के अभाव के कारण या सामाजिक आपूर्ति के कारण कष्ट न हो इसको भी हमने देखने का प्रयास किया है । साथ ही साथ जो भी साधन उपलब्ध हैं उनके माध्यम से श्रमिक वर्ग के अन्दर समन्वयात्मक सांस्कृतिक चेतना पैदा करने की हमने चेष्टा की है ।

सांस्कृतिक उत्थान किस प्रकार हम कर सकते हैं इसके सम्बन्ध में हमने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की हैं इन चार उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रदेश का श्रम विभाग विगत 7 महीने से काम करता रहा है । चारों में मुख्य बिन्दु श्रमिक वर्ग के बीच में क्या औद्योगिक सम्बन्ध हों इसके सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि जब मैं पढ़ता था तब मेरे एक प्राचार्य थे---प्रो० मेनन, उन्होंने तय कर लिया था कि लड़का प्रश्न का उत्तर चाहे जितना अच्छा दे लेकिन एक सीमा से आगे उसको वे नम्बर नहीं देंगे उसी तरह यदि हमारे विरोधी दल के नेताओं ने प्रो० मेनन ऐसा निश्चय कोई कर लिया है तो मैं क्या करूं । यदि कहीं कोई मूल्य सेवाओं तथा उपलब्धियों का है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1980 में 10,78,000 कार्य-दिवसों का ह्रास हड़तालों के कारण हुआ ।

1976, के वर्ष में जिसे इमरजेन्सी का वर्ष कहा जाता है और जो अनुशासन पर्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सफल वर्ष था हड़तालों के कारण 12 लाख से अधिक कार्य-दिवसों का ह्रास हुआ था । 1980 की परिस्थितियों को देखते हुए जब आप पांच साल की हड़तालों की संख्या को देखेंगे तो निश्चय ही पता लगेगा कि हमने उस क्षेत्र में क्या उपलब्धि की है । 1979 में तो 15 लाख और 40 हजार कार्य-दिवसों का ह्रास हुआ था 1980 के वर्ष से डयोढ़ा मैंने यह माना कि उस दिशा में और भी सुधार की गुन्जाइश है । विरोधी दलों के नेताओं को हमारी सफलता के दावों पर आपत्ति रही है और रहेगी । लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि मेरी उपलब्धियों को देखकर मुझे नम्बर देते समय उनका दृष्टिकोण प्रोफेसर मेनन की तरह का न रहे ।

1980 का साल चुनाव का साल है, जिसमें न केवल लोक सभा के चुनाव हुए अपितु उसने विधान सभा के चुनाव भी देखे चुनाव का वर्ष असाधारण वर्ष हुआ करता है। यहां चुनाव के वातावरण की असाधारणता को भी नियंत्रण में रखा गया। हम इस कार्य में इसलिए सफल हुए कि हमारे विभाग के अधिकारियों का सदा से यह विश्वास रहा है कि सहमति पर और सुमति पर आधारित जो कदम लिया जायगा उसका प्रभाव दूरगामी और बड़ा प्रभावपूर्ण होगा। सहमति और सुमति प्राप्त करने के दो ही आधार हैं एक है विचार-विनियोग के माध्यम से किसी एक सहमति पर पहुंचना अथवा यदि ऐसा न हो सके तो किसी एक व्यक्ति को पंच मान उसे अपनी ओर से निर्णय का लेने का अधिकार दे देना। सहमति से नैतिकता का बल तो मिलता ही है, भावनात्मक बल भी मिलता है। सहमति में रागात्मक शक्ति होती है। उसमें वेग होता है। कानून उसके पीछे चलता है। जहां कहीं किसी विवाद में किन्हीं कारणों से सहमति नहीं हो सका हो लेकिन उसका किसी को पंच मानकर मामले का निपटारा कर लिया गया है गांधी जी के सत्य मार्ग का वह अनुसरण है। इन दो, आरबीट्रेशन तथा सहमति का रास्ता अपनाना कठिनाई का रास्ता है। उसे पार करने के लिए हम सभी लोगों की मदद चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन लोगों ने सहमति प्रस्तुत की, जिन लोगों ने अपने विवादों को पंच निर्णय के द्वारा निर्णीत कराया, जिन लोगों ने सहमति का रास्ता अपनाया उनके हम तथा हमारी सरकार कृतज्ञ है। उन्होंने अपनी सात्विक प्रवृत्ति का परिचय दिया है, हमारे लिए शासकीय कठिनाइयों को कम कर हमारे लिए सफलता का जो मार्ग प्रस्तुत किया, उसे हम कैसे भूल सकते हैं ?

श्रीमन्, यहां इससे पहले और बातों पर मैं आऊं, एक ही बात मैं पहले कहना चाहता हूं कि 1980 के वर्ष में जो भी हड़तालों की नोटिसें प्राप्त हुई और विभागीय हस्तक्षेप के द्वारा, उनमें से 88 सहमति के द्वारा समाप्त हुई। श्रीमन् उनका अच्छा-खासा भार हमारे विभाग के कंधों पर पड़ा। तो हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों ने जो श्रम किया है, उसके परिणाम आपके सामने हैं। आंकड़े कहते हैं कि 66 प्रतिशत हड़तालों को विभागीय अधिकारियों ने सहमति द्वारा तय किया। ऐसा रचनात्मक प्रयास कोई आसान बात नहीं है। निर्णय देना तो आसान है लेकिन जहां भिन्न-भिन्न विचारों के लोग इकट्ठा हों उन्हें एक ही विचार पर लाना समझाना, सहमति कराना, एक साधना है, एक तपस्या है। वह कोई कम वन्दनीय नहीं है। ऐसा तपस्या हमारे विभाग के अधिकारियों ने की।

इस बात में कोई शक नहीं कि कहीं पर भी हम असफल नहीं हुए। तो क्या इस बात की उसमें गुन्जाइश नहीं है कि हमें विरोधी दलों का सराहना प्राप्त हो। यह कहना तो मुश्किल है कि हममें हठवादिता में कौन कितना आगे है। जहां तक पक्षपात की बात है, जहां तक कानूनन पक्षपात संभव था वह पक्षपात श्रमिकों के साथ रहा है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। उन सज्जन का भी नहीं हो सकती जो सज्जन इस समय धीरे-धीरे गुनगुना रहे हैं इस सदन में। इस समय मैं चाहूंगा कि हमारे विरोधी दल के नेता हमको मार्गदर्शन दें इस डिबेट के बाद, खासकर इस बात में कि जो कारखानों के अन्दर व बाहर हिंसा प्रवेश कर गई है उसको कैसे रोका जाय। विशेषकर वह हिंसा जो मजदूरों की मांगों को लेकर उठती है। क्या उसे केवल संगठनात्मक तंत्रों से दूर किया जा सकता है ? यह चर्चा का विषय है तथा होना चाहिए। सदियों से इस

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--]

विषय पर मनुष्य सोचते आये हैं । मनीषी अपने सुझाव देते आये ह आर्थिक मामलों को, आर्थिक विवादों को हम क्या वर्ग संघर्ष पैदा कर हिंसा के द्वारा तय करें या विचार-विमर्श के द्वारा उस या निर्णय के या पंचायत के द्वारा या अन्य किसी मानवीय मार्ग के द्वारा तय करे इसको सोचना होगा । इस तरह चर्चा के द्वारा यदि हम किसी रचानत्मक बिंदु पर नहीं पहुंचते हैं तो निश्चय ही हमको समाज के अन्दर कानून को तिलांजलि देनी होगी । ऐसी स्थिति में समाज के अन्दर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति घर कर जायेगी जिसकी कल्पना करके लोग थर्रा उठते हैं और जिससे बचनें के लिए लोगों ने सदियों पहले से कल्याणकारी समाज की कल्पना कर रखी है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कई कारखाने ऐसे थे जो बन्द पड़े थे जिनके अन्दर विवाद का वातावरण हमारी सरकार का शासन प्रारम्भ होने से पहले प्रारम्भ हो चुका था हमने ऐसे प्रयास किए कि जिससे वे कारखाने खुले तथा मजदूरों को खोया हुआ रोजगार मिला । जे0 के0 रेयन0, कानपुर केमिकल्स तथा जे0 के0 अपरन का कारखाना चलाया गया । जो कुछ सुविधायें श्रमिकों को दी जा सकती हैं, दी गयीं ।

मैंने जैसे पहले कहा यह कोई हमारे विभाग के लिए कम उपलब्धि की बात नहीं । इमरजेंसी के वर्ष 1976 में जब 12 लाख कुछ हजार मैनडेज का लास हुआ 1980 के वर्ष में केवल 10 लाख कुछ हजार मैनडेज का लास हुआ जबकि यह चुनाव का वर्ष भी था । इस चमत्कार का केवल कारण यह था कि हमारा विभाग सम्मति, सहमति और सुमति के मार्ग पर चल रहा था । यह सहमति और सुमति आपसी समझ तथा सरकारी निर्णय से आती है । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग उद्योग का त्रिदलीय सम्मेलन हुआ । उस दिशा में कई प्रयास इसके पहले भी हुए, बैठकें हुईं, परिणाम कुछ नहीं निकला । उस त्रिदलीय सम्मेलन में मालिक और मजदूरों ने बैठ कर स्वयं निर्णय लिए । उन्हीं निर्णयों का परिणाम था कि उस उद्योग के श्रमिकों को 41 रुपये कुछ पैसे की वेतन में वृद्धि मिली । आप जानते हैं कि त्रिदलीय सम्मेलन में जो प्रतिनिधि आते हैं वे प्रदेश भर के मजदूरों व मालिकों द्वारा चुने हुए नेता होते हैं । अतः वे जब समझौता करते हैं तो उसक प्रभाव फील्ड लेवल तक पहुंचता है । उसके नीचे पहुंचते-पहुंचते कुछ न कुछ विसंगतियां पैदा हो जाती हैं । भले ही किसी कारखाने में उनके निर्णयों को लेकर आज भी झगड़ा चल रहा हो, कहीं कोई रिट में चला गया हो । जो लोग जनतंत्र के उपासक हैं, जो लोग जूडिशियरी की स्वतंत्रता के पुजारी हैं और जब तक पुजारी बने रहेंगे वे जानते हैं कि जब तक कानून के द्वारा रक्षा करने वाले वकील बने रहेंगे तब तक रिट दायर होती रहेंगी । उन पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है । उसकी वजह से कोई बात कहीं हो गई हो तो हम क्या करें । उनमें से कुछ लोग जो शिकार हुए हैं सामने बैठे हैं । लेकिन यह हमारी शक्ति से बाहर है । मालिकों की रिटों की मार से मजदूर को कैसे बचाया जाये उसका मार्ग दर्शन चाहेंगे आप से ।

दूसरी बात यह है, श्रीमन्, कि अगर पचास, साठ हजार इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री के मजदूरों के नेता तथा उनके मालिकों के प्रतिनिधि हैं, समझौते के द्वारा सिद्धि के लिए बधाई के पात्र हैं, तो प्रदेश के पत्रकारों, गैर पत्रकारों के नेता, प्रदेश के समाचार पत्रों के स्वामी भी उसी प्रकार की बधाई के पात्र हैं । जैसा सुन्दर समझौता उन्होंने त्रिदलीय सम्मेलन में कर के शासन के

सामने 16 जनवरी को प्रस्तुत किया, वह आज देश के अन्दर एक नमूना बन चुका है । भले ही व्यक्तिगत रूप से कोई मालिक कुछ कर रहा हो । दो ट्राइपारटाइट कान्फरेन्सों की बात जैसी थी, मैंने बताई ।

श्रीमन्, 30 जनवरी को गांधी जी के निधन के दिन, स्वच्छकार कहिए, सफाई मजदूर कहिये, दुर्बल से दुर्बलतम वर्ग कहिये, उन लोगों के लिए देश का पहला त्रिदलीय सम्मेलन, मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में हुआ । उसमें जो काम हुए वे वहां स्वीकृत 13 सूत्रीय कार्यक्रम में व्यक्त हैं । श्रीमन् हमें वे तो अभी तक इतिहास के पृष्ठों में कहीं भी उनके लिए वैसा कार्यक्रम देखने को नहीं मिला । त्रिदलीय सम्मेलन हुआ । उसमें जो निर्णय लिए गए उनके सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि इस सदन की, अर्थात् आप लोगों की, अनुमति ले कर यह काम हुआ । आप लोगों को कन्फिडेन्स में लेकर यह काम किया गया । पहले हम आप के पास आये, इस विधान सभा में आये, विधान परिषद् में गये । दोनों का आशीर्वाद प्राप्त किया उसके बाद वह काम किया । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह जो तरीका, हम लोगों ने अपनाया उससे बहुत कुछ सफलता मिली । बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो संगठित नहीं हो पाये, जो मूक हैं, जैसे फिरोजाबाद में कांच उद्योग में लगे हुए लोग, जो गरम भठ्ठियों के सामने मुंह से फूंक-फूंक कर शीशे का सामान बनाते हैं । उनकी कार्य-दशाओं की जांच के लिए एक अध्ययन मंडल नियुक्त है । वह कार्य कर रहा है । होटलों में भी शोषण देखने में आया है । वहां पर नौकर जो रखे जाते हैं उनका बुरी तरह शोषण होता है । उन लोगों की स्थिति की जांच के लिए भी शासन ने एक अध्ययन मन्डल नियुक्त कर रखा है । हमारे ऐसे प्रयास हैं जिनको हमने विवादों को एन्टीसिपेट कर के करना प्रारंभ किया । उनका हमको लाभ औद्योगिक शान्ति के रूप में मिल रहा है ।

श्रीमन्, इसी औद्योगिक प्रणाली के सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है । वह यह कि मजदूर संगठनों से कुछ बातों पर हम विशेष सहमति प्राप्त करने का प्रयास करने जा रहे हैं उनके नेताओं को हम बुलाकर उनके पारस्परिक झगड़ों पर उनसे हम विचार-विमर्श करने जा रहे हैं । उसके जो भी परिणाम होंगे उससे हम सदन को अवगत करायेंगे । यही एक आधार रहा है जिस पर हम आज तक काम करते आये हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे ।

कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सम्बन्ध हमारे 24 सूत्री कार्यक्रम से है । बंधुवा मजदूरी कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी है और उसके परिणामस्वरूप जो लोग बेकार हुये हैं उन्हें हम पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं । देहरादून और चकराता में हम ऐसे मजदूरों को पुनर्वासित करने में लगे हैं । हमने बांदा जिले के मानिकपुर तथा इलाहाबाद जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र को भी इसके लिये हाथ में लिया है जहां। वहां भी हम ऐसे बंधुवा मजदूरों को रीहैबिलिटेट करेंगे जो बंधन से छूटे हैं । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि जहां हम पहले 3 हजार रुपये फी व्यक्ति व्यय किया करते थे अब हमें 4 हजार रुपये फी व्यक्ति व्यय करना होगा, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हो गई है । दूसरी बात यह है कि हमारे लिये 24 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा खेतिहर मजदूरों की मजदूरी से सम्बन्धित कानूनों का अध्ययन करना और उनकी स्थिति को सुधारना है । इस सम्बन्ध में जो भी प्रयास हमने किये हैं वे आपके सामने हैं....

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

आपने 24 सूत्री कार्यक्रम बताया, 25वां क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऊदल जी, लगता है आप श्रम से इतने परेशान हो गए कि मुझको ही भूल गये ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

ऐसा है कि हमारे लिए 24 ही सूत्र रहने दिया जाये और जब स्वास्थ्य मन्त्री जी बोलें तो 25वां उनसे पूछ लीजियेगा । मान्यवर, ऐसी भी बात है कि सदन के समाप्त होने के बाद, जो अभी तक प्रदेश में नहीं हुआ है, वह यह है कि हम खेतिहर अजदूरों के विषय पर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की हम एक मीटिंग बुलाने वाले हैं । अभी तक किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है । इस प्रकार खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित संगठन की उनके बारे में जो भी राय उन्हें देनी है, वह मिल जायेगी । उस दिशा में हम एक योजना बना कर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं । जब सदन समाप्त हो जायेगा तब हम यह कार्य शुरू करेंगे ।

तीसरी बात प्रबन्ध में साझेदारी के सम्बन्ध में है । यह देश के लिए बुनियादी बात है क्योंकि यह गांधी जी के श्रम दर्शन पर आधारित है गांधी जी का आर्थिक दर्शन उनके श्रमदर्शन पर निर्भर है । वे चाहते थे कि श्रमिक और उद्योगों के स्वामी अपने आपको उद्योग का ट्रस्टी समझें । वे जनता के सामने आयें और अपने को उद्योगों के ट्रस्टी के रूप में प्रस्तुत करें, और यह तभी हो सकता है जब सामंजस्य, सहकारिता और सहयोग की भावना से लोग उद्योग चलायें । इसके सम्बन्ध में जो हमारी योजना है उसके कार्यान्वित करने के लिए हमारे 24 अधिकारी जुटे हुए हैं । यह सब जनता के सामने आने वाला है । हमारी स्कीम की विशेषता यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार के उत्पादन देने वाले कारखाने में मजदूरों के डायरेक्टर का भी चुनाव होगा । प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां कम्पनी ला का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए खेतिहर मजदूरों के कल्याण के साथ-साथ जो साझेदारी वाली प्रथा की बात मैंने कही, वह हमारे लिए एक बुनियादी बातें हैं । भविष्य में भी औद्योगिक सम्बन्धों का निरूपण हम उसी आधार पर करना चाहते हैं जिस पर अभी तक करते रहे हैं । अभी तक यह सहमति और पंचनिर्णय के आधार पर हम करते रहे । तो जहां मजदूर असंगठित हैं वहां हम उनको मिनिमम वेज ऐक्ट के अन्तर्गत संरक्षण देते हैं । उनका वेतन निर्धारित करते हैं । इस प्रकार के 49 उद्योग हैं । उनका विवरण श्रम विभाग की रिपोर्ट पृष्ठ 96-97 में आपको उपलब्ध है । बीड़ी उद्योग के क्षेत्र में हमारा इसमें अनुभव थोड़ा कम है । इसलिये उस सम्बन्ध में हम आपसे भी जानकारी चाहेंगे जो लोग तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं या जो बीड़ी बनाने में अथवा सिगार बनाने में लगे हैं आप बताएं कि हम उनकी दशा कैसे समुन्नत बनाएं । उनका वेतन निर्धारित तो हमने कर दिया । हम कुछ और भी करना चाहते हैं । जैसा बताया कि कुछ हम और भी करना चाहते हैं किन्तु और जनतांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं । श्रम आंदोलन में जनतांत्रिक तरीका वही माना जाता है जो मान्य श्रमिक संगठनों के परामर्श से अपनाया जाय । इसीलिये हम उनसे परामर्श करने जा रहे हैं ताकि बीड़ी मजदूरों का उत्थान हो सके ।

खांडसारी उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों के बारे में अधिक ध्यान अभी तक नहीं दिया जा सका था । जैसा मुख्य मंत्री जी ने सदन को एक दिन बताया था कि

उन्हें अभी तक 100 रु० महीना का न्यूनतम वेतन मिल रहा था अब उन्हें 261 रुपये प्रतिमास मिलेगा यह सब कैसे क्या हुआ किस तरह उसकी प्रगति हुई इसकी सूचना मुख्य मंत्री जी स्वयं सदन को दे चुके हैं इससे कम से कम 40 हजार मजदूरों को लाभ होने वाला है ।

आपको औद्योगिक अशांति किसी भी ऐसे उद्योग के कारखाने में नहीं मिलेगी जहां पर त्रिपक्षीय सहमति हो चुकी हो । जहां इस प्रकार की सहमति नहीं सम्भव हो पायी है वहीं हम को अशांति नजर आ रही है । हम एक को तय करने के बाद ही दूसरे को तय करने की बात कर सकते हैं । उसमें कोई आगे और कोई पीछे पड़ ही जाते हैं । इस विवादों का निर्णय लेबर कोर्ट द्वारा भी होता रहता है । अभी तक जो भी निपटारे एडजुडिकेशन द्वारा हुए हैं उनमें भी हमारे जजों ने 17 3 परसेन्ट मामले समझौतों द्वारा निपटाये हैं । बाकी में सुनवाई की बात हुई अथवा हो रही है । वह होती रहेगी और आगे भी होगी । इन सारी बातों का विहावलोकन करने के बाद आप देखेंगे कि यह सब हमने जिस तरह से किया । हमारे इन प्रयासों की याद आप प्रशंसा न करे कम से कम स्वीकार तो करें । क्योंकि आप सभी सदस्य-चाहे इधर के हों या उधर के शिकायत सुनते रहे हैं कि म्युनिसपैलिटी तो कायम हैं लेकिन सफाई करने वाले मजदूरों का तनख्वाह नहीं मिलता है 13 सूत्री कार्यक्रम में, जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की उसमें तेरहवां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । उसके अनुसार किसी भी हालत में जो पैसा म्युनिस्पैलिटी को मिलेगा, उसमें से उसे पहले उनको बकाया वेतन को अदा करना होगा । उसके बाद वे, फिर चाहे जो करें यह अत्यन्त महत्व-पूर्ण सूत्र है, इसका कार्यान्वयन सदन के माननीय सदस्य के सहयोग से ही सम्भव हो सकेगा । उन सूत्रों में एक सूत्र के अनुसार यह भी निर्णय हुआ कि आगामी चुनाव में यदि कोई स्वच्छकार म्युनिसपैलटियों में नहीं चुना जाता सरकार नामित कर उनके एक प्रतिनिधि को म्युनिसपैलिटी में सदस्य के रूप में स्थान देगी ।

उसमें यह भी तय किया गया है (उन 13 सूत्री कार्यक्रम में) कि किसी भी म्युनिसपैलिटी में कितने स्वच्छकार रखे जायं और उनका क्या वर्कलोड हो । इसका निर्णय हेल्थ मैनुअल के अनुसार होता रहा । उस हेल्थ-मैनुअल का भी पुनरीक्षण स्वच्छकारों के प्रधिनिधियों को लेकर किया जायगा । मैं समझता हूं कि इसके लिए शासन को सहना ही नहीं चाहिए । यही नहीं बल्कि उनकी कार्य दशाएं क्या हैं और उनमें क्या सुधार हो सकता है, इसका भी निर्णय शासन एक ऐसी कमेटी के द्वारा कराने जा रही है, जिसमें स्वच्छकारों के प्रतिनिधि रहेंगे । स्वच्छकारों के प्रतिनिधि को शामिल करके ही स्वच्छकारों की हर समस्या को हल करने की हमारी नीति है ।

पत्रकारों के बारे में जनवरी में हुए त्रिदलीय सम्मेलन में, जैसा हमने बात कही, पहला निर्णय यह हुआ कि फरवरी, 80 से लेकर जनवरी, 81 के बीच में अगर कोई कर्मचारी मिसकांडक्ट को छोड़कर किसी अन्य कारण से हटाया गया है तो माह मार्च 1981 तक काम पर वापस लिया जायगा । यह हमारा संकल्प है, जो 20 जनवरी को एक शासन की विज्ञप्ति द्वारा अभिसूचित हो चुका है । क्योंकि शासन का दृष्टिकोण है कि यदि किसी पत्रकार कर्मचारी ने कोई मिसकांडक्ट नहीं किया है, तो उसे केवल पालेकर अवार्ड के लाभों से वंचित करने के लिए ही उसे नौकरी से हटाया जाना गलत है । पालेकर अवार्ड में कौन अखबार किस श्रेणी में तथा कौन कर्मचारी किस ग्रेड में होगा, इन सबके निर्णय के लिये हर क्षेत्र में एक बोर्ड बना दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधि रहेंगे और उसके अध्यक्ष श्रम आयुक्त या अतिरिक्त श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त, जैसी उस मंडल की स्थिति हो, अध्यक्ष रहेंगे । पालेकर अवार्ड के पहले जो वेजबोर्ड के

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

पहले एवार्ड हुए, यदि उनके फिटमेन्ट में कोई कमी रह गई है तो उनका निराकरण, शासन ने एक आदेश दिया है कि श्रमायुक्त की वन-मैन कमेटी करेगी । बोनस के मामले बोनस ऐक्ट में स्वतः अधिकार पाने के कारण उन्हें लेबर कमिश्नर निपटायेंगे अभी तक पत्रकारों की कार्यदशाओं पर देश में किसी ओर से विचार नहीं हुआ । उसके लिये हमारी सरकार ने श्री राजाराम की अध्यक्षता में एक पैनेल बनाया है । वही पैनेल 'भारत' के मालिकों व मजदूरों के विवाद को भी हल करेगा । यह दोनों पक्षों ने माना है । सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि वह अपने ज्ञान से उस पैनेल को सहायता करें, ताकि शासन को उससे एक उपयोगी और दूरदर्शी रिपोर्ट मिल सके ।

विवादों को निपटाने के साथ श्रीमन्, शासन के ऊपर विभिन्न मजदूर कानूनों के प्रवर्तन का कम भार नहीं है क्योंकि हमारे विभाग को लगभग 40 अधिनियमों का कार्यान्वियन करना पड़ता है । जैसे कोई परीक्षक परीक्षार्थी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता चाहे जितना अच्छा वह उत्तर दे उसी प्रकार से विरोधी दलों के लोग हैं । फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत हमने 12,404 प्रोसिक्यूशन लान्च किए हैं । इतने कैसेज में प्रोसिक्यूशन लान्च करना एक मेहनत का काम है । हमने शौप्स एक्ट में 38,336 प्रोसीक्यूशन लांच किए हैं और मिनिमम वेजेज एक्ट में 7,664 । कुछ परीक्षक यह तय कर ही लेते हैं कि एक सीमा के आगे वे नम्बर देंगे ही नहीं, यदि आप लोग भी उसी विचार के हैं तो मैं क्या कह सकता हूं । मेरी प्रार्थना है कि आप दरियादिली से हमें नम्बर दीजिए ।

रही हमारी प्रशिक्षण योजना.... (व्यवधान)

यदि मजदूरों पर आपकी कृपा रही तो निश्चय ही मुख्य मंत्री जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी ।

जहां तक एप्रेन्टिसशिप योजना का प्रश्न है वह हमारी 24 सूत्री कार्यक्रम में एक है । यह वर्ष 1961 के केन्द्रीय कानून द्वारा चलती है । उसके सम्बन्ध में यहां मैं एक ही बात कह सकता हूं कि वर्ष 1979 में 7,049 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हुयी, अर्थात् स्थान खाली रहे । और आज केवल 4 हजार कुछ सौ जगहें खाली हैं, करीबन विगत वर्ष की आधी उसमें भी हमने एक हजार से ऊपर जो ऐक्ट के अन्तर्गत जो नोटिस दी जा सकती है दे दी । भर्ती में जो कमी रही वह कुल स्थानों का लगभग 33 फीसदी है । हमारे प्रदेश के पब्लिक सैक्टर्स में जैसे रोडवेज हैं या बिजली बोर्ड आदि हैं में जो रिक्तियां आदि नहीं भरी गयी हैं वे औसत 33 फीसदी से कम हैं । कभी कहीं 20 अथवा कहीं 25 फीसदी हैं । जो जनतंत्र की बड़ी दुहाई देते हैं वे नोटिस तो ले लेते हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं मानते, क्योंकि मुकदमों के लड़ने की उनमें असीम शक्ति है उनके पास बड़े-बड़े वकील लोग हैं । दफा 8 में नोटिस दी गयी हैं । इस कार्य में हमारी सरकार ने और शासन के अधिकारियों ने बड़ी दिलचस्पी ली है । हमारे श्रम सचिव हर मंडल में मंडलायुक्त के साथ बैठे उनसे अप्रेन्टिसशिप की योजना की समस्याओं पर खुलकर के बातें की । उसके बाद इतनी नोटिसें दी । फाइलों को देखने से ढूंढने पर भी, यह नहीं मिल कि वर्ष 1979 में जो 7,000 वैकेन्सीज रही, उनके न भरे जाने पर कितनी नोटिसें दी गई थीं । आज तक भी उनका पता नहीं चल सका है । 1979 में 7,049 जगह खाली रहीं और उनमें कितने नोटिस दिये गये वह मुझे आज तक नहीं पता लग सका । हमने तो हजार से ऊपर नोटिस दे डालीं हैं ।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सवाल है, इस में कोई संदेह नही है कि वह एक बड़ी समस्या है । उसका निदान बड़े पैमाने पर हो सकता है । केवल सेवायोजन द्वारा नहीं हो सकता । हमारा विभाग तो केवल रजिस्टर रखता है । सन् 1979 में एक अनौपचारिक फैसला शासन ने किया कि नियुक्तियां सीधे कर ली जायें, इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा प्रार्थना पत्र भेजना आवश्यक नहीं है । अब वह प्रक्रिया जो पड़ गयी, आज भी चली आ रही है । एक तरफ तो आपने (विरोध पक्ष) वह प्रथा हटा दी और दूसरी ओर आप ही हमसे सवाल करते हैं कि यह इम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा क्यों नही भर्ती होती है । इसमें श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । जब आपने इम्पलायमेंट एक्सचेंज की भर्ती के लिये अनिवार्यता समाप्त कर दी तो हम से क्या मांग रहे हैं ?

मान्यवर, हमारी एपरेन्टिसशिप योजना का उद्देश्य ही ह्यूमैन कैपिटल को क्रीएट करना है । उसके लिये ही आई० टी० आई० की तथा दूसरी प्रशिक्षण की योजनाएं चल रही हैं । आई० टी० आई० योजना के विरुद्ध हमारे पास बहुत सी शिकायतें आई हैं और उसके सम्बन्ध में बहुत से सुझाव आये हैं । आई० टी० आई० की पढ़ाई में क्या खामियां हैं, उनको जानने के लिये उनमें क्या-क्या सुधार किये जायें इसके लिये हमने एक कमेटी बनायी है जो उन विषयों पर विचार करेगी । यह प्रदेश की पहली कमेटी है जहां कर्मचारियों की यूनियन के प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी भी सदस्य बनाये गये हैं उसमें प्रभावशाली स्वतन्त्र ऐसे लोगों को भी रखा गया है जो पालिटिकल पार्टी में नहीं हैं । शासन के बाहर के लोगों को भी रखा है जो पढ़ाते हैं उनके प्रतिनिधियों को भी रखा है ।

मान्यवर, हमारे पास आई० टी० आई० के सम्बन्ध में अनेक सुझाव आये हैं कहीं-कहीं पर ट्रेड खोलने के लिये और कहीं आई० टी० आई० खोलने के लिये भी सुझाव दिये गये हैं । हम अपनी आर्थिक सीमा के अन्दर उन सब पर विचार कर रहे हैं । इस सदन के उठने के बाद हम अपने विभागों की कन्सलटेटिव कमेटीज की मीटिंग बुलायेंगे और जो सुझाव सदन में रखे गये हैं तथा इस बीच आयेंगे उनको उनके सामने विचारार्थ रखा जायगा ।

श्रीमन् इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदस्यों से आग्रह करें कि मेरे बजट को वे स्वीकार करें ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी के लच्छेदार भाषण पिछले वर्ष भी सुनने को मिला था और इस वर्ष भी सुनने का मौका मिला । माननीय मन्त्री जी ने कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों को यहां खड़ा कर दिया है । उन्होंने कहा कि क्या श्रमिकों की समस्याओं को वर्ग संघर्ष पैदा करके सुलझाया जा सकता है । उन्होंने कहा

[श्री ऊदल--]

कि क्या हिंसा के बल पर उसको सुलझाया जा सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि क्या विचार-विमर्श के द्वारा इसको हल किया जा सकता है। इस मौके पर तीन प्रश्न इन्होंने उपस्थित किया। मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से पहले इन्हीं प्रश्नों को लेना चाहता हूं, क्योंकि विभाग की सफाई हो जाय। पहला तो यह है कि जब तक समाज में वर्ग रहेगा, आप जान लीजिए, तब तक वर्ग संघर्ष चलेगा, वह अनिवार्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता और जो रोकने की कोशिश करेगा, वह रौंदा जायगा और इसी गति से समाज है, आज चल रहा है जमींदारियां खत्म हो गयीं, राजा रजवाड़े खत्म हो गये, अंग्रेज चले गये। नम्बर 2--श्रीमन्, अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि हमारे संविधान में मजदूरों को क्या मौलिक अधिकार, अपनी मांगों को हासिल करने का, प्रदर्शन करने का, हड़ताल का मांगपत्र पेश करने का, ज्ञापन देने का है या नहीं है? अगर है, तो प्रश्न अब खड़ा होता है श्रीमन्, विचार करने का कि आखिर यह वर्ग संघर्ष या हड़ताल या घेराव करने, प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आती है। यह प्रश्न उपस्थित होता है, क्या मजदूर पागल हो गया है? तो जब वह पागल नहीं हो गया है, तो जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वह अनुनय-विनय करके, ज्ञापन देकर प्रतिनिधि मंडल भेजकर जब लाचार हो जाता है, तब हड़ताल करने के लिए बैलेट देता है और बैलेट जो कि मजदूर का आखिरी हथियार है, जब उसका मसला तय नहीं होता है, तब वह 15 दिन, 20 दिन की नोटिस देता है कि तब तक भी मालिकान सुधर जायं। अगर मालिकान होश में नहीं आते, तब

(व्यवधान)

श्रीमन्, यह शोर शराबा हो रहा है, इधर से भी और उधर से भी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी काशी को काशी से शिकायत है।

श्री लोकपति--

क्षमा चाहता हूं।

श्री ऊदल--

तब मान्यवर, मजदूर मजबूर होकर अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करता है और जब मजदूर ऐसा करता है वहां पर सरकार की नीयत हमें देखने को मिलती है और जब कभी-कभी ऐसे मौकों पर मालिकान तालाबंदी करते हैं, तब ऐसे मौकों पर सरकार तंत्र सरकारी पुलिस किसकी तरफ खड़ी होती है, यह विचारणीय प्रश्न है, मजदूरों की तरफ से या मिल मालिकों की तरफ से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, इस सिलसिले में समझौते तो बहुत से हुए, जिसमें अक्सर यह बात देखने में आयी है कि मजदूरों ने मान लिया, सरकारी प्रतिनिधियों ने मान लिया, लेकिन मालिकान नहीं माने, यह तमाम उदाहरण इतिहास के पन्नों में देखे जा सकते हैं। अगर मालिकान समझौते को नहीं मानते तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने अब तक ऐसे मालिकों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो सिद्धान्त बताये हैं। महात्मा गांधी जी का सिद्धान्त वह आज के इस युग में फिट नहीं हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि राजाओं को हमारे यहां भगवान माना जाता है, लेकिन आज यह बात लागू नहीं होती।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

यह राजागण आज भी भगवान हैं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, जमाने को देखते हुए यह सिद्धान्त आज जो एक दर्शन के रूप में सामने आये हैं । ऐसा कोई भी पूंजीपति हमें देखने को नहीं मिला । केवल आप श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका आप लोग बहुत जिक्र करते हैं दूसरे हमारे बनारस के महाराजा हैं, जिन्होंने विनोवा भावे के अन्तर्गत उनके पास जितनी जमीन थी, सब दान में दे दी । मैं मान्यवर, नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं कि एक भी पूंजीपति का आप उदाहरण दे दें, जिसने मजदूरों के हित में ट्रस्टी जैसा व्यवहार किया हो । हमारे यहां एक दानवीर है । बिड़ला कानपुर में जिन्होंने बिड़ला मन्दिर बनवाया है । हमारे यहां पूर्वी में कहावत है कि "सुई का दान और लोहार जी निहाई रखता है, निहाई की चोरी" । यह बिड़ला और टाटा उनकी निहाई जैसे चोरी करते हैं पर जमाना बदल गया है । अगर मजदूरों के हित में अंकुश नहीं लगाया जायेगा तो चाहे जितने अच्छे कानून, चाहे कितनी अच्छी घोषणायें क्यों न हों और चाहे कितने ही अच्छे ट्रस्टी क्यों न हों, मजदूरों का हित करने वाला कोई नहीं है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं बिड़ला जी का हिन्डालको का कारखाना है । उस क्षेत्र में बिड़ला का साम्राज्य है । मजदूरों की मीटिंग नहीं हो सकती । पूरे शक्तिनगर और हिन्डालको कोटा आदि सभी जगहों पर 144 लगी हुई है । पचासियों मजदूर निकाल दिये गये हैं । आप उसको ट्रस्टी बना रहे हैं । जितना बड़ा जालिम वह है उतना कोई नहीं है । आपने जिक्र किया बैलट से हड़ताल होती है । बहुत से कारखानों में बहुत सी यूनियनें ऐसी हैं जो अल्पमत में हैं लेकिन सत्ता पक्ष में होने के कारण उनको मान्यता मिली हुई है । ऐसे लोग वहां मालिकान से मिलकर झगड़े करवाते हैं । वे आतंक फैलवाते हैं और हिंसा करवाते हैं । इन सब चीजों पर अगर ठंडे दिल से विचार नहीं होगा तो सैद्धान्तिक बातों को उठाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

1980-81 का बड़ा जिक्र किया गया कि अधिक दिनों का बहुत कम लास हुआ । बड़ी आशायें थी इन्दिरा गांधी जी से, वह देश की प्रधान मंत्री हैं । चुनाव में आप लोग विजयी हुये । मैं जान सकता हूं कि पिछले साल महंगाई का इंडेक्स क्या है ? उस इंडेक्स के बाद जब महंगाई नहीं मिली मजदूर को मजदूर अन्दोलित हुआ या नहीं होगा यह मैं जानना चाहता हूं ? सैद्धान्तिक सवाल में उठाना चाहता हूं । 1980-81 में महगाई 35 फीसदी से लेकर 65 फीसदी तक बढ़ गयी है । मजदूर चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो अथवा पब्लिक सेक्टर में, यदि महंगाई की मांग करते हैं तो क्या बुरा करते हैं । यदि हमारा लेबर विभाग या भारत सरकार इस इन्डेक्स को नहीं जोड़ते हैं तो मजदूर अपनी मांग के लिये आन्दोलन कर सकता है । दूसरा रास्ता यह हो सकता है, मजदूरों को अगर सस्ता सामान मिले और सामान की कीमत न बढ़े तब मजदूर को आप उपदेश दे सकते हैं कि मंहगाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है । पिछले साल भी मंत्री जी से निवेदन किया था और इस साल भी कह रहा हूं कि श्रम विभाग अच्छी तरह से संगठित नहीं है । मिनिमम वेजेज ऐक्ट तथा फैक्ट्री ऐक्ट बहुत सी जगहों पर जहां 200 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं नहीं लागू होते हैं और न हमारे श्रम विभाग के लोग ठीक से उनका निरीक्षण ही करते हैं, न उसकी रिपोर्ट ही करते हैं, न उनको पनिश करने के लिये कोई कार्यवाही करते हैं ।

[ऊदल, श्री--]

में निवेदन करना चाहूंगा कि कांच उद्योग का आपने जिक्र किया। चमड़ा उद्योग, बनारस में मिर्जापुर में कालीन उद्योग, आपने 3 साल के आंकड़े दे दिये एक सवाल के उत्तर में। लेकिन आज मजदूर की जो हालत कालीन उद्योग में, जहां संगठित मजदूर है, जहां 10 सौ 25 सौ, उनकी हालत बहुत खराब है और उनके लिये श्रमहितकारी केन्द्र और आपका श्रम विभाग जो कुछ कर रहा है वह नगण्य है। कांच उद्योग की हालत बहुत खराब है फिरोजाबाद में। चमड़ा उद्योग हमारे राज्य मंत्री जी नोट कर रहे हैं कानपुर से सम्बन्धित है। चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में जाजमऊ क्षेत्र में कितनी हालत खराब है, गन्दगी का साम्राज्य व्याप्त है अस्पताल नहीं है। मजदूर की तनख्वाह नहीं है। मैं तो चाहता था दीक्षित जी से श्रम मंत्री जी से कि पिछले साल जो घोषणायें की कम से कम उसकी एक समीक्षा आप यहां कर देते कि हमने पिछले साल बजट के अवसर पर जो कहा था उसमें यह सफलता मिली है या नहीं मिली है। लेकिन मुझे दुख है आपने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है सफलता बहुत कम हासिल हुई है और ज्यादा सफलता नहीं मिली। हाथरस में 3 सूती मिलें बन्द हैं प्राइवेट लोगों की। वर्षों वर्षों से बन्द हैं और ऐसी मिल कानपुर में भी है। मैं चाहता हूं कि सर्वेक्षण हो पूरे सूबे भर का, कितनी पुरानी मिलें मिल मालिकों के झगड़े के कारण बन्द पड़ी हैं और उनको चलाने के लिये कोई कारगर तरीका निकाला जा सकता है।

माननीय मंत्री जी ने लच्छेदार भाषण में पालेकर ट्रिब्यूनल का जिक्र किया, आपने जिक्र किया, सरकार सक्षम रही। त्रिदलीय सम्मेलन के बाद गठित कमेटी ने एक महीने में कुछ नहीं किया। सभी समाचार पत्रों के कर्मचारियों की श्रेणी गलत दिखा दी और सरकार द्वारा गठित कमेटी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पालेकर एवार्ड लागू होने पर इलाहाबाद में 'भारत' और 'दैनिक जागरण' बरेली में 'विश्व मानव' और अन्य मालिकों ने जानबूझकर अपने पत्र बन्द कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास हिम्मत है कि पालेकर एवार्ड लागू करने के विरोध में जिन पत्रों ने अपने पत्र बन्द किये हैं सरकार उन पत्रों को चालू कराये और मैं जानना चाहता हूं कि भारत के मामले में क्या कार्यवाही की गई। किसी चीज को टालने के लिए, कमेटी और आयोग बना दिया जाता है। सरकार सक्षम है या नहीं। यह पत्र बिड़ला का है जिसको आज भी 2 पैसे यूनिट में बिजली देते जा रहे हैं। आप किस मुंह से कह सकते हैं। और बिड़ला के साथ बिजली देने का अगर किसी ने समझौता किया था तो जिस दल के आप हैं, 59 में मैं भी यहां था, उसी दल की सरकार ने उसी दल के मुख्य मंत्री ने पौने दो पैसे फी यूनिट देने का फैसला किया था और बीसों करोड़ रुपया बकाया है और उसके खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कोई कार्यवाही कर सकें। गैर पत्रकार श्रमिकों के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है "आज" लड़ाई के जमाने का है। अब वह विज्ञापन का अखबार हो गया है। पैसा कमा रहा है। सरकार भी दे रही है और पूंजीपति भी दे रहे हैं। कानपुर से भी निकलने लगा है और 'जागरण' जो है उच्च न्यायालय में चला गया है, स्टे ले लिया है। आप भी कहेंगे और हम भी कहेंगे, उसके लिए क्या चारा है। और यह भी मैं जानना चाहूंगा कि पालेकर अवार्ड को कितने पत्रों ने नहीं लागू किया है, कितनों ने बन्द किया है, कोई आंकड़े आपके पास हैं तो आप बता दें अपने उत्तर में।

श्रम अदालतों की कमी है। पिछले साल भी मैंने आपको इंगित किया था क्योंकि श्रमिकों के बहुत से मामले बिना निपटाये पड़े हैं। आर्बीट्रेशन में बहुत

पड़े हैं और उनके मामले श्रीमन्, अगर फैसला हो भी जाता है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की है, श्रम मंत्रालय की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रत्येक पिछले वर्षों में कितने फैसलों को लागू कराया गया, मालिकों को दबाया गया ?

मान्यवर, साझेदारी की बात। प्रबन्ध में साझेदारी आप करिये, हिस्सा दीजिए, इसका तो पिछले साल ही स्वागत किया गया था लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कितनों में साझेदारी दी है, अगर आप बता देते तो आप की पीठ थपथपाते, पीठ न थपथपाते तो कम से कम मेज ही थपथपाते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्रमिकों को बारगेन करने का पूरा अधिकार है। संविधान में है, अगर सरकार श्रमिकों की रक्षा करना चाहती है, मान्यवर, बाराबंकी में एक पोल फैक्ट्री बन्द है, जसवन्त सिंह बिष्ट भी चिल्ला रहे थे कि इनके यहां एक फैक्ट्री है श्रीमन्, कुमार ब्रान्ट फैक्ट्री, ताड़ी खेत और रानी खेत में महीनों से बन्द है। मजदूर मारे-मारे फिर रहे हैं। आप इसका निदान कीजिए।

भविष्य निधि पर मैं आता हूं। अखबारों में कभी-कभी पढ़ने को मिलता है कि ये पैसा मजदूरों को जो रिटायर हो जाते हैं, उनके बीमे का है, ग्रेच्युटी का है, उन सबको समय से मिलना चाहिये लेकिन जो हमारा कानपुर का कार्यालय है भविष्य निधि का, यह कार्यालय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अक्षम है। मजदूरों को कई बार दौड़ना पड़ता है। कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर मजदूरों ने क्लेम किया तो उनके घर पर पैसा पहुंच जाना चाहिये। मान्यवर, इन्योरेन्स में पैसा जाता है सरकार का, मजदूरों का और मालिकों का। क्या यह बात सही नहीं है कि सरकार ने पैसा जमा कर दिया, मजदूरों का जमा हो जाता है, लेकिन मालिकान नहीं जमा करते। कौनसी कार्यवाही सरकार ने की है मालिकान पर पैसे को न जमा करने पर। यह पैसा जमा नहीं हो पा रहा है।

इसी तरह से ये जो हमारे बीमा के अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं। क्योंकि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उन्हीं अस्पतालों से मिलती है, इसलिए उन अस्पतालों को ठीक करायें। इसी तरह से लेबरों के रहने के लिए पिछली बार कानपुर में किदवई नगर में कालोनी के बारे में जिक्र किया था। मजदूरों को वह नहीं मिला। हमारे वाराणसी में लेबर के लिये कालोनी बनी है। टेढ़ी नीम, लहुराबीर के बगल में। वह मजदूरों को नहीं मिली। यही हालत सभी जगह है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों के रहने के लायक क्वार्टर्स बनाये जायं। किदवई नगर में बड़े-बड़े क्वार्टर्स हैं। वे मजदूरों की हैसियत के बाहर हैं। उनमें प्राइवेट लोग कब्जा कर लिये हैं, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रबन्ध होना चाहिये मजदूरों के रहने के लिए, उनको सुख-सुविधा के लिए और मजदूरों के मनोरंजन के लिए। और जहां मजदूरों की बस्तियां हैं, वहां सफाई के लिए व्यापक इन्तजाम होना चाहिये।

अब श्रीमन्, आता हूं कि आई० टी० आई का जिक्र आपने किया। आई० टी० आई० खोलना, मेरा अपना ख्याल है कि यह बहुत अच्छा उद्देश्य है। लेकिन जो इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति आज तक नहीं हुयी और न आगे होने की सम्भावना है क्योंकि न लोगों के पास खुद का पैसा है, और न साधन है और न रा-मैटेरियल है और इच्छा भी नहीं है। और अगर इच्छा भी हो, तो दीक्षित जी, सिद्धांत की बात उठाता हूं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योग चाहे हथ करघा उद्योग हो, चाहे पीतल उद्योग हो, चाहे पावरलूम उद्योग हो--ये चौपट हो रहे हैं क्योंकि पूंजीवादी जगत में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जायेगी। छोटे उद्योगपति बड़े उद्योगपतियों के सामने टिक

[ऊदल, श्री--]

नहीं सकते । महंगा पड़ता है, तो उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसकी पूर्ति कर सके ?

इसके बाद, मान्यवर, कहना चाहता हूं कि अप्रेन्टिस ऐक्ट में अप्रेन्टिसशिप देने की व्यवस्था की गयी थी । आपने 79 का हवाला दिया । 78 का भी दे सकते हैं । मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया तो विभाग ने किसी के साथ प्रयास किया होगा।

(इस समय 1 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भीखा लाल पीठासीन हुये ।)

लेबर डिपार्टमेन्ट का दायित्व है कि लोगों को अप्रेन्टिस ऐक्ट में अप्रेन्टिसशिप दिलवाये और जो लोग नहीं मानते उनके खिलाफ ऐक्शन करे । आगे के लिये कहना चाहता हूं कि अप्रेन्टिसशिप ही देना काफी नहीं है क्योंकि अप्रेन्टिसशिप देने के बाद जब अप्रेन्टिसशिप का वक्त खत्म हो जाता है, तो अप्रेन्टिसशिप करने के बाद भी नौकरी के लिए मारे-मारे फिरते हैं । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो जहां उस ट्रेड के लिये अप्रेन्टिसशिप को भेजा जाता है उसमें जो जगहें खालीं हैं क्या आप उनके लिये कोई नियम या कानून बनाने के लिए तैयार हैं। अप्रेन्टिसशिप वालों को प्राथमिकता देकर रखा जायगा इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है । आपके जितने आई टी0 आई0 हैं उनकी मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं । उनको ओवरहाल करने की आवश्यकता है और थोड़ा-थोड़ा करके उनको बदलने की आवश्यकता है ।

मैं चाहता हूं कि कुशल कारीगरों को आप ट्रेंड करें । यह आप जान लीजिए कि यह वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है । बिना कुशल लोगों के कोई भी देश न तो आधुनिक बन सकता है और न विकास कर सकता है । ट्रेंड और कुशल कारीगर, मजदूर, वैज्ञानिक लोग ही देश को आधुनिक बना सकते हैं । इसलिए हमारा, आपका, सबका कर्त्तव्य हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुशल कारीगर, वैज्ञानिकों को पैदा करें ताकि देश आगे बढ़ सके । नहीं तो यह जो घुड़दौड़ हो रही है, अभी भी दुनिया में हमारा देश विकास के लिहाज से 113वें नम्बर पर है । जब हम उनके बराबर पहुंचेंगे तो वह देश कहां पहुंच जायेंगे इसकी माननीय मंत्री जी और हम सब कल्पना कर लें । इसलिए मैं चाहता हूं कि समय रहते चेतें और जो पुरानी रूढ़ियां और पुराने कायदे कानून हैं जो समाज की प्रगति के बाधक हैं उनको बदलने की आवश्यकता है । अगर आपने इनको दूर करने का रास्ता नहीं ढूंढ़ा तो इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता है, इसलिए मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई कहता हूं जो आपने ट्रस्टी वाली बात कही थी उस सम्बन्ध में मैं एक चौपाई कहता हूं । "खल सम बिनय कुटिल सम प्रीती," यह जितने पूंजीपति लोग हैं, अभी 3-4 दिन पहले पार्लियामेन्ट में एक सवाल हुआ था कि जो उच्च घराने हमारे देश में हैं उनकी पूंजी कितनी है ? तो जवाब आया कि कुछ कम एक खरब है । मैं निवेदन करना चाहता हूं ? कि हमारे देश में पूंजीपति बड़े-बड़े घराने हैं, उनकी पूंजी 50 फीसदी से ज्यादा है, वह देश के मुकद्दर को संचालित कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप सैद्धांतिक बहस कराइये, मैं तैयार हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फैक्ट्री ऐक्ट, मिनिमम वेजेज ऐक्ट, जब इसी को हम लागू नहीं कर पाये हैं, मैं फिर मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश का सर्वे होना चाहिये, खांडसारी उद्योग, शुगर मिल, इंजीनियरिंग और दूसरे लघु उद्योग हैं, कालीन और कताई उद्योग, इनमें

बहुत जगहों पर कायदे-कानून नहीं लागू हैं । आप एक सर्वे कराकर कुछ इनके बारे में सोचिये और जो श्रम कानून पुराने पड़ गये हैं और मालिक लोग समझौतों को नहीं मानते, फैसलों को नहीं मानते, उनको लागू कराने के लिये कौन सा रास्ता कारीगरों और मजदूरों के लिये हो सकता है, कौन से अधिकार हम श्रम विभाग को दे सकते हैं ताकि फैसलों को मजबूती से लागू किया जाय ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द राहत मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

(श्री दूधनाथ राजभर का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि कोरम पूरा नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

सूचना देने का कोई इस समय नियम नहीं है ।

श्री दूधनाथ ।

श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री श्यामनारायण तिवारी--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं इसलिये लिखा नहीं जायेगा । जब बोलने का समय मिले तब अपनी बात कहें । आप बैठ जायं ।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, श्रम विभाग पर जो चर्चा चल रही है उसके सम्बन्ध में उधर से माननीय सदस्य श्री ऊदल ने अपने विचार रखे जिनको मैंने सुना और उसके पहले मैं मानता था कि श्री ऊदल जो सर्वहारा, गरीबों और श्रमिकों के नेता हैं कोई अच्छी बात उनकी तरफ से उनके सम्बन्ध में आयेगी जिस पर हमारा शासन और सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और जिससे वह ऊपर उठेंगे । लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा सुझाव

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री दूधनाथ राजभर---]

श्री ऊदल द्वारा नहीं आया है जिस पर कि हम विचार करने के लिये मजबूर हों और उस दिशा में सोचें। जब सरमाएदार और मजदूर वर्ग की बात आती है तो दो पहलू उठते हैं। एक तरफ तो पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी तरफ मजदूर और श्रमिक वर्ग की बात। यह पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में लाये हुए रोजगार में मजदूरों की दशा इस पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जहां तक सरमायेदारों और प्राइवेट सेक्टर के कल-का खानों की बात है, मैंने पिछले बार भी इस सदन में कहा था कि यह मजदूर वर्ग के प्रश्न को बड़ी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए जो इस प्रदेश के अन्दर, प्राइवेट सेक्टर में विद्यमान हैं। जो सरमायेदारों की निजी व्यवसाय हैं, जो उनके कल-कारखानें हैं, उद्योग-धन्धे हैं, उनमें हमारे मजदूर वर्ग का, गरीब तबके का, जो थोड़ी सी पूंजी पाने वाले लोग हैं, जो मामूली सी वेतन या मजदूरी पाते हैं, शोषण किया जाता है। हम आमतौर से देखते हैं कि निजी व्यवसाय में लगे हुए लोगों का, हमारे नाबालिग बच्चों का शोषण किया जाता है जबकि हमारे प्रदेश में कानून बना हुआ है कि नाबालिग बच्चों से कल-कारखानों में मजदूरी न करायी जाय, उनका शोषण रोका जाय, उसके बावजूद भी यहां नाबालिग बच्चों से काम लिया जा रहा है।

हमदर्दी गरीबों के प्रति, श्रमिकों के प्रति सबके मन में है, प्रदेश की तरक्की का सबसे बड़ा सहारा मजदूर वर्ग ही है। मजदूर वर्ग के कंधों पर ही देश की प्रगति का सबसे बड़ा भार है। मजदूर वर्ग ही हमारे देश, हमारे प्रदेश की प्रगति का भार लादे है, सारा बोझ लादे हैं। इसलिये में माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि जब तक हम गरीबों के लिये जिसके ऊपर हमारी प्रगति का, हमारे विकास का, हमारे उत्पादन का सारा काम जिनकी जिम्मेदारी पर है, जिनके हाथ में है, जिनके पौरुष और कला के अन्दर सारी प्रगति निहित है, उनके पेट भरने के लिये, उनके रहने के लिये, उनके आवास के लिये, उनकी दवा-दारू की व्यवस्था करना हमारा परम कर्त्तव्य होता है।

हम मजदूरों की बस्तियों को देखते हैं, कानपुर के अन्दर देखते हैं, मऊ और मुबारकपुर में देखते हैं, तमाम मजदूरों के कस्बे में देखते हैं कि हमारा श्रमिक वर्ग जो कलाकारी करता है, जो बनारसी साड़ियां बनाता है, आगरा में चमड़े का उद्योग करता है, चमड़े के उद्योग में तमाम लोग लगे हुए हैं, उनकी जहां बस्तियां बनाई गयी हैं, वह बस्तियां सबसे गन्दी देखने को मिलती हैं। देश के विकास का बोझ जिन पर है, जिनके ऊपर प्रदेश की प्रगति है, उनके मोहल्ले में सबसे ज्यादा गन्दगी है। अभी मैं पिछली 22 तारीख को देहरादून दौरे पर गया था वहां आई० डी० पी० एल० का जो कारखाना है, जहां मानव के प्राण रक्षा की दवाई बनाई जाती है उस कारखाने के अन्दर काम मरने वाला वहां का मजदूर अभी भी खानाबदोशों की तरह से झोपड़ियों में रहता है। जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक हमारी रुचि प्रदेश में बसने वाले गरीबों की तरफ नहीं जायेगी तब तक हम अपनी नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं कर सकेंगे।

मैं दूसरी तरफ माननीय, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है खेतिहर मजदूर की और जो बड़े पैमाने पर उत्पादन में लगा हुआ है। उसके पास एक इंच भूमि, एक इंच जमीन

नहीं है । उसके सामने मजदूरी करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है । थोड़ी सी भूमि पर झोपड़ी बना कर रहने और पेट पालने की एवज में वह मजदूर मजबूर है भूमि वालों के यहां मजदूरी करने के लिये । हमारे प्रदेश के अन्दर अभी भी पूर्व में, पूर्वान्चल के जिलों में, दूसरे धर पर जब वह काम करता है, दिन भर हल चलाता है, दिन भर फावड़ा चलाता है तब जाकर कहीं सारे दिन खटने के बाद एक किलो या सवा किलो अनाज पाता है पेट भरने के लिये । जबकि हमारी व्यवस्था यह है कि एक दिन की दिहाड़ी 6 रुपये से कम नहीं होनी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं माननीय सदन के सामने आपके माध्यम से कि आज भी उसी पुराने रेट पर, 4 आना, एक लोटा शरबत और मुट्ठी भर चना देकर लोग दिन भर काम कराते हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और अपनी सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं प्रदेश की तरक्की, प्रदेश का उत्थान करना तो समाज के सबसे बड़े हिस्से पिछड़े वर्ग का आपको सर्वांगीण उत्थान करना होगा । इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव रखा है माननीय मंत्री जी ने बजट का, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अधिष्ठाता महोदय, सोच रहा हूं कभी-कभी ऐसा होता है कुछ कहने से पहले अपने हाल पर हंसी आती है अब तो अजीब सी हालत हो गई है--

पहले आती थी हाले दिल पर हंसी,
अब किसी बात पर नहीं आती ।

अभी प्रदेश की तकदीर बदलने वाला बजट पेश हुआ । आपको शायद याद हो इसी सदन में कई महीने पहले एक दिन मैंने कहा था जिन गांधी जी के आदर्शों का आप नारा लगाते हैं जिनके नाम की बार-बार दुहाई देते हैं उनकी तस्वीर हमारे तो सामने है मगर जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं वहां से न तो उसे आप देख पाते हैं और न सुन पाते हैं और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमें जो कुछ कहना होता है वह आपके जरिए कहना होता है लिहाजा यह तस्वीर हमारे तो सामने है मगर आपकी पीठ के पीछे है। महोदय, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वह मजदूर और गरीब तबके के लोग हैं, सताये और कुचले हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, जिनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है आज उसी का बजट पेश हुआ है । आज उसकी किस्मत का फैसला इस सदन में हुआ है । इस नर्म कालीन पर उस वर्ग का जिसके पास न रहने को मकान है, न पहनने को कपड़ा है, न सर छिपाने को आसरा । अगर कुछ है तो केवल यह कि वह अपने लिए जीने का हक मांगता है ताकि वह भी किसी बदनुमा कीड़े की तरह जी सके ।

हमारे प्रदेश में दो तरह की बड़ी मिले हैं शुगर और टेक्सटाइल । जिनमें शुगर की मिलें 3-4 महीने चलता हैं और वहां काम करने वाले मजदूर को तनख्वाह मिलती है 300 रु0 माहवार इस हिसाब से उसको साल भर में 1200 रु0 मिलता है । आज जो सरकार चल रही है वह हमें बताये कि जिस मजदूर को एक साल में बारह सौ रुपया मजदूरी मिलती है यानि एक सौ रुपया माहवार तो वह किस तरह जियेगा । किस तरह से रोजी-रोटी चलायेगा और किस छत के नीचे सोयेगा । जो इस मुल्क की असल किस्मत है वह जहां रहता है वहां हमारे हाउस में बैठने वालों की गाय भैंसे भी नहीं रह सकती हैं । आज उसकी तकदीर बदलने का इन्कलादी फैसला किया गया है ।

[श्री मुहम्मद आजम खां--

जनाबेआला, टेक्सटाइल्स मिल्स का उद्योग हमारे प्रदेश का बहुत पुराना और बड़ा उद्योग है। कानपुर कपड़ा मिलों के सिलसिले में मंत्री जी ने भी बड़ी कोशिशें की हैं। मंत्री जी जो कि बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं और नेता भी हैं। नेता होने का श्रेय भी इन्हें हासिल है। साढ़े तीन महीने से रामपुर रजा टेक्सटाइल्स मिल में साढ़े तीन हजार मजदूर हड़ताल पर हैं और वहां पर मिल के गेट पर मजदूरों ने टेन्ट लगाया, मजदूरों की इस लड़ाई से तो आप वाकिफ हैं क्योंकि आप श्रमिक नेता भी हैं। मजदूर अपनी जायज मांगों के लिए जैसा विरोधी नेता ने भी अभी फरमाया कि वह बिलखें, चीखें-चिल्लायें, दादरअसाई की कोशिश करे वह दरिद्र और दूसरी कोई बात नहीं कर सकता। मेमोरेंडम पेश करे, नारे लगाए और उसके बाद अपना आखिरी हथियार यानि हड़ताल का इस्तेमाल करे। हड़ताल करने से जानता है वह भूखों मरेगा, उसके बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। उसकी बीबी को रोटी नहीं मिलेगी और उसकी बेटी नहीं ब्याही जायगी। यह कहा जाता है कि हड़ताल कर के सरकार और मिल मालिक पर मजदूर जुल्म करते हैं। वे लोग जो मजदूरों के हमदर्द हैं उनको यह मालूम होगा कि असलियत क्या होती है। महोदय, साढ़े तीन महीने से मिल मजदूर जहां हड़ताल पर हैं। साढ़े तीन महीने से उन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिन्हें साढ़े तीन सौ रुपये से ज्यादा नहीं मिलते हैं, उन मजदूरों को रौंदा जा रहा है। मान्यवर, इस चीज को बुनियाद बनाकर कोई मंत्री मिल गेट पर जाकर स्ट्राइक ब्रेकर की हैसियत से हड़ताल तोड़ने की साजिश करे तो यकीनन वह मिल मालिकों का गुलाम होगा। मान्यवर, मैं इस हाउस के सामने आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए सिर्फ इस चीज को बुनियाद बनाकर कि आप सत्ता पक्ष के लोग हैं और हम विरोधी पक्ष के लोग हैं उन साढ़े तीन हजार मजदूरों की किस्मत से मत खेलिए। मैं इस बात को फिर दुहराना चाहता हूं कि मजदूरों का हड़ताल करना बुनियादी हक है। आप मिल के गेट पर पुलिस और पी० ए० सी० के साथ में तशरीफ लाए। वहां पर आपकी मीटिंग भी हुई। उसमें सिर्फ ढाई मजदूर आपके साथ थे जिन्हें गैर हड़तालो कहा जा सकता है। मैं रिक्शे पर खड़े होकर आपकी मीटिंग के सामने भाषण दे रहा था। बाहर साढ़े तीन हजार मजदूर मेरे साथ थे। पुलिस और पी० ए० सी० ने मुझे घेर रखा था। मैंने कहा था मन्त्री जी चलवाइये लाठी, चलवाइये गोली, हम लोग तो चाहते हैं कि आज आपके हुक्म से गोली चले और यहां मजदूर मारे जायं ताकि लोगों को यह याद रहे कि यहां पर मजदूर मन्त्री के हुक्म से मारे गए थे।

(लाल बत्ती जलने पर)

आप मुझे दो मिनट और दे द। निहायत आभारी रहूंगा। क्योंकि मसला निहायत संगीन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नियम 51 में भी इस पर बहस हो चुकी है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं कह रहा था कि मंत्री जी ने प्रदेश की तकदीर इस हो रहे जुल्म के सामने बदल दी। मजदूरों की तकदीरें बदल दी। रामपुर जैसे गरीब शहर में

अभी तक 45 रुपये बढ़ोत्तरी और कोई भी 1974 से गवरमेंट आर्डर लागू नहीं हुआ । 20 रुपये बढ़ोत्तरी पूरे प्रदेश में लागू हो गई रामपुर में नहीं हुई 6 रुपये सालाना और 1.35 की भी बढ़ोत्तरी लागू नहीं हुई । क्योंकि वहां पर लोग गुलामों का तरह जी रहे हैं । जहां का मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट नवाबजादा होता है । आज तक वहां का मेम्बर असेम्बली वह होता रहा है जिसकी रस्सियां खास बाग और नूरमहल से खींची जाती रही है । 32 साल आजादी हासिल किए हो गए मगर हमको इन जालिमों से निजात नहीं मिल सकी । इस लुटेरे खानदान के लिए मैंने हाउस में कहा था कि इन्होंने 20 करोड़ रुपये के हीरों का डाका डाला और मुल्क की दौलत दूसरे मुल्कों को भेज दिया । रामपुर में ही नहीं मुल्क में रहने का हक इस खानदान को नहीं है । वह नवाबजादा मजदूरों की तकदीर का दुश्मन है और हमारे मंत्री लोग उनके घरों में जाते हैं और खाना खाते हैं, उन स्मगलरों के साथ खाना खाते हैं जिनको कांग्रेस ने कोके पोसा में बन्द किया हो । इस जुल्म के लिए सरकार को 45 रुपये की बड़ोत्तरी, 20 रुपये की और न 6 रुपये, 1.35 के लिए और राज मंगल पांडे एवार्ड लागू न होने के लिए लिहाजा इस तमाम कामयाबी के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं । आपकी जिद यह है कि वहां लोकदल का एम0 एल0 ए0 है कहीं यह मसला अपोजीशन के जरिए न तय हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मैं हाउस में इस बात को कहता हूं कि आजम खां को इसका क्रडिट न मिले लेकिन कोई भी मंत्री वहां जाकर मजदूरों की हालात को देख ले कि उनके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है । वहां के साढ़े तीन हजार मजदूर का क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए । उनकी आप हड़ताल समाप्त करा दें और मुबारकबाद भी लें । आखिर में मैं एक शेर आपके सामने रखना चाहता हूं--

जिसे ले गई है अभी हवा
वह वरकथा दिल की किताब का
कहीं आंसुओं से मिटा हुआ
कहीं आंसुओं से लिखा हुआ ।

श्री खुदादीन अंसारी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है । अभी हमारे सम्मानित सदस्य अपने हृदय के उद्गार सदन में निकाल रहे थे । मैं सर्वप्रथम अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट के सम्बन्ध में जो बात चल रही थी उसको लागू किया है । उद्योग में साझेदारी मजदूरों की हो जाय और उसकी शुरुआत माननीय दीक्षित जी ने की है इसलिए वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं । यह एक नई चीज है जो देश के मजदूरों को एक नई दिशा देगा । यह एक ऐतिहासिक बात है और इसलिए हम उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं । अधिष्ठाता महोदय, सन् 1926 ई0 के पहले इस देश के श्रमिकों की जो

[खुर्शीद अंसारी--]

दशा थी उसके सम्बन्ध में यदि हम इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो स्वयं अन्दाजा लग सकता है कि उस समय मजदूरों की क्या हालत होती थी, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से उनको कारखानों से निकाल कर फेंक दिया जाता था, किस तरह से उनके बच्चे भूखों मरने लगते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन सन् 1926 के बाद एक ट्रेड यूनियन ऐक्ट पारित किया गया जबकि कांग्रेस ने सत्ता सम्हाली तभी से उसके नेतृत्व में श्रमिकों के लिए कानून बने हैं, श्रमिकों के बारे में अध्यादेश जारी किए गए, उनके लिए वेज बोर्ड निर्धारित किए गए। कांग्रेस के नेतृत्व में ही मजदूरों के लिए टैक्सटाइल में, सीमेन्ट कारपोरेशन में, शुगर कारपोरेशन में वेज बोर्ड बने हुए हैं और उनके लिए प्राविडेन्ट फंड तथा ग्रेच्युटी आदि की व्यवस्था की गई है। समय-समय पर उनके लिए निर्णय लिए गए हैं। इन सब को बनाने वाली कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार ही थी। चन्द दिनों के लिए लोकदल का शासन आया, जनता पार्टी की सरकार आयी लेकिन किसी ने उनकी सुख-सुविधा का ध्यान नहीं दिया। आज वे मजदूरों की दुहाई देते हैं, जिनके शासन काल में मजदूरों के खून से पन्तनगर की जमीन लाल हो चुकी है, उनके लिए क्या किया गया।

मान्यवर, हम कलेक्टिव बारगेनिंग में विश्वास करते हैं। मैं निश्चित रूप से और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस शासन में इन मजदूरों के प्रति जो कुछ भी काम हुआ है वह कभी किसी भी अन्य शासनकाल में नहीं हुआ। विरोधी नेताओं का सिर्फ यही काम है कि मिल के गेट पर खड़े होकर मजदूरों को उत्तेजित करना, मजदूरों को हड़ताल करने के लिए प्रेरित करना नेशनल कंरेक्टर को गिराना, प्रोडक्शन को डाउन करना, कारखानों में तोड़फोड़ की कार्यवाही करना, उसको राजनीतिक रूप देना, फिश-प्लेट निकालना इन सब चीजों के लिए उन्होंने मजदूरों को गुमराह किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसा करवाया है और हड़तालें करवायी हैं। श्रम कानून को इन्होंने भंग किया जब कि कानून में यह था कि किसी भी स्ट्राइक के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। इस नोटिस की परवाह न करते हुए आपने हड़ताल करवाई है और उसका नतीजा यह हुआ कि हड़ताल इल्लीगल घोषित हो गयी और इल्लीगल घोषित होने के बाद सैकड़ों मजदूर फैक्ट्री से निकाल बाहर कर दिए गए। कानून का उल्लंघन करना किसी के लिए भी उचित नहीं है चाहें कानून का उल्लंघन हम करें या आप करें जो कानून माननीय सदन द्वारा पास किया गया है सब पर लागू होगा। लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की। आप चाहते हैं कि मजदूर कानून का उल्लंघन करे और वह नौकरी से निकाल दिया जाय ताकि आपके पीछे-पीछे वह फिरता रहे और आपकी नेतागीरी जिंदाबाद। यह काम आपका रह गया है। हमने प्रैक्टिकल काम किए हैं। 1952 में जब पंडित नेहरू ने कानपुर में जाकर श्रमिक बस्तियों का निरीक्षण किया था तो आपने कहा था कि यह बात ऐसी ही है जैसे नरक हो। हमारी सरकार ने जो लोकप्रियता में जुटी हुई है मजदूरों के हित के अनेकानेक कानून बनाए।

मैं चन्द बातें अपने भाई आजम खां से अर्ज करना चाहता हूं मैं स्वयं रामपुर गया था। श्रमिकों की सबसे बड़ी हड़ताल 81 दिन की कानपुर में हुई थी लेकिन रामपुर का वह गरीब मजदूर जो चाकू की धार तेज करता है, मेहनत करता है उसको आप चाकू चलाने की ट्रेनिंग देने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री और हम लोगों ने कोशिश की और वहां इसलिए गए थे कि मालिक और श्रमिकों से मिल कर उनकी समस्याओं को हल कर लें परन्तु आपने रोका। आप जिनकी सियां को पूंजीपति मानते हैं जिसको कि लाखों जनता ने चुनकर भेजा है

उसके मुंह में आप चांटा मारने का काम करते हैं जिसको लोगों ने जिता कर भेजा है उसको आप कहते हैं कि वह पूंजीपति है। हम जनता के इस सम्मान को मानते हैं और उसका आदर करते हैं, जनता के आशीर्वाद के सामने नतमस्तक हैं इसलिए हम उसको जवाब नहीं मानते हैं। आपके बीच में भी राजे-महाराजे बैठे हैं जो जनता के आशीर्वाद को लेकर यहां आए हैं। तो उनसे भी हमें बातें करनी ही पड़ेंगी। वह सांसद है और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ आदमी हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। मुझे दो मिनट और दे दें। हमारे माननीय श्रम मंत्री रामपुर गए ताकि वहां औद्योगिक शांति कायम हो। वहां के मजदूरों का जब आह्वान किया तो वहां के जो तथाकथित नेता हैं उन्होंने मजदूरों को बरगलाने की कोशिश की और उनको उत्तेजित कर कहा वहां मत जाओ। उनसे कहा गया उनकी बात मत मानो। आप तो इसकी उल्टी ट्रेनिंग देते हैं कि :--

दिल हमारा जजबए गैरत को खो सकता नहीं,
हम किसी के सामने झुक जायं हो सकता नहीं।

तो इस तरह की बात कही गयी कि कोई वहां उपस्थित मत होओ कोई फैसला करने पर उतारू मत होओ जिसका नतीजा है कि आज मजदूर रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। आज कोशिश की जा रही है कि कोई समझौता न होने पाये....।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री खुर्शीद अन्सारी--

मैं रामपुर की बात समाप्त करके पंतनगर के उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जहां पर कई हजार मजदूर काम करते हैं मैं वहां स्वयं गया था। वहां के चार श्रमिक नेताओं अशोक कुमार गुप्त, के० एन० कौडिन्य, पी० के० जैन एवं एन० आर० एन० पिल्ले को निकाल दिया गया है। मैं यह बात सामने लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस विवाद को जल्दी निपटायें और जो 4 श्रमिक नेता निकाले गए हैं एवं जिस संगठन का मैं मुख्य संरक्षक हूं उनको अविलम्ब बहाल करने के आदेश दें तथा श्रमिकों की उचित मांगें पूरी करें जिससे निगम के श्रमिक अशान्ति समाप्त हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

श्री खुर्शीद अन्सारी--

मैं एक शेर कह कर समाप्त कर रहा हूं :--

अब की इस शाम से गुलशन में बहार आई है,
खार तो खार हैं फूलों को भी आराम नहीं,
खुल के हम आह भी कर लें तो है गद्दारे चमन,
वह सितम ढाए तो उन पर कोई इल्जाम नहीं।

*राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय ऊदल जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय श्रम मंत्री जी जब अनुदानों पर चर्चा आरम्भ कर रहे थे तो कहा कि एक प्रोफेसर मेरे थे जो इस बात के आदी थे कि चाहे लड़का कितना लिख जाय उसे नम्बर नहीं देते थे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे भी प्रोफेसर हैं जब किसी लड़के की कापी उनके सामने आती है जिसको कि वह जानते हैं कि यह लड़का बढ़िया है तो उस पृष्ठभूमि में भी जरूर एक्जामिनर के मन पर असर पड़ जाता है तो मेरे जिले के मंत्री जी हैं और श्रम क्षेत्र में उनका योगदान भी रहा है। तो इस पृष्ठभूमि को देखकर उन्होंने नम्बर देने में अपनी कलम तोड़ दी है, लेकिन जब उनकी कापी देखी गई तो उसमें पन्ने भरने के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी शक्ति के साथ मैंने उनकी बात सुनी। कोई भी सरकार हो उसके सामने जो कमजोर वर्ग की समस्याएं पैदा होती हैं, यदि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देगी नियमों का सहारा लेते हुए और दबाव इस्तेमाल करते हुए भी, तो देश या प्रदेश बिलकुल आगे नहीं बढ़ सकता है और तरह-तरह की समस्याएं भी बढ़ती चली जायेंगी।

आज मजदूरों की यही हालत है। मैं इस सम्बन्ध में इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी कुछ बातें सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। अभी पालेकर अवार्ड की बड़ी चर्चा हुई, मंत्री जी ने भी उसका बड़ा उल्लेख किया और विधान सभा में प्रश्न भी मैंने उस पर पूछा था। उस पर मंत्री जी ने कहा था कि पालेकर अवार्ड को लागू करने के लिए जो भी सम्भव होगा, किया जायेगा। उन्होंने यह बड़े जोर से कहा था और उस पर मैंने अपनी-अपनी मेजें भी थपथपाई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि उसके लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई और उसके लिए एक कमेटी बना दी गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक उस कमेटी ने कोई काम शुरू किया है? उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है जो उनके ग्रेड्स मिलने वाले हैं, उनकी कैटेगरी तय होनी है। अभी सरकार के सामने आया है कि अब तक जो तृतीय कैटेगरी में थे, वे अपने आप चौथी कैटेगरी में हो गए हैं तो अभी उनकी कैटेगरी तय करनी है और यह कैटेगरी उनकी ग्रास-इन्कम पर तय होनी है। सरकार की इस कमेटी का काम है कि वह देखे कि उन्होंने अपनी कैटेगरी को कैसे बदल दिया है। मेरी निजी जानकारी है कि उक्त कमेटी ने इस दिशा में अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने मालिकान ने अपनी तरफ से घोषित कर दिया है कि हम पालेकर अवार्ड को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या सही मायने में उसको विस्तार के साथ किसी ने समझने की कोशिश की है या उसे ईमानदारी से लागू करने की बात स्पष्टरूप से स्वीकार की है? क्या उस कमेटी में पत्रकारों या गैर पत्रकार कर्मचारियों का भी कोई आदमी शामिल है? यह नहीं, तो उनकी समस्या कैसे सामने आ पायेगी और उनकी समस्या या बात सामने नहीं होगी तो उनका समाधान उचित रूप से कैसे हो पायेगा। साथ ही ऐसे भी अखबार हैं, जिन्होंने कहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी कैटेगरी को बदल दिया है। ऐसे अखबारों की सूची में एक आपका अखबार 'नेशनल हेराल्ड' भी है, जो सत्तापक्ष का अखबार है। तो जब आप ही नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करने लगे। तो केवल घोषणा कर देने से काम चलने वाला नहीं है। जो उन्होंने कमेटी बनाई है, क्या उन्होंने अपने संस्थान में ही उस चीज को लागू किया है। जब वह अपने संस्थान में स्वयं ऐसा कर रहे हैं तो कैसे उनसे आशा की जाए कि वह उसे दूसरे संस्थानों में प्रभावशाली ढंग से लागू करायेंगे। तो यदि आप ईमानदारी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं कि पत्रकार भाइयों और गैर पत्रकार भाइयों को वास्तव में उसका लाभ मिले तो जो घोषणायें आपने और मुख्य मंत्री जी ने की हैं, उसको लागू करने के लिए हृदय से कोशिश करें, तभी कुछ होगा ।

अभी मंत्री जी ने कहा कि मिनिमम वेज बोर्ड लागू किए जा रहे हैं, एक सूची भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिनिमम वेज बोर्ड लागू किए गए हैं, वे सही रूप में लागू भी होते हैं या नहीं । आपने कृषि मजदूरों के लिए मिनिमम वेज बोर्ड की घोषणा कर दी, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में फैले हुए किसानों को वह मिलता भी है या नहीं, क्या इसको देखने का आपने कभी प्रयास किया है ? इसका लाभ उन्हें कहीं नहीं पहुंच रहा है । आपने बी० डी० ओ० पर यह भार छोड़ दिया है, लेकिन उनके पास तो पहले से ही इतने अधिक काम हैं कि वह उनको न्याय नहीं दिला पायेंगे । उनसे आप इस चीज की आशा न करें । तो आप न्यूनतम दरें लागू करने के लिए एक सरल विधि या तरीका शीघ्र तैयार करके निकालें ।

दूसरे आपने एक वेज बोर्ड बना दिया वह अपना निर्णय दे देता है लेकिन उसके लागू होते-होते परिस्थितियां बदल जाती हैं । मेरी प्रार्थना है कि आप एक परमानेन्ट वेज बोर्ड बना दीजिये जिसका काम यह हो कि वह समय-समय पर परिस्थितियों का आंकलन करे और दशाओं, वेतन, महंगाई भत्ते आदि पर बराबर अपनी संस्तुतियां देता रहे और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी देखे । सीतापुर में जो आटा मिल हैं, चावल मिल है, उनके लिये मुझे जानकारी है कि राजाज्ञा भी जारी नहीं हुयी हैं । मैंने माननीय मन्त्री जी को एक पत्र भी लिखा और उसका उत्तर भी मिला कि वे जानकारी करा रहे हैं लेकिन एक अर्सा हो गया है वे वहां की समस्या को हल नहीं करा सके हैं। वहां पर एक सौल्विन प्लान्ट हैं उसमें जो काम करते हैं, मेरी प्रार्थना है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट में एक वेज बोर्ड बना कर उनकी नियुक्ति, उनकी दशा के बारे में घोषणा कराने की कृपा करें ।

यह जो वार्षिक समीक्षा है इसके दूसरे चैप्टर में वृद्धावस्था पेंशन पहले 40 रुपया प्रतिमाह मिला करती थी । एक प्रश्न के उत्तर में मुझे जानकारी मिली थी कि 50 रुपया मिलेगी । यह इसमें भी अंकित है । जो व्यक्ति पिछड़ा है, काम करने के लायक नहीं है, सरकार उनके भारण-पोषण की गारन्टी भी देती है । अब उसे 50 रुपया करने दिया गया है । इस 50 रुपये में तो क्या वह एक समय भी भर पेट खाना खा सकेगा ? वे दरिद्र हैं, भूखों मरते हैं, जहां आप और खर्च करते हैं मेरी मांग है कि उनको 50 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 80 रुपया प्रति माह कर दें । जो निराश्रित हो गये हैं, आपको उनके बारे में अवश्य सोचना चाहिये ।

बोनस के बारे में लोगों का अधिकार है कि जिन संस्थानों में बोनस लागू नहीं हुआ है, उनकी कार्य दशा भी खराब है और जो कम वेतन पाने वाले हैं, उनको कम से कम एक माह के वेतन मानदेय के बराबर बोनस दिया जाय । इसके बारे में सरकार को जरूर-जरूर ध्यान देना चाहिये ।

आज की जो परिस्थिति है उसमें जब इम्पलायर और एम्पलाइज में संघर्ष होता है तो वे मजदूर कनसिलिएशन बोर्ड के पास जाते हैं । वास्तव में हम मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं करते हैं । उसके पास साधन नहीं होते हैं, और वे लड़ भी नहीं पाते हैं । अगर उनको अपना हक नहीं मिलता है तो वे सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनको लेबर कोर्ट में जाने की

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

इजाजत दीजिये। सरकार समीक्षा करती है। बड़े लोगों के दबाव पड़ते हैं। तो बहुत थोड़े केसेज में ही लोग लेबर कोर्ट्स में जा पाते हैं। आप व्यवस्था कर दें कि अगर लेबर कोर्ट के फैसले से वे दुःखी हैं तो अनिवार्य रूप से लेबर ट्राइब्यूनल में उनको जाने का मौका मिलना चाहिये। उसके लिये सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। दूसरे लेबर कोर्ट के निर्णय के बाद वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे वहां जा सकें। नतीजा यह होता है कि वे हार मान कर बैठ जाते हैं। जो कारखानों के मालिक हैं, पूंजीपति लोग हैं, वे सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं। व्यवस्था यह होनी चाहिये कि हाई कोर्ट के स्तर पर एक ट्राइब्यूनल य उसका कुछ भी नाम आप रखें वह स्थापित किया जाय जिससे लेबर ट्राइब्यूनल को अपीलें वहां पर जा सकें। इस प्रकार से आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पूर्व श्रम मन्त्रियों की दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। वहां पर यह फैसला भी हुआ कि छटनी वाले कर्मचारियों को सीधे सेवा न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिये। यह बात भी हुई कि सस्पेंड किये गय कर्मचारियों को 50 परसेंट सिब्सटेन एलाऊन्स दिया जाना चाहियें जब कि आप बहुत थोड़ा देते हैं।

बेरोजगारी की समस्या आज बड़ी ही भीषण समस्या है और यह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है कि हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में जो मौलिक अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। आपके आंकड़े बताते हैं कि 1979-80 में 8,96,635 व्यक्ति पंजीकृत हुये, रिक्त स्थानों की करीब 82 हजार सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से केवल 49 हजार को ही आप काम दे पाये। सन् 1980 में यह आंकड़ा और कम हो गया। उसमें 80 हजार नियुक्तियों की सूचना प्राप्त हुई और 33 हजार की नियुक्ति दे पाये। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपका यह सेवा नियोजन कार्यालय इनएफेक्टिव हो गया है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि या तो शेष स्थान अभी भी रिक्त पड़े हुये हैं, या उन स्थानों पर अन्य किसी सूत्र से नियुक्तियां कर ली गयी हैं।

मान्यवर, मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक बार जब एक नवजवान, अध्ययन करने के पश्चात् अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसे काम मिलना चाहिये और उसके साथ ओवरएज होने की पाबन्दी नहीं लगानी चाहिये। जब वह 27-28 साल का हो जाता है तो वह ओवरएज हो जाता है और उसको नौकरी नहीं मिलती। इस ओवरएज का झंझट समाप्त कर देना चाहिये अगर उसने आपके सेवा नियोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर करा लिया है तो। जब आपके यहां रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप उसे नौकरी नहीं दे पाते तो आपका यह फर्ज होना चाहिये कि आप उसे गुजारा भत्ता दें। इस प्रश्न पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। अब दो तीन बातें मैं सीतापुर के बारे में कहना चाहूंगा। अभी माननीय मन्त्री जी सीतापुर गये भी थे और उन्होंने प्लायीवुड फैक्टरी के मजदूरों को कुछ आश्वासन भी दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो मांग-पत्र दिया था और मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया था उस पर विचार हुआ या नहीं? उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है? उसके बारे में, मुझे मालूम हुआ है कि करीब 80-90 विधायकों ने आपको लिख कर भी दिया है कि जो पुराने मुकदमें चल रहे हैं उनको वापस ले लिया जाये क्योंकि पुलिस से या जिलाधिकारी से जो रिपोर्ट मांगी गयी है वह रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ये आपके जो कमिश्नर के क्षेत्रीय

कार्यालय है, ये स्थानीय होने के नाते, यहां से मन्त्री जी को ज्ञापन मिले हैं। लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय मन्त्री जी इसको देखें और देखकर कार्यवाही करें। उनके यहां ऐडमीशन की प्रक्रिया जो है, वहां पर प्रथम और द्वितीय दो प्रकार के सूची है। प्रथम सूची में यह है कि जैसा कि नियमावली में है कि जो बोर्ड की परीक्षा पास करके आये हैं, वही प्रथम सूची में रखे जायेंगे। जिन लोगों ने बोर्ड की परीक्षा नहीं पास की, ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं, जहां पर बोर्ड की परीक्षा नहीं होती थी या जिन दिनों बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई, तो उनके लिये क्या होगा ? तो मान्यवर, इस प्रकार से द्वितीय सूची पर विचार नहीं हो पाता है। आप इसके बारे में विभाग से पूछ लें। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गयी है, तो इसके बारे में विचार कर लें। प्रबन्धक में और श्रमिकों में जो साझेदारी है, यह बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन जो साझेदारी की आपने प्रक्रिया बनायी है, जो नियमावली है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रमिकों की वह साझेदारी है। वहां पर कमेटी बनी हुई है, उसके एकाउन्ट्स के बारे में, नीतियों के बारे में लाक-अप वहां पर होगा, उसके बारे में जो वहां पर प्रबन्ध नीति है, क्या उनके बारे में उनका कोई सुझाव है, क्या कोई नीति है ? प्रबन्ध की जो वास्तविक स्थिति है, वह यह है कि मैं समझता हूं कि साझेदारी की घोषणा ऐसी घोषणा है कि जो उसकी गहराई में जायगा वह यह समझेगा कि उसका कोई मतलब नहीं है। माननीय मन्त्री जी श्री पाठक जी बैठे हुये हैं। उनका बयान मेरे सामने है। वह कहते हैं। उन्होंने विधान परिषद् में चेतावनी देते हुय कहा कि यदि मोदी कपड़ा मिल के प्रबन्धकों ने शासन द्वारा दिये गये निदेशों का ठीक प्रकार से पालन न किया तो उन्हें जेल में डाल दिया जायगा और उन्होंने बताया कि मुख्य मन्त्री से उनकी इस सम्बन्ध में बात हो चुकी है। उन्होंने मुख्य मन्त्री जी की मोहर भी लगा दी। उन्होंने मोदी मिल के प्रबन्धकों को भी इससे अवगत करा दिया है। अब बहुत लम्बा मैं नहीं पढ़ना चाहता। जेल में डालने की घोषणा तो कर दी माननीय मन्त्री जी ने। एक बार मैंने विधान सभा में सवाल उठाया था, उस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि शासन के द्वारा लिये गये निर्णय को उन्हें पालन करना होगा। एक बार मुख्य मन्त्री जी के यहां पर दावत हो रही थी, मोदी साहब वहां पर चले गये, मुख्य मंत्री जी ने उन्हें दावत से निकाल दिया। यह समाचार पत्र में भी निकला। बैठक जब हुई तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि आप इस बैठक में तब आयेंगे, जब आपको बुलाया जायगा। लेकिन उसके बाद कौन सा जादू चला, कौन सी परिस्थिति बनी कि आज भी उसका पालन नहीं हुआ।

इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ, लेकिन घोषणाएं पूरी हो गयीं। इसलिए केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, जब तक इन घोषणाओं पर पालन करने की कोशिश नहीं करेंगे। मान्यवर, एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि समस्याएं तो आपके-सामने आती ही रहेंगी। एक मामला नारायण शोडकटिंग, बांस मन्डी, कानपुर का उठाया था कि अचानक वहां 3 दिसम्बर, 1980 को तालाबन्दी कर काम बन्द कर दिया गया और यह शिकायत भी आपके-सामने रखी, जिसकी एक प्रति मेरे पास मौजूद है, लेकिन अभी तक आपने उस पर क्या कार्यवाही की, कुछ पता नहीं। (शोर) मान्यवर, जो भी घोषणाएं की जा रही हैं, मजदूरों के हित की, उन घोषणाओं के बारे में यदि पालन की, उसके इम्प्लीमेन्टेशन की कोशिश न की जाए, तो ऐसी घोषणाओं से क्या फायदा। अगर सरकार के सामने मजदूर हित है और उनको शोषण से रोकना है और आप यदि उनको

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

पूंजीपतियों से बचाना चाहते हैं तो आप एक योजना के तहत कटिबद्ध होकर उनकी रक्षा करें। अगर इस तरह योजनाबद्ध तरीके पर कोई कार्य नहीं किया गया तो अंत में हिंसा भड़केगी। वैसे मैं हिंसा के हित में नहीं हूं कि मजदूर परेशान होकर सड़क पर निकल कर आवे। इसलिए कोई ऐसा रास्ता सिद्धान्त रूप में आप अपनायें कि यह शोषित और गरीब मजदूर हड़ताल करने पर किसी भी तरह मजबूर न हो। अगर आप चाहते हैं कि यह आये दिन की हड़तालें बन्द हों तो हमारी राय है कि उनकी समस्त समस्याओं पर विचार कर उन्हें सुलझाने पर पहले करें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री ऊदल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं।

एक सदस्य—

यह मजदूरों के बारे में क्या जानें, यह तो शहर में रहती हैं, हजरतगंज में।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

आपने मुझे श्रमिकों की समस्याओं पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर आज यह जो श्रम विभाग का बजट है, इसकी तीन पुस्तकें सदन में वितरित हुयी हैं। जिसमें से पहली है 1980 की श्रम विभाग, उ० प्र० शासन का वार्षिक कार्य-विवरण, दूसरी है, श्रम विभाग, उ० प्र० शासन की वार्षिक समीक्षा, 1980-81 और तीसरी है, श्रम विभाग, उ० प्र० शासन की कार्य-पूर्ति और दिग्दर्शक, 1981-82 की। (इस समय 2 बज कर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, श्रमिकों से सम्बन्धित/श्रमिकों की आज जो मूल परेशानियां हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान गया। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने निर्बल और कमजोर वर्ग के जो असहाय श्रमिक हैं, उनकी परेशानियां और समस्याओं की ओर ध्यान दिया।

विशेष रूप से वार्षिक समीक्षा का पेज 7 आप देखें जिसमें वृद्धावस्था की बात कही गयी है। यह योजना 57 से शुरू हुई और 15 रुपये से बढ़ कर आज 50 रुपये तक पहुंच गयी। इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगी कि 81 के बजट में उन्होंने इसको 60 रुपये कर दिया है। उन्होंने इसके द्वारा निर्बल तथा कमजोर वर्ग की ओर ध्यान दिया। लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि जहां आपने यह वृद्धावस्था योजना बनाई उसमें थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। वृद्धावस्था आपने 65 वर्ष रखी है। 65 वर्ष के बाद जब पुरुष या स्त्री पेंशन पाने का हकदार होगा तो जब तक यह कार्यक्रम बन कर तैयार होगा तब तक बहुत से लोग उनमें दुनिया छोड़ चुके होंगे और वह आपकी पेंशन खाने नहीं बैठे होंगे। विधवाओं के लिये आखिरी पैरा में कहा गया है कि 65 वर्ष को छोड़ कर 60 वर्ष की अवस्था में उनको पेंशन दी जायगी। मैंने इससे पहले भी सदन में कहा था और अब पुनः कहती हूं कि विधायक के साथ-साथ मैं एक स्त्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी हूं और इसके कहने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है कि मैं एक श्रमिक की भांति अपने परिवार को चलाती हूं और एक श्रमिक की श्रेणी में आती हूं। मैंने अपनी योग्यता से इस सदन में आने का प्रयास किया और आई भी हूं।

मैं जिन विधवाओं का जिक्र करना चाहती हूं वह बड़ी छोटी उम्र की होती हैं। 60 वर्ष की विधवा के साथ-साथ 25 व 30 वर्ष की विधवा भी होती हैं जिनकी गोद में छोटा बच्चा भी होता है। उनके मामले में आपने क्या सोचा ? दो महीने का, सवा साल का और ढाई साल का बच्चा उनकी गोद में होता है। जब मैंने अधिकारियों से जाकर इस विषय में बात की तो उत्तर यह मिला साहब जब हम इस बात को सोचते हैं कि जो जवान औरत होती है वह चौका बर्तन करके खा सकती है। जो विधवा 60 या 50 वर्ष की पेंशन लेगी वह निर्बल वर्ग की, कमजोर वर्ग की। अनुसूचित जाति की या पिछड़े वर्ग की होगी विशेषकर उनका कोई ठिकाना नहीं होता। कोई भी परिवार जो 50, 60 रुपया दे कर किसी स्त्री को अपने घर में बुलायेगा इस वक्त यह कटु सत्य है कि वह नन्हे से बच्चे को उसके पेशाब से अपने घर का गन्दा नहीं होने देगा।

इन छोटी-छोटी कठिनाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यह वर्षों की परिवरिश किताबों में तो अच्छी हो सकती है लेकिन समाज के उस अंग तक नहीं पहुंच पाती जहां इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से पुनः पुरजोर तरीके से अपनी ही सरकार से निवेदन करूंगी कि कम से कम विधवा के नाम विधवा की ओर देखने की कोशिश करें जिनको आपकी सहायता की जरूरत है। मैं मान्यवर, इसके बाद दूसरी बात कहना चाहती हूं कि जो नौकरियों के मिलने की बात है उन विषय में हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है मैं कहना चाहता हूं कि जो कमजोर है निर्बल वर्ग के है उनके साथ अन्याय होता है जिनकी आवाज कमजोर है जिनका कोई सहारा नहीं होता है जिनकी हालत ठीक नहीं होती है उनका यदि चयन स्वच्छ तरीके से होता है तो अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाती है लेकिन जब चयन की परिपाटी खत्म हो जाती है तो वह कमजोर वर्ग का व्यक्ति निराश्रित रह जाता है जिनके लिये कुछ योजनायें चलाई जा रही हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है चयन समिति को माध्यम से नौकरी दी जाय यह कार्य शुरू करें।

मान्यवर, एक बात मैं सेवायोजन कार्यालय के बारे में कहना चाहती हूं और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है मैं उसी को दोहराना चाहती हूं कि वहां पर सफाई के साथ ईमानदारी के साथ नौकरी मिले। मेरा कहना है कि यह आपके सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से जो रोजगार दिया जाता है वह इतना साफ हो ताकि निर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग, जिनको हम किताबों में वर्णन करते हैं वहां तक हमारी योजना पहुंच पाये। एक बात और कहना चाहूंगी यह सही है कि इसमें दिया है कि छोटी तमाम योजनायें है उनको चलाते हैं। इसमें है कि किसी को ऋण देकर, किसी को अनुदान देकर कोई गाय, भैंस, बकरी या परम्परागत लोगों का जो धंधा है वह उसको कर सकें, यह योजना है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि यह आकड़े पूरे हो जाते हैं और जैसा मैंने बताया 81-82 का जो बजट है इसमें है कि पिछड़े लोगों के लिये हमने तमाम योजनायें चलाई हैं। उनको भैंस दिया है बकरी दिया है, इतना ऋण दिया है इतना अनुदान दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी--]

जिन लोगों को यह सुविधा देने के लिये यह योजना बनी है वहां तक वह योजना नहीं पहुंचती। सहकारिता के माध्यम से जो यह धन इस प्रकार का वितरित होता है यह उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी समझ में यह होता ह यह उनको नहीं पहुंचता जिनको आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि हमारी सरकार की जो योजना है उनको निर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग तक गांवों में पहुंचाई जाय। ईमानदारी की बात तो यह है कि वोट लेने के बाद हम वहां अधिक नहीं पहुंच पाते, वहां इसे पहुंचाई जाय। जिसके लिये यह योजनायें बनी हैं वह शिक्षित नहीं हैं उनको अनुभव नहीं है कि सरकार कौन-कौन सी योजनायें उनके लिये चला रही है। उनके लिये कोई रोचक तरीके से चाहे नाटक के माध्यम से चाहे किसी प्रकार हमारे सूचना विभाग, चाहे सरकार समझकर उनको डाकूमेंटरी रील बनवा दें जो गांव में जाकर दिखाई जाय और यह बताया जाय कि यह योजना आप चलाना चाहें तो आपको सहायता मिल सकती है। जहां तक इसमें ऋण की बात कही है हमारी सरकार ने ऋण योजना बनायी है लेकिन ऋण देने के लिए बड़ी हिम्मत की आवश्यकता होती है। जहां हमने कागज चलाया, अमीनाबाद में एक हमारे यहां उनकी जूतों की दूकान है, उन्होंने कहा कि बहन जी अगर आप मदद करें और हमको बैंक से ऋण मिल जाये तो हम अपनी दूकान बढ़ायें। त्योहार जब आते हैं तो बिक्री बढ़ जाती है और हर एक जानता है कि यह एक उनकी फसल होती है दूकान बढ़ाने की। हमने बैंकों से सम्पर्क किया और अगर 8 दिन वहां पर नहीं गये तो 30 रुपये का स्टैम्प लगा हुआ कागज वापस चला आता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ाने वाले, निर्बल, गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर ऊंचा उठना चाहते हैं तो बैंकों के माध्यम से जो ऋण की योजनायें जारी की गई हैं उनमें कठिनाइयां न उत्पन्न की जायें। कठिनाईयां उत्पन्न होंगी तो कुछ दिन बाद कागज लौट आयेंगे और आपकी योजनायें धरी रह जायेंगी। लेकिन अगर देश को प्रदेश को, निर्बल और कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना है तो मान्यवर, कठिनाईयों को दूर करना चाहिए। एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगी, मुझे याद है जिस वक्त हम लोग खाद लेकर चला करते थे, हमारे ब्लाक के बी० डी० ओ० वगैरह, गांव के सभापति यह कहा करते थे कि बी० डी० ओ० साहब आप जाऊन चाहौ लिख लेओ यह खाद हम न लेब, नौकरी तुम्हार कैसे बचेगी, उत्तर हम से लिख लेओ। लेकिन आज खाद के लिए लाइन लगी है, इस पर श्रम विभाग द्वारा जो उनकी योजनायें हैं निर्बल और कमजोर लोगों तक जो यह पुस्तक में लिखा है, पहुंच जायेंगी तो निश्चित ही निर्बल और गरीब ऊपर आयेंगे। अन्त में जो बजट हमारे सम्मानित मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करती हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने अपने इम्तिहान का पर्चा बड़ी मजबूती के साथ दिया है लेकिन मुख्य मंत्री जी जो नम्बर देने वाले हैं, फौरन ही चले गये। मुझे शक है कि कहीं नम्बर 33 से नीचे ही न रह जायें। सर्वप्रथम कहा कि क्लास-स्ट्रगिल। तमाम जिन्दगी उनकी लेबर संगठनों के साथ काम करते हुए बीत गई है। क्लास-लेस सोसाइटी को बनाना है और क्लास-स्ट्रगिल से आप घबरायेंगे, तो यह क्यों ? यह सिर्फ इसलिए कि डाइरेक्ट लड़ाई है हैव्ज और हैव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाट्स को । 5 प्रतिशत चाहे श्रमिक हो, विशेष रूप से जब वह मजदूर और मिल मालिक एक ही जगह, कालोनी में रहते हं तो रोजाना सुबह से शाम तक उसके बच्चे देखते हैं कि उसका मालिक उसकी गाढ़े पसीने की कमाई की वजह से, उसके खून-पसीने की कमाई से, यह दौलत इकट्ठी की है उसके कुत्ते भी रबड़ी खा रहे हैं और गद्दों पर सो रहे हैं और दूसरी तरक एक वह गरीब है जो अपने बच्चे को सुबह से शाम तक मेहनत करके भी पैरों के लिये जूते, तन ढकने के लिये कपड़, दो वक्त की रोटी और तालीम के लिये पैसा को भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है । तो कैसे नहीं क्लास स्ट्रगल पैदा होगा ?

अब माननीय मंत्री जी ने कहा कि 66 प्रतिशत जो उनके सामने मामले उठे, वे कनसिलियेशन में तय होंगे । मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि 66 प्रतिशत मामलों में जो फैसला किया, वह आज तक कैरी आउट कितने में हुआ ? उसमें मोदीनगर का भी मामला शामिल होगा 66 प्रतिशत में और रामपुर का भी मामला शामिल होगा जिसके बारे में आपने जवाब दिया था । लेकिन, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये अगर 66 प्रतिशत का फैसला कर भी लिया गया, तो बाकी जो 34 प्रतिशत बच गये, वह जो 34 प्रतिशत का फैसला नहीं कर पाये थे, उनमें किस वक्त विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, कह नहीं सकते क्योंकि अभी आपने देख लिया कि अकेले मुरादाबाद के मामले ने दुनिया को और पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया और उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है अकेले मामले का, तो जो 34 प्रतिशत में किसी में भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी, तो यह आपका 66 प्रतिशत कहीं का कहीं रखा रह जायेगा । और श्रीमन् फिर इस बात को भी देख सकते हैं कि कनसिलियेशन और फैसले के बाद उसकी जिम्मेदारी कहां होती है । आप उस जिम्मेदारी को ओढ़ते नहीं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज खरबों रुपया दूसरे मुल्कों का फकरुत है । डेढ़ सौ के करीब पर हेड के हिसाब से पूरा मुल्क फकरुत है । वह रुपया कहां गया ? मान्यवर, वह रुपया इन 25 बिग हाउसेस का लोन्स की शक्ल में दे दिया गया । सन् 47 के बाद जिसके पास एक कारखाना था, आज उसके पास 10/10 कारखाने हैं । वह रुपया हर आदमी पर है । एक तरफ जो टाप के बिग हाउसेस हैं, उनकी आमदनी इतनी बढ़ गयी और दूसरी तरफ बढ़ती हुयी महंगायी के कारण हर मजदूर की हालत दिनोदिन बदतर होती गयी जो हर चीज को मोल लेकर खाता है । चाहे फैक्ट्री में लाक-अप हो जाय, स्ट्राइक हो गयी, तो उसकी आमदनी का स्रोत बन्द हो गये, लेकिन उसको मोल लेकर खाना होगा क्योंकि उसके पास खेती नहीं होगी । तो जो महंगायी नवम्बर, 1980 में थी, उसमें 3/4 चीजों के बारे में बता दूं जिनके बगैर उसकी निभ नहीं सकती । उरद की दाल रु0 3·60 नवम्बर, 1980 मे बिकती थी जो अब 5·00 रुपये किलो हो गयी है । अरहर की दाल रु0 3·20 में नवम्बर, 1980 में बिकती थी और अब 5·50 रुपये में बिक रही है । मोटा चावल (बासमती नहीं) रु0 1·60 में बिकता था जो अब रु0 2·25 में प्रति किलो हो गया है । घी की बात तो छोड़ ही दो क्योंकि वह तो उसके ख्वाब में ही मुयस्सर नहीं हो सकता लेकिन सरसों का तेल जो उस समय रु0 9·00 किलो था अब 15-16 रुपये किलो है । लकड़ी उस समय 30 रुपया थी, जो अब 50 रुपया आज हो गयी है । मान्यवर, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर किसी का गुजर नहीं हो सकता है ।

[श्री रियासत हुसेन---]

श्रीमन् 24 सूत्रीय कार्यक्रम का जिक्र कर दिया और 25वें सूत्र को तो आपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो के जिम्मे कर दिया। लेकिन उसके बारे में आपको भी तजुर्बा है और उनको भी तजुर्बा है। हर माननीय सदस्य को तजुर्बा है कि 25वें सूत्र के लिये कितने प्रभावकारी कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन उनको बिलकुल निकाल दिया। खून-पसीना उसमें भी एक हो जाता है। तो 25वें सूत्र के लिये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिये थी लेकिन उसके लिये बजपेयी जी ने ध्यान नहीं दिया। विशेष रूप से कहना चाहता हूं। कि जो बड़े-बड़े फैक्टरी वाले हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप उनको किस हद तक समर्थन देंगे। देश में 95 प्रतिशत श्रमिक हैं चाहे वह खेतों के लेबर हों, चाहे वह फैक्टरी में लेबर हों उनको आप फायदा पहुंचाना नहीं चाहते सारे फायदे फैक्टरी वालों के लिए हैं मिशाल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि धुधली शुगर मिल गोरखपुर में है। उसमें आपका रिसीवर है। 58 लाख रुपया लेबर का बकाया वहां है उसमें से 6 लाख रुपए के रिकवरी सर्टीफिकेट भी जारी हो गए लेबर कोर्ट से वसूलियाबी के लिए, लेकिन वसूली नहीं हुई। सोचने की बात है, या तो आप इस बात का ढिंडोरा मत पीटें कि आप की सरकार लेबर के इंटरेस्ट में कमिटेड है। अगर आप इस चीज के लिए कमिटेड हैं तो सख्ती के साथ आपको इस चीज को करना पड़ेगा। जो मजदूरों का पैसा है चाहे वह बोनस का पैसा हो या और किसी चीज का पैसा हो उसकी वसूलियाबी करके देने की आपकी जिम्मेदारी है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप इस बात की घोषणा करें कि जहां कहीं कभी एवार्ड होगा और उस एवार्ड के मुताबिक जो भी रुपया चाहे वह बोनस का हो या और किसी चीज का हो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार अपने पास से वह रुपया देगी और फिर वसूलियाबी जैसे वह चाहे फैक्टरी ओनर से करे। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में जो भी मजदूर हैं चाहे वह किसी भी यूनियन के हों आपको बराबर की निगाह से उनको देखना चाहिये। उसमें पालिटिक्स में नहीं जाना चाहिये चाहे इंटक हो या और कोई यूनियन हो उसमें आपको पालिटिक्स में नहीं जाना चाहिये दुर्भाग्य की बात है कि आप मंत्री होकर, अगर कोई यूनियन मजदूरों की रिकगनाइज होती है और मैनेजमेंट समझता है कि यह हमारे खिलाफ काम करेगी तो उसकी अल्टरनेटिव यूनियन खड़ी करके उसका रजिस्ट्रेशन उसके पहले कर दिया जाता है और असली यूनियन पीछे पड़ जाती है। इसमें आपको देखना चाहिये, मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन गोरखपुर में वहां बाकायदा बाइलाज से इलेक्शन होकर आफिस में सारी चीज आ गयी, नाम वगैरह आ गये लेकिन यहां से जो रिकगनीशन होकर गया तो सारे पदाधिकारी चेंज हो गये। तो समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो गया एक दूसरी चीज की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पालेकर एवार्ड के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी स्पष्ट बात कही कि पालेकर एवार्ड हमारे प्रदेश में अखबारों में लागू होना चाहिये लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। किसी का आपने इसी संबंध में प्राजीक्यूशन किया। बल्कि जहां तक प्रेस की आजादी की बात है इस तरह की घटनायें जैसे। "जनवर्ता" के एडीटर के बारे में हुई, यह सारी जो घटनायें होती हैं इन घटनाओं के बारे में आप क्या संरक्षण देंगे। इसमें आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरा करें यह सोचने की बात है।

श्रीमन्, बड़ा भारी नारा दिया गया है कि गरीबी हटाओ। आप सब लोग उसी नारे

पंदावार हैं । लेकिन इस नारे के दौरान आज तक गरीब कितने हटे और गरीबी कितनी हटी इसकी जानकारी करनी चाहिए । अगर इस देश से गरीबी आप हटाना चाहते हैं, गरीबी हटाने का लक्ष्य आपका है तो जब तक उसका कार्यक्रम आप नहीं बनायेंगे और इस देश के अमीरों को नहीं हटायेंगे तब तक यह नारा पूरा नहीं होगा । अमीर लोग जो शासन करते हैं गरीबों पर चाहे वह टाटा हों चाहे वह बिड़ला हों । चाहे श्रीमन्, वह बड़े–बड़े फारमर्स हों जिनके नाम मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट में आये हों, जब तक इन अमीरों को समाप्त करने का कार्य क्रम नहीं होगा तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा जो है कि गरीबी हटायेंगे वह गरीबी नहीं हटेगी । और चूंकि मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी एक बात कही–एग्रीकल्चरल लेबर की तरफ इशारा किया कि इस प्रदेश में एग्री कल्चरल लेबर की हालत बहुत खराब है और उसके साथ ही साथ बाउन्डेड लेबर के सम्बन्ध में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में आजादी के बाद भी बाउन्डेड लेबर चल रहा है जिसके सम्बन्ध में मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे मुरादाबाद जिले में भगतपुर पायल गांव में, थाना कुंढ़ में गरीब लोगों के घर दिन दहाड़े उजाड़ दिए गए चूंकि वह लोग बाउन्डेड लेबर मजदूरी करने के लिए इंकार कर दिये थे । दूसरा उदाहरण भगतपुर थाने में सकतपुरा गांव के प्रधान ने बेइमानी करके पहले ग्राम समाज की जमीन अपने एक व्यक्ति के नाम पट्टे पर लिखा दिया और जब वह आदमी मर गया तो भांजा खुद बनकर अपने नाम उस जमीन को करा लिया और दाखिल खारिज करा लिया ।वहां के जो गरीब लोग हैं जो काशीपुर फैक्टरी में काम करते हैं और खेती भी करते हैं तो उन्होंने मजदूरी करने का काम बन्द कर दिया जिससे एक सप्ताह हुआ है चूंकि वह बाउन्डेड लेबर नहीं करना चाहते हैं इसलिए उन पर दिन दहाड़े प्रातः 7 बजे हमला किया गया और इसलिए 452, 148, 147 दफा के जरायम किए गए जो कि मुरादाबाद थाने में अंकित हैं । इसलिए बाउन्डेड लेबर की जो बात कही है तो आप ऐसे कायदे कानून बनायें कि कोई व्यक्ति किसी का पाबंद न हो ।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि लेबर के मुताबिक एक्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जमीन से सम्बन्धित रेवेन्यू से सम्बन्धित सारे ऐक्ट्स को मिलाकर एक कंपरेहेन्सिव ऐक्ट रेवेन्यू कोड बिल के नाम से बनाया जा रहा है, तो मेरा सुझाव है कि उसी तरह लेबर एक्ट के जो 20–26 ऐक्ट्स हैं उनको सबको–कंसालीडेट करके एक ऐक्ट बनायें जिससे सारी दिक्कतें दूर हो सकें । यह बात कहकर मैं श्री ऊदल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री झग्गड़ सिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए और खेतिहर मजदूरों की हालत को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो हम मजदूरों की बात करते हैं वह कागज तक रह जाती हैं । मैं खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं । मान्यवर, वहां आज भी ऐसे खेतिहर मजदूर मौजूद हैं, जिनके पास रोजगार नहीं हैं और एक पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले कृषि वर्ग मजदूर जिनका परम्परागत पेशा है पशु

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झग्गड़ सिंह—]

पालना, जिनको आपने बेरोजगार बना दिया है और उनके सामने ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि जिससे उनके पास रोजी रोटी नहीं रह गई है। उन ग्रामीण खेतिहर मजदूरों की दशा दयनीय है जिसको सुधारने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनके लिए होना चाहिए कि इम्प्लायमेन्ट एक्सचन्ज में जब नाम पंजीकृत हों तो प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्म होने चाहिए जिसमें लिखा हो कि उसके परिवार में कितने आदमी हैं, क्या साधन हैं।

जिन लोगों के पास रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं, साधनहीन हैं, जिनकी एप्रोच जो नहीं है, जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए नहीं तो वे लोग जिनके पास रोजगार हैं, रोजगार में और आगे निकल जायेंगे और जिनके पास रोजगार नहीं हैं, वे बेरोजगार रह जायेंगे। इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग साधनहीन हैं, अशिक्षित हैं, जिनके रोजी-रोटी का कोई सहारा नहीं है, उनको पहले रोजगार दिलाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ये ग्रामीण खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं, अभी 20 सूत्रीय की बात आई, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी उनको कोई भी काम ऐसा अपना नहीं पाये हैं, जो उनके जीविका का सहारा बन सके। उनके लिए सरकार कम्पलसरी तरीके से ऋण की व्यवस्था करे कि जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके परिवार में खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, उसको सरकार से कम्पलसरी ऋण दिया जायेगा। उसको वह ऋण सच्ची जमानत पर मिलना चाहिए। जमानत के अभाव में उनको ऋण नहीं मिल पाता है।

एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट संस्थान के अन्दर लगे हुए कर्मचारी हैं, वे सेवामुक्ति के बाद अपने जी० पी० एफ० और ई० पी० एफ० के लिए मारे-मारे फिरते हैं। सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब व्यक्ति सेवा मुक्त हो उसको उसी समय समस्त फन्ड मिल जाना चाहिये, ऐसा न हो कि सेवा मुक्ति के बाद वह इधर-उधर और लखनऊ की सड़कों पर अपने फन्ड के चक्कर में मारा-मारा फिरता रहे।

इसके साथ ही मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह है प्राइवेट संस्थान के अन्तर्गत जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है और वहां पर मजदूरों की संख्या से ज्यादा काम रहता है। वहां पर शासन द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए कि मजदूरों की संख्या के अनुपात में वहां पर काम कैसा है। हस्तिनापुर में जो सूत की फैक्ट्री है वहां पर 710 आदमियों की बात कहते हैं। परन्तु उनकी फैक्टरी के आदमियों द्वारा एक प्रोफार्मा निकाला गया कि 910 आदमी हमारी फैक्टरी में परमानेन्ट होने चाहिये। उनके मजदूर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। इम्पलायमेन्ट कम आदमियों को दिया जाता है और कम आदमियों से ज्यादा काम लिया जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रूप से सर्वे कराये तो सारी स्थिति सामने आ जायेगी।

इसी प्रकार से हरिजनों के सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री जी ने बहुत सी बातें कही हैं, उनके रिजर्वेशन के बारे में कहा है। आज खासतौर से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन हरिजनों के रिजर्वेशन की बात आप करते

हैं, मैं उससे सहमत हूं परन्तु माननीय मंत्री जी का ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि क्या आपने वहां देखा है जहां पर हरिजनों का रिजर्वेशन नहीं है वहां किसी हरिजन को नौकरी मिल पाती है ? किसी एक संस्थान के अन्दर कोई हरिजन को मजदूरी में लगाया गया । कहीं बिना रिजर्वेशन के हरिजनों को नौकरी में नहीं लगाया जाता है । प्राइवेट सेक्टर के अन्दर, जहां उनके निजी व्यवसाय हैं, जिनको फैक्ट्रियां हैं, उनमें हरिजनों की संख्या नहीं के बराबर है । जब पूछे तो कह दिया जाता है कि उनमें एजूकेशनल क्वालीफिकेशन नहीं है, उनमें तो योग्य आदमी नहीं है । जब तक बैंकों का नेशनल इजेशन नहीं हुआ था, बैंकों में कहीं हरिजनों को नहीं भर्ती किया जाता था क्योंकि उनमें योग्य व्यक्ति मिलते ही नहीं थे परन्तु जिस दिन से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, हरिजनों में योग्य व्यक्ति मिलने लगे । इसी तरह प्राइवेट फर्म वाले यह कहते हैं कि हरिजनों में योग्य आदमी नहीं मिलते हैं । 18 परसेन्ट का कोटा निर्धारित किया, यह सौतेला व्यवहार मानवता के साथ हुआ है । समाज में हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिये उन्हें बराबरी पर लाना होगा जिससे कि उन्हें सर्विस मिल सके । तो मैं चाहूंगा कि प्राइवेट फर्म का सर्वे कराया जाय और काबिल आदमी समाज में हैं, इम्पलायमेन्ट के जरिये खासतौर से इस ओर ध्यान दिया जाय । वैसे इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज का कोई महत्व नहीं है, उसके लिये कोई कड़ी व्यवस्था करनी होगी क्योंकि सेवा नियोजन के माध्यम से एप्रोच करके वहां डाइरेक्ट भर्ती कर ली जाती है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में खासतौर से हरिजनों के कोटे के सम्बन्ध में कि प्राइवेट फैक्ट्रीज में इस तरह की डाइरेक्ट भर्ती को रोकने के लिये शासन को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिये ।

इसी के साथ मैं कुछ ओवर टाइम के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । जब हमारे पास इतना अनइम्पलायमेन्ट है तो फिर यह ओवर टाइम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये जब तक कि इस प्रकार के मसले श्रमिकों के हमारे सामने हैं । जब हमको श्रमिक मिल सकते हैं काम करने के लिए तो फिर एक ही व्यक्ति से ओवर टाइम क्यों लिया जाय ? देखने में यह आता है कि लोग अपना शेडयूल्ड वर्क दिन भर नहीं करते हैं और बाद में देर तक बैठ कर काम को खतम करते हैं । तो मैं यह चाहूंगा कि ओवर टाइम न दें इससे कार्य में बड़ी शिथिलता हो गयी है और कोई काम समय से नहीं हो पाता है ।

इसी प्रकार देखने में यह आता है कि रोडवेज कर्मचारियों को लीजिये कहा गया कि 1972 में निगम बन जायेगा परन्तु आज तक उनकी सेवा शर्तें ही नहीं बनीं । उन्हें यह नहीं पता कि हमारे भविष्य के सम्बन्ध में क्या हो रहा है । करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया । कई अधिकारी आसाम, मैसूर, केरल घूम आय लेकिन कोई खुशहाल नहीं है कि इन सेवा शर्तों, कंडीशन्स पर आपको काम करना पड़ेगा । आज उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है । महोदय ऐसी सेवा शर्तें बननी चाहिए जिससे कि वह अपने भविष्य के सम्बन्ध में सचेत हो सके । इन शब्दों के साथ मैं सरकारी प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो समय दिया गया है आपने बोलने के लिए श्रम विभाग के बजट पर मैं उसके लिये आभारी हूं । मान्यवर, जो श्रम विभाग की तरफ से पुस्तिकायें मिली हैं उनमें मैंने देखा है कि पूर्वी जिलों में मजदूरों को साढ़े छः रुपया मजदूरी मिलेगी । आपके पास ए० डी० ओ० पंचायत, ए० डी०

श्री नन्द किशोर सिंह--

ओ0 एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आती होगी, वहां पर 2 रु0, 1 रु0 और डेढ़ रुपया मजदूरी दी जा रही है । मान्यवर, आप किताब में तो लिख दे रहे हैं, कानून बना दे रहे हैं लेकिन क्या उन खेतिहर मजदूरों को साढ़े छः रुपया दिला पा रहे हैं या नहीं यह भी तो देखिये । आज देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और पूर्वांचल के अनेक जिलों में साढ़े छः रुपया मजदूरी नहीं दी जा रही है । मान्यवर, एकदम भ्रम पैदा कर देता है रेडियो पर समाचार और मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो बुलेटिन जाता है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सारी चीनी मिलों में खास तौर पर देवरिया में 14 चीनी मिलें हैं मैंने देखा है कि डेली लेबर्स दो-दो साल, तीन-तीन साल काम करते हैं और उनको 4 रु0 मजदूरी दी जाती है । मिल के जो श्रमिक लोग बेतालपुर, गौरी बाजार, खड्डा आदि मिलों में काम करते हैं उनको हफ्ते में 5 दिन हाजिरी बनाते हैं और रोज काम लेते हैं तो मैं चाहूंगा कि जो आपके आदेश जो यं वह स्पष्ट हों और डेली वेजेज के मजदूरों को भी साढ़े छः रु0 और साढ़े आठ रु0 दिया जाय । सरकारी शुगर फैक्ट्री, बेलरावां में आजमगढ़, बस्ती और गाजीपुर से मजदूर काम करने आते हैं और आपकी मिलें बनाते हैं लेकिन नौकरी के समय यह कह दिया जाता है कि 9 किलोमीटर की एरिया के अन्दर के ही मजदूर रखे जायेंगे । जिन मजदूरों ने 2-2 साल अथक परिश्रम किया और मिल तैयार की उनको नौकरी नहीं मिलती है । बेलरावां में पूर्वांचल के 200-300 मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने मिल बनाया लेकिन आज मिल बनने के बाद कहा जाता है कि पूर्वी जिले के लोगों को नहीं रखा जायेगा । मैं कहना चहता हूं कि जहां के लोग मिल बनायें उनको तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर जरूर सेवा में लें ।

तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं पेंशन के मामले में । पेंशन का जो मामला है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपके आदेश क्या हैं । इस्तफा हुसैन जब मंत्री थे हाटा-देवरिया रोड पर तिलकधारी हरिजन का पैर इनके कार से टूट गया, तो यह आदेश हुआ था कि 50 रु0 पेंशन दी जायेंगी । यह हरिजन है वह 60 वर्ष का हो गया है उसका एक पैर टूट गया है और 5 साल से ऊपर हो गया आज तक वह चारपाई पर पड़ा हुआ है । उसकी पत्नी भी नहीं है, एक बच्चा है 5 साल का लेकिन आज तक उसे पेंशन नहीं मिली । यहाँ से चिट्ठी जाती है कि यदि आपके गांव में कहीं भी जमीन बची होगी तो उसको दी जायेगी । 60 डिसमिल जमीन पर उसको कब्जा भी दिया गया लेकिन अभी जिलाधिकारी के आदेश से उस जमीन पर उसका नाम नहीं चढ़ा । बंजर जमीन रही, गांव सभा की जमीन रही वह जमीन भी ले ली गयी, एक पैसा पेन्शन नहीं दी गई । यह आपकी पेन्शन देने की योजना है और यह आपके आदेश हैं । आदेश स्पष्ट हैं कि 60 रुपये महीने दिया जायगा । आज तक नहीं मिला । मेरा स्पष्ट कहना है कि सारे खेतिहर मजदूरों को जिन की उम्र 60 वर्ष या 65 वर्ष हो उनको पेन्शन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी विभाग में काम करता है तो उसे आप 60 वर्ष के बाद पेन्शन देते हैं, खेतिहर मजदूर का क्या दोष है, उसे आप क्यों नहीं देते हैं । वह धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, उसका लड़का, उसका परिवार, उसकी मदद नहीं करता है, इसलिए निश्चित तौर पर 65 वर्ष के उम्र के खेतिहर मजदूरों को 50 रुपया पेन्शन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार सारे खेतिहर मजदूरों को पेन्शन दे रही है । जो तीन एकड़ से कम के किसान हैं उनको भी 65 वर्ष के ऊपर पेन्शन देने की योजना बनाने जा रही है ।

कुछ जिले उसने ले लिये हैं । पश्चिम बंगाल ऐसा कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो । चाहे खेतिहर मजदूर हो, किसान हो, 65 वर्ष से ऊपर की उम्र का हो, तो उसे पेन्शन देने की योजना बनानी चाहिए नहीं तो समाज दो तरह का बन जायगा । एक तो वे लोग जो नौकरी करते हैं और नौकरी के बाद उनको पेन्शन दी जाती है और दूसरे किसान जो गांवों में काम करते हैं जिन्हें पेन्शन नहीं दे पाते । गांव के किसान और मजदूर दोनों की हालत एक जैसी है ।

अन्त में उपाध्यक्ष जी, मैं एक चार लाइन का शेर है उसको कह रहा हूं :

मजदूरों की ईदें कब होंगी,
खेतिहर की कहां दिवाली है ।
सरकार की तारीफ क्या करनी,
जब चारों तरफ कंगाली है ।
यह वही पुरानी भट्ठी है,
मजदूर तो इस का ईंधन है ।
सरकार की जो तारीफ करे,
जनता का सही दुश्मन है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में श्रम बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । सर्व प्रथम मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं ।

मान्यवर, माननीय सदन में इस प्रदेश के योग्य एवं दार्शनिक श्रम मंत्री ने जो श्रम का बजट रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । माननीय ऊदल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से विरोध करता हूं ।

मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी से मैं आज से नहीं अनेक वर्षों से परिचित हूं ....

श्री उपाध्यक्ष--

विरोध हृदय से कर रहे हैं या मस्तिष्क से ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मेरा हृदय और मस्तिष्क एक में जुड़ा है, विभेद नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी जा रहे हैं वरना बता देता ....

एक सदस्य--

स्वास्थ्य मंत्री हैं ।

श्री [illegible] ल ल बाजपेयी--

स्वास्थ्य मंत्री हैं । मान्यवर, जिस समय उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री के रूप में माननीय दीक्षित जी ने शपथ ग्रहण की थी तो मुझे विश्वास था कि उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग धरती पर आयेगा । माननीय मंत्री जी ने अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की याद ताजा कर दी । आप भी वहां के छात्र रहे हैं, मैं भी रहा हूं । वर्षों धूल फांकने का अवसर मिला है । मैं कहता हूं आज यदि प्रोफेसर मेनन या प्रोफेसर सिद्धान्त जीवित होते और अपने सुयोग्य छात्र की वकृता देखते तो निश्चित रूप से आज वह 100 में से 99 नम्बर जरूर दे देते । मान्यवर, जिस तरह से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का सारा प्रशासन आई० ए० एस० से चिपका हुआ है उसी प्रकार श्रम बिन्दुओं से बना हुआ श्रम विभाग आई० ए० एस० की काया से माननीय मंत्री ने चिपका दिया । मुझे आशा थी कि कम से कम श्रम आयुक्त के पद पर की नियुक्ति तो वह किसी श्रम विभाग के अधिकारी से जरूर करेंगे ताकि वह श्रमिकों की समस्याओं और भावनाओं को समझ सकें । परन्तु दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का कि वह इस आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के गिरोह ने जकड़ रखा है । जो भी मंत्री होता है वह इस तीन अक्षरों के सामने सलाम करने लगता है ।

मान्यवर, मैं बहुत दिन से देखता था और कई बार माननीय मंत्री के साथ यू० पी० निवास में गया भी था । उस समय श्रम विभाग माननीय पाठक जी के पास था । मोदी के साथ झगड़ा चल रहा था । कौन शासक है कौन शासित है, इसे कौन नहीं जानता लेकिन मान्यवर, शोषितों के सा ने मंत्री जी का अपमान हुआ और मोदी का सम्मान किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि ये भी धरती के लाल हैं, इनकी भी बात आप सुनें । मान्यवर, बाराबंकी की एक सुमैया आरगेनिक मिल के बारे में बताना चाहता हू और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है कि इस मिल का जो दूषित जल है वह डुमरिया नाले में डाल दिया जाता है जिससे हजारों लोगों की जिन्दगी का सवाल है हमने इस बारे में तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी श्री आर० बी० सक्सेना से भी कहा कि इसके दूषित जल को इसमें डालने से बन्द किया जाय लेकिन वह आज भी वैसे ही चल रहा है । इस सम्बन्ध में हड़ताल भी हुई, श्रमिक संगठन ने भी कहा लेकिन सुमैया आरगेनिक मिल के मालिकों के नोटों की करामात यह हुई कि किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और कुछ नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त श्रमिकों के बोनस का मामला भी उनके सामने रखा गया लेकिन उनके नोटों ने लखनऊ से बाराबंकी तक इतनी धूम मचा रखी है कि कोई सुनने वाला नहीं है । उनकी फरियाद आज किसी मंत्रालय में नहीं है जिससे कुछ कहा जा सका ।

अब मैं आपका ध्यान श्रम मंत्रालय के सेवायोजन कार्यालयों की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि हर जिले में नाम अंकित करने के लिये स्थापित किये गये हैं । उनकी स्थिति यह है कि नाम अंकित करने के लिये पैसा, नाम निकालने के लिये पैसा और यदि शिकायत करिये तो जो जांच करने के लिये जाता है वही घूस लिये हुये होता है और अगर कहीं किसी सम्मानित सदस्य ने लिखकर दे दिया तो वह अपमानित होता है और अगर किसी तरह से मंत्री जी से कहकर किसी का तबादला हो जाता है तो सारे डाइरेक्टोरेट तक ऐसा जाल फैला हुआ है कि तबादला तुरन्त रद्द हो जाता है। मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है कि एक बाबू के सामने एक सम्मानित सदस्य की कोई औकात नहीं है । यह हमारे श्रम विभाग की हालत है । हमें बड़ा गर्व है कि यह श्रम विभाग ऐसे मंत्री के पास है जिनका मैं शिष्य रह चुका हूं । मैंने वर्षों तक उनकी सेवा की है । यह मेरे आचार्य हैं ।

मान्यवर, तीसरी बात मैं बाराबंकी की एक सूत मिल के बारे में कहना चाहता हूं । जिस तरह से लखनऊ में मोहन मीकिन्स में 80 प्रतिशत लोग डेली बेजेज में काम करते हैं उसी तरह से जब से इस सूत मिल की स्थापना हुई थी, तब से अब तक इसमें 10 प्रतिशत श्रमिक भी स्थायी नहीं हैं । दैनिक मजदूरी के ऊपर उनका भुगतान होता है । जब उनके स्थायित्व होने की सीमा आती है उनको बठा दिया जाता है । इस सम्बन्ध में अनेकों पत्र श्रम मंत्री की और उद्योग मंत्री को दिये गये लेकिन इनकी मछली और तीर छपा कागज कोल्ड स्टोरेज में जमा हो जाता है । सरकार ने घोषणा की थी कि इनको 7 रुपया दैनिक दिया जायेगा जो श्रमिक दैनिक काम करते हैं लेकिन बाराबंकी में मैंने देखा कि पी0 डब्ल्यू0 डी0, सिंचाई विभाग या पंचायत विभाग में जो मजदूर काम करते हैं उनको 6 रुपये का भुगतान होता है । जिलाधिकारी ने अपने विभाग के लोगों से कहा श्रम कानून में यह है, लेकिन इसका उल्लंघन हुआ है । जब उनसे पूछा गया तो मान्यवर, उन्होंने कहा कि क्या करें, यह तो चला ही करता है । श्रम मंत्री इस चलाचली में बदल गये और पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं और कैसे अपने कानूनों का पालन कर रहे हैं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण केन्द्रों को देखने का मौका मिला । जिस समय आपके यहां शरणार्थी समस्या थी उस समय यह योजना बनी थी उन लोगों को रोजगार देने के लिए बनी थी यद्यपि आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु शासन से धन की उसके लिए व्यवस्था होती है । तो मान्यवर, उसमें जो प्रिंसपल, फोरमैन या जो अन्य लोग हैं आप विश्वास रखिये मैं निश्चित रूप से अपनी सूचना के आधार पर कह रहा हूं कि अगर उनमें प्रवेश लीजिये तब पैसा दीजिये, अपने मन चाहा ट्रेड चुनना है तो तब पैसा दीजिये और जो आपने उसमें वजीफा देने की व्यवस्था बना रखी है उसमें अगर पैसा चाहते हैं तो पैसा दीजिये । जब तक प्रिंसपल को पैसा नहीं देंगे तब तक वजीफा मंजूर नहीं होगा । वजीफा पाने के बाद आप पास होना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा दीजिये । तो मान्यवर, सर्वत्र पैसा है जैसे पी0 डब्ल्यू0 डी0 में पैसा वैसे ही श्रम में भी पैसा । मैं श्रम मंत्री जी के बजट का यद्यपि हृदय से समर्थन करता हूं क्योंकि यह मेरा नैतिक दायित्व है, परन्तु मैं सुझाव देना चाहता हूं । आप धरती के पुत्र कहे जाते हैं और राज्य मंत्री जी उसी धरती के पुत्र हैं मैं आपको श्रम आन्दोलन का प्रणता मानता हूं क्योंकि मैं स्वयं छात्र आन्दोलन से निकला व्यक्ति हूं । (व्यवधान) मान्यवर, आप जरा शांत रहें आप भी मेरे आचार्य हैं । तो क्या वह व्यक्ति जो धरती पर रहता है क्या मंत्री पद की शपथ लेते ही उसकी काया भी बदल जाती है । मेरा मस्तिष्क इस पर झंझावत ले रहा है । मैं समझता हूं कि वह धरती के पुत्र, धरती में रहने वाले जब वहां पहुंचते हैं तो सम्मानित विधायक को और इस सम्मानित सदन को भूल जाते हैं और उन्हें लगता है मोदी तुम धरती के राम हो गये । मान्यवर, मैं लालबत्ती का स्वागत करता हूं और एक मिनट मुझे और दे दीजियें मैं आपका सम्मानित विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी जीवन से सम्मान करता हूं और आपसे डरता हूं इसलिए गुस्ताखी नहीं करूंगा ....

श्री उपाध्यक्ष––

यह मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आपने अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा अच्छी दी है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

मान्यवर, मेरा सर्वस्व समर्पित है, अगर मेरा रक्त चाहिये तो वह भी दूंगा । तो मान्यवर, दो बाबुओं का तबादला हुआ और वे सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक तबादले पर

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

रहे और आपका एक जन-प्रतिनिधि जो एक लाख 20 हजार से चुना जाता है वह अपमानित हो गया और सेवायोजन कार्यालय के दो बाबू सम्मानित हो गये। अगर नहीं करना था तो मत करते अगर किया था तो फिर उसका सम्मान करना चाहिये था। लेकिन आपने कौन से जादू से उन बाबुओं से एक विधायक को निकम्मा साबित कर दिया। अगर मैंने गलत कहा था तो उसकी आप जांच कर सकते थे क्योंकि आपके पास न्यायालय है लेकिन वह आप करना नहीं चाहते थे। मेरा हृदय इससे भरा है। तो इन शब्दों के साथ में विस्तार में नहीं जाऊंगा और अपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुनः हृदय से, रोम-रोम से समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री खैरुल बशर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे श्रम विभाग के अनुदानों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय ऊदल जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए श्रम विभाग के अनुदानों का घोर विरोध करता हूं। क्योंकि यह अनुदान को मांगे मजदूर विरोधी हैं और हमारे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में वर्ग संघर्ष की बात इस तरह से कही जिससे लगा कि यह बात कहते उनका दिल धड़क रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस लेबर मिनिस्टर का दिल इसमें छलकने लगा वर्ग-संघर्ष को सुनकर वह पूंजीपतियों का साथी हो सकता है, मजदूरों का साथी कभी नहीं। वह निश्चित ही मजदूर विरोधी है और वह वर्ग-संघर्ष के बारे में कुछ नहीं जानता है। वर्ग-संघर्ष तो अनिवार्य चीज है, पूंजीपति और मजदूर के बीच वर्ग संघर्ष है। वर्ग-संघर्ष के बिना मजदूर आगे बढ़ नहीं सकता, बिना इसके वह बच नहीं सकता। वह दिन दूर नहीं जब वर्ग-संघर्ष की राह पर चलते उसकी शक्ति बढ़ती जायगी और आप तथा मंत्री या और कोई उनको लाख रक्षा करें, लेकिन पूंजीवाद की दीवालों को ढहाता हुआ मजदूर आन्दोलन आगे बढ़ता चला जायगा। इसके साथ में आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने बड़ी देर तक वकालत की कि हमने मजदूरों के लिए यह किया वह किया, यह दिया वह दिया, यह सुविधा वह सुविधा। लेकिन एक शेर है--"बड़ा शोर सुनते थे पहलू मे उनके, दिल जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला।" मैं माननीय बाजपेई जी की भावनाओं के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शुरू से आखिर तक सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी है। मजदूरों को नौकरी देने की बात हो, उनको परमानेन्ट करने का सवाल हो या उनको आवास व्यवस्था करने का सवाल हो, कोई भी बात हो, सब सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी हैं। उन पर वर्कलोड लदने की बात हो या उनको डी० ए० न देने की बात हो, इसमें सरकार आगे रहती है। उनके पास एक ही अधिकार है अपनी मांगों को मनवाने या अपनी परेशानी को सरकार के सामने रखने के लिए हड़ताल करने का। लेकिन हड़ताल की जब बात आती है तो मंत्री महोदय विरोधी दलों को कोसते हैं, पर मजदूर विवश हो जाता है। उसको अपनी एक-एक मांग के लिए बार-बार हड़ताल करनी पड़ती है। बिजली मजदूर जो तार के खम्भों पर चढ़कर तार जोड़ता हैं, खतरनाक लाइनों पर काम करते हुए गिरकर अपनी जान दे देता है, मृत्यु होने के बाद उनको मुआवजा नहीं मिलता है। उनकी स्त्रियां विधवाएं हो जाती हैं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन सरकार का सारा विभाग उसे मुआवजा देने का विरोध करता है और यह चेष्टा करता है कि उसको यह न मिले।

आज हमारे प्रदेश की सरकार कृषि मजदूरों की बात करती है, लेकिन खेत में काम करने वाला मजदूर जो बूढ़ा हो गया और जिसका शरीर क्षीण हो गया, उसके लिए आपके पास क्या योजना है, क्या व्यवस्था है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने ऐसे मजदूरों को उनके बुढ़ापा का भत्ता दिया है, तो क्या हमारे श्रम मंत्री इस बात की यहां घोषणा करने का साहस रखते हैं कि हम भी कृषि मजदूरों को बुढ़ापे और बेकारी का भत्ता देंगे । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज या दूसरी इंडस्ट्रीज में लगे हुए लाखों मजदूरों को जिनको निर्धारित समय पूरा कर लेने पर भी परमानेन्ट नहीं किया गया है, जिनको आधा वेतन देकर उनसे पूरा काम लिया जाता है, उन पर सरकार उन्हें परमानेन्ट करने का नियम सख्ती से लागू कराए और सरकार रजा टैक्सटाइल मिल के पूंजीपति भूतों पर अपना काबू रखे तथा अपना मजदूर विरोधी रवैया हर तरफ से बदले तथा मजदूरों की जान लेने की यह चेष्टा बन्द करे । मैं इसी के साथ-साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने केन्द्रीय सरकार का बजट भी देखा है । जो 1 हजार रुपया वेतन पाते हैं, वे सरकारी आंख में किरकिरी की तरह से खटकते हैं लेकिन आर्डिनेन्स लगाकर आपने देश के गद्दारों की पूंजी को बैधानिक करने की कोशिश की है जो लाखों और करोड़ों में थी । इस सरकार को लज्जा और शर्म भी नहीं आती है । यह सरकार महात्मा गांधी की बात करती है । लेकिन आप मजदूरों के अधिकार कभी नहीं दिला सकते हैं । आपका बजट और रवैया मजदूर विरोधी है । इसलिए मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और माननीय ऊदल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

[समय 4 बजे अपरान्ह]

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हमारे प्रदेश के सम्मानित श्रम मंत्री जी ने जो बजट सदन के पटल पर रखा है, वह बड़ी ही सूझ-बूझ से प्रदेश की करोड़ों जनता के हित में है । आज हमारे प्रदेश की जनता इस बजट को सुनकर स्वागत करती है क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि श्रम मंत्री जी का पूरा जीवन गरीबों और मजदूरों के बीच में रहा है अतएव गरीबों और श्रमिकों के हृदय में उनके प्रति दर्द है और उनके हृदय में गरीबों और श्रमिकों के प्रति दर्द है । इसलिए मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । हमारे भाई ऊदल जी ने एक विरोध पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा है । भाई ऊदल जी ऊदल हैं, कई दल । उन्होंने अपने ढंग का कटौता का प्रस्ताव रखा है । उनके साथियों की ओर से जो भाषण दिए गए हैं उनसे देश और प्रदेश के किसानों पर किंचित मात्र भी कोई प्रभाव होने वाला नहीं है । यह सरकार मजदूर विरोधी अगर होती तो श्रमिक कैसे पंजे पर मुहर लगाते ? जब आपने मजदूरों पर मिलों में गोली चलवायी, पुर्जों से उनकी लाशें निकलवायी वह जमाना सब को याद है । आपने किस तरह से श्रमिकों पर लाठियां चलवायीं, यह सब को विदित है । हमारा देश दुनिया में छठे स्थान पर था लेकिन आपकी नीतियों के कारण 113वां या 114वां हो गया है 4 साल के अन्दर कितने दल दल में हैं और गलत रास्ते पर चल रहें हैं, उससे निकलने के लिए हमको कितना लड़ना पड़ रहा है । इसे प्रदेश के सारे किसान और मजदूर जानते हैं । फिर भी हमारी प्रदेश की सरकार ने कानपुर के केन्द्रीय श्रम कार्यालय में एक अस्पताल खलवाया है, स्वास्थ्य योजना बनायी है और भी बहुत से काम चलाये जा रहे हैं । धीरे-धीरे श्रमिकों और मजदूरों में पर्याप्त कार्य परिवर्तन किए हैं, उनको ऊपर

[डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय---]

उठाया है, आपने तो पिछले 30 सालों में केवल विरोध किया है, आपने उनका कुछ भला नहीं किया ।

मजदूरों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, पर फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है । आज हम देखते है कि एक कुम्हार जो सबके लिए क्या-क्या चीजें बनाता है, मगर खुद एक झोपड़ी में रहता है, एक शिल्पी जो बड़े-बड़े महल बनाता है, पर स्वयं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, हरिजन मजदूर भी आज एक जिस तरह की जिन्दगी बिताता है उसे देख कर आंखों में आंसू आ जाते हैं । हमने इन लोगों की जिन्दगी को ऊपर उठाने का प्रयास किया है, ऊपर उठाया है, और अभी और ऊपर उठायेंगे । हम चाहते हैं कि जो मेहनत करता है उसका उसे पूरा लाभ मिले । आज सारी दुनिया, आजादी मिलने के बाद हमने जो बड़े-बड़े परिवर्तन अपने देश में किए हैं, उसकी प्रशंसा कर रही है । आपने जो अपने ढ़ाई साल के अन्दर गलत काम किए, गलत रास्ते इन लोगों को दिखाए, उसका खामियाजा आज देश और प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है । गरीबों और मजदूरों के हित के लिए आज जो यह बजट आया है इसका सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, आपने जो मुझे श्रम विभाग के इस बजट पर और कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं श्री कमल जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रम और श्रमिकों के हित के लिए माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि उसमें इन लोगों के लिए जितना होना चाहिए था वह नहीं हुआ है । बन्धुआ मजदूरों के लिए यद्यपि ऐक्ट बना हुआ है, पर फिर भी कहीं-कहीं उस पर बिल्कुल ही अमल नहीं हो रहा है । मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि गोंडा जनपद में आज भी बन्धुआ मजदूरी की प्रथा है । मनकापुर क्षेत्र, बजीरगंज थाना व गोंडा आदि में यह प्रथा अब भी लागू है । 2 हरिजन बन्धुआ मजदूर मौत के घाट उतार दिये गये । 3 महिलाओं पर भी हमला किया गया और उनकी भी मृत्यु हो सकती थी, पर वे किसी तरह बच गयी । वहां पर बन्धुआ मजदूरी को आज रोका नहीं गया है । जो मजदूर मौत के घाट उतार दिये गये उनकी केवल एक-एक हजार रुपया उनके परिवार वालों को दिया गया है और घायल महिलाओं को केवल 2-2 सौ रुपये दिये गये हैं जो बहुत ही कम है । जो भी बन्धुआ मजदूरों के खिलाफ वहां कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है । बन्धुआ मजदूरी प्रथा के अभिशाप से हमारा जनपद आज भी त्रस्त है, उससे उसे छुटकारा दिलवाइये । इसी के साथ सफाई मजदूर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसी नीति हमारे माननीय मन्त्री जी ने अपनाया है जिससे श्रमिकों में भी फायदा हो सकता है और हमारे नगरों की सफाई में भी । माननीय मन्त्री जी ने जो यह योजना बनाई है कि कूड़ा को साफ करके कम्पोस्ट बनाया जाय और उसकी आमदनी से मजदूरों को कुछ अंश दिया जाय । यहां पर जो उत्पादन की बात है, वह केवल श्रम से ही बात पैदा होती है । कम्पोस्ट की खाद जो श्रमिकों से पैदा होगी, उसको पूरा का पूरा न दिया जाना, सफाई मजदूरों के साथ अन्याय है । उनके कल्याण के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूरा का पूरा पैसा खर्च किया जाना चाहिए था। सेवायोजन के कार्यालय जो जनपदों में कायम हैं, गोंडा में 267 पद रिक्त हैं, जिन पर सेवायोजन के माध्यम से केवल 18 आदमियों को कार्यरत कराया गया। इसी तरह से पूरे प्रदेश में आज भी 25,880 ऐसे रिक्त स्थान हैं, जहां पर हमारे पढ़े-लिखे नवजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगारी के खिलाफ नारे उठ रहे हैं, यह आवाज निश्चित तौर से सही निकल रही है। आज कम से कम 25-30 हजार आदमियों को इसी प्रदेश में कार्यरत आप करा सकते हैं। लेकिन आपने उनको कार्यरत कराने के लिये कोई योजना नहीं बनायी है। उनके हित के लिये जो बजट रखा है, इसमें कम से कम इतना जरूर संशोधन करें और हमारा सुझाव है कि आज ही घोषणा करें कि यह जो 25,880 स्थान रिक्त है, उन पर आज लोगों को लगाने में कौन सी बाधा है, कौन सी अड़चन है। इसी के साथ सेवायोजन कार्यालय के बारे में और वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में कहना चाहता हूं, जो वहां पर 75 से पंजीकृत हैं, आज उनको किसी भी सेवा के लिए मौका नहीं दिलाया गया। आज 3 हजार परिवारों की कम से कम परिवार जिनका कोई आदमी आज कार्यरत नहीं है और बेकार बैठे हैं, कम से कम 30 हजार परिवारों का कल्याण आप करा सकते हैं। अगर आप अपनी इस योजना में यह प्राविधान कर दें कि जो बेरोजगार लोग हैं और जो रिक्त स्थान हैं, उनको पूरा करके हमारे नवजवानों को इम्पलायड करा सकते हैं। बेरोजगारी और वृद्धावस्था की पेंशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि हमारे माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि अब तक आप 50 रुपया प्रति माह दे रहे हैं और अब 60 रुपया प्रति माह इस वित्तीय वर्ष से देना चाहते हैं। आप अगर 60 रुपया भी देंगे तो आज उन वृद्धों का पेट भी नहीं भर पायेगा। उनको कपड़ा भी नहीं हो पायेगा। इस लिए इसको 60 से बढ़ा कर 90 रुपया कर दें। इसी के साथ में पुनः बेरोजगारी को दूर करने के लिए और चीनी मिल के प्रबन्धकों के लिए और जो परिवहन विभाग के जो श्रमिक हैं, उनके लिए कोई सर्विस रूल्स नहीं बनाया है। उनका अब तक शोषण होता चला आया है। इसलिए उनके कल्याण के लिए सेवा नियम बनाना चाहिए और उनकी कठिनाइयों से मुक्त कराना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बिहारी लाल--

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और जो माननीय मन्त्री जी ने बजट रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और जो कटौती का प्रस्ताव विरोध पक्ष की ओर से आया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बड़ी लच्छेदार बातें सुनीं माननीय ऊदल जी ने कहा और माननीय रियासत हुसैन साहब से बहुत बढ़िया-बढ़िया बातें सुनी। इतनी बढ़िया बातें सुन कर तबियत बहुत खुश हुयी। उन्होंने कहा कि हमेशा छोटी मछली को बड़ी मछलियां निगल जाती हैं। तो मान्यवर, यह परम्परा चालू कहां से और कब से हुयी। यह चालू हुयी 1977 की सरकार से और हमेशा हुआ भी यही है कि छोटी मछलियां को बड़ी मछलियों ने हमेशा निगला है। आपने महंगाई की बात कही। मंहगाई के बारे में बता दूं कि यह चील-झपट्टा आपकी सरकार से ही चालू हुआ। आपकी सरकार ने सोंचा आपकी पार्टी वालों ने सोचा कि अब मौका मिला है, जितना चाहे देश को लूट लें, हो सकता है कि फिर मौका न मिले। तो यह महंगाई उसी चील

[श्री बिहारी लाल---]

झपट्टा का कारण है । रियासत साहब ने आटे, चावल और तेल के दाम तो गिनवायें लेकिन गन्ने के भाव के बारे में कुछ नहीं कहा ।

मैं खटीमा क्षेत्र से आया हूं मेरे क्षेत्र में लोक दल और जनता पार्टी के बड़े-बड़े फार्मर्स हैं । उनके यहां 3 रु0 और 4 रु0 रोज पर आज भी बहुत से गरीब मजदूर सुबह छः बजे से रात के 8 बजे तक काम करते हैं । आप सोचे इन मजदूरों का क्या हाल होगा, क्या इन मजदूरों को जिन्दा रहने का हक नहीं है मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह जो छोटे मजदूर हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए । और जितने भी आई0 टी0 आई0 हैं वहां पर पूरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते है, इसका मुख्य कारण यह है कि वहां पूरी संख्या म पढ़ाने वाले नहीं हैं, जब पढ़ाने वाले पूरी संख्या में गुरूजन ही नहीं होंगे तो पूरी पढ़ाई किस प्रकार से हो सकेगी । इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाये । मान्यवर, नैनीताल में घोड़ा, रिक्शा और गाड़ी चलाने वाले मजदूर भी बसते हैं, इनके पास रहने के मकान तक नहीं हैं और वहां सर्दी बहुत पड़ती है ऐसी स्थिति में वह अपना गुजारा किस तरह करते होंगे, यह सोचने की बात है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे लेबरों के लिए उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाये । श्रीमन् एक बात और कहनी है 1974 में नैनीताल जिला हरिजन कल्याण विभाग के पास विडो पेंशन के लिये 90,000 (नब्बे हजार) स्वीकृत था । 1977 में जब जनता सरकार बनी तो उन्होंने इसे घटा कर 75,000 (पचहत्तर हजार रु0) कर दिया। अब जिले में विधवाओं एवं वृद्धाओं की संख्या में वृद्धि हो जाने से यह धनराशि बहुत कम है इस लिए मैं चाहूंगा कि विड़ो पेन्शन की धनराशि बढ़ा कर 2,00,000 रु0 (दो लाख) कर दी जाय ताकि विधवा महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया जा सके। और अगर यह नहीं कर सकते तों यह 75 रु0 भी वापस ले लें। क्योंकि यह हमारी सरकार है और हम सरकार के एक अंग हैं इस लिए आपको हमारी इन बातों को ओर ध्यान देना चाहिए। श्री बाजपेई जी ने जो बातें कहीं वह बहुत अच्छी बातें थी, जिस तरह से बाजपेई जी ने खुले दिल से उन अच्छी बातों को रखा, उसी प्रकार से हर माननीय सदस्य को अपनी अपनी समस्याओं को रखना चाहिए। तो मैंने ये दो चार सुझाव आपको दिये । मेरा क्षेत्र ओखल कांडा है । मेरा सुझाव है कि आई0 टी0 आई0 ओखल कांडा में, खटीमा में, टनकपुर में खुलने चाहिये । साल भर हो गया लेकिन एक भी कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं हो पाया है । क्या मुंह दिखाऊं अपने क्षेत्र में । मंत्री जी को जवाब दूं या जनता को जवाब दूं ? मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि मजदूरों की क्या हालत है ? बड़े-बड़े संगठनों की बात की जाती है लेकिन उनका क्या किया जाय जिनका कोई संगठन नहीं है, जिसके मां बाप नहीं हैं । कुछ ऐसे लोग कहते हैं तो उनके मुंह बन्द कर दिये जाते है । इनकी ओर भी ध्यान दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं जो बजट रखा गया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

उपाध्यक्ष महोदय, श्रमिक नेता मंत्री जी का मैंने भाषण सुना और श्रमिक नेता ऊधल का भी भाषण सुना । मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन हमारे यहां कहते हैं खाने-पीने को चौपट, नमो नारायण का ढर । सन् 47 से मैं मंत्रियों तथा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेताओं के भाषण सुनता आ रहा हूं और सुनते-सुनते में यहां आ गया । जैसा मैंने कहा खाने पीने को चौपट और नमीनारायण का ढेर ऐसा लगता है कि इसको सुन व देख कर हमारी सारी समस्यायें हल हो गयीं । नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, जय प्रकाश नारायण तथा स्वर्गीय गांधी जी सबको मैंने सुना लेकिन सारी बातें उनकी थोथी निकली । गरीब को धोखा देने के अलावा कुछ इसमें नहीं दिखाई दिया । रानीखेत में एक फैक्टरी जनता पार्टी की सरकार के समय सन् 77 में खोली गयी । उस समय उस कम्पनी के मालिकों ने यह वायदा किया कि 400 मजदूरों को काम देंगे और हम लोग बड़े खुश हुए । उस समय माननीय उद्योग मंत्री ने भी बड़े लच्छेदार भाषण दिया । उन्होंने 400 नहीं केवल 80 आदमियों को रखा और उसमें भी कमी करते-करते इस समय 39 आदमी रह गये हैं । 26 तारीख को कम्पनी वालों ने उसमें तालाबन्दी कर दी । उसके चेयरमैन हैं सरकार की ओर से सुशील चन्द्र त्रिपाठी । यह कहा गया कि चेयरमैन से बातचीत कर ली जायगी तथा समस्या को हल कर दिया जायगा । लेकिन कुछ नहीं हुआ । मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री जी को उद्योग मंत्री को भी टेलीग्राम भेजा गया । लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया । मैं सेवक होने के नाते परसों 7 तारीख को वहां पहुंचा । मैंने परगनाधिकारी से कहा कि यहां पर असंतोष भड़का हुआ है । जो मजदूर हैं वलबन्दी के विरोध में यातायात ठप्प किये हुए हैं और लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं । मैंने उनसे कहा कि उनकी समस्या को हल करने के लिये वह मध्यस्तता करें । उन्होंने साढ़े 11 बजे आने का वचन दिया लेकिन नहीं आये । रानीखेत में इस समय जितनी यूनियन्स हैं चाहे रोडवेज की यूनियन हो, चाहे एम० ई० एस० की यूनियन हो सारी यूनियन से तय किया है अगर डायरेक्टर कुमार को नहीं हटाया गया तो वह वहां पर कारोबार बन्द कर देंगे और मुझे भी परसों दिन भर वहां रखा । जिलाधिकारी से मैंने बात किया जिलाधिकारी ने कहा यह प्राइवेट कम्पनी है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं हमारा काम तो शान्ति व्यवस्था रखना है । मैंने टेलीफोन किया श्रम मंत्री को श्रम मंत्री के सचिव को, उद्योग मंत्री को, उद्योग मंत्री के सचिव को, मुख्य मंत्री को और मुख्य मंत्री के सचिव को कहीं से कोई बात नहीं हुई । केवल सुरेश चन्द्र त्रिपाठी से बात हुई । उन्होंने कहा मैं यहां कुछ नहीं हूं मैं तो नाममात्र का चेयरमैन हूं यह प्राइवेट फर्म है मुझे इसमें दखल देने का हक नहीं है ।

श्रम मंत्रालय का बजट प्रस्तुत हुआ है यह जो मजदूरों का ठेकेदार बनता है जैसा सभी माननीय सदस्यों ने ही सत्तारुढ़ दल के और विरोधी दल के हैं यह श्रमिकों का शोषण विभाग है जिस समय हमारे मंत्री जी मंत्री नहीं बने थे तो झंडा लेकर चलते थे और मजदूरों को बरगलाते थे आज जब मंत्री बन गये तो मिलें क्यों बन्द हैं मजदूरों पर गोली क्यों चल रही है लाठी क्यों चल रही है । मंत्री जो नेता रहे हैं और मैं मजदूर रहा हूं मिल में मैंने मजदूरी की है हिन्दुस्तान के नेता हिन्दुस्तान की गरीब जनता को धोखा देते हैं । मैंने पहले भी कहा है कि धोखा न दो । जो आपने आश्वासन दिये हैं जो वायदे किये हैं पहले उनपर अमल करें अगर अमल नहीं कर सकते हैं तो मैं निमंत्रण दे रहा हूं ईमानदारी के साथ कि हिन्दुस्तान को गरीबी हटाने के लिये बाहर चलो मंत्री और मुख्य मंत्री को यहां रहने दो, इन मिल मालिकों के खिलाफ आन्दोलन करें उनकी संख्या कितनी है । उनसे पैसा लेकर उद्योगपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़कर आते हैं कैसे कह सकते हैं कि यह पैसा कहां

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट—]

से आया कैसे कह सकते हैं कि उद्योगपति खराब हैं बिड़ला का संरक्षण माननीय मंत्री करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विष्ट जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

समय कैसे समाप्त हो गया अभी एक बात मैं और कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आदेश नहीं मानेंगे तो आइन्दा मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, 14 माननीय सदस्यों ने इस श्रम विभाग से सम्बन्धित बजट के ऊपर वाद-विवाद में हिस्सा लिया । बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया । लेकिन उनकी भावना जो थी जो वह चाहते थे ज्यादातर उन बातों से मिलती-जुलती रही हैं जिनका जिक्र मैंने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये कहा था । सबसे ज्यादा मैं श्री श्यामलाल बाजपेयी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका हृदय से समर्थन किया लेकिन तर्कों को बहुत ही कड़े शब्दों में जिनका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता उन शब्दों से उन बातों का समर्थन किया जो विभाग में कमियां हैं । श्रीमन्, कई प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं । एक प्रश्न तो जिन प्रश्नों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे, खेतिहर मजदूरों का है । उनके बारे में पिछले साल भी माननीय श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एक वृहद् और व्यापक विधेयक लाने की जरूरत है और आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया, कई माननीय सदस्यों ने भी किया । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों के बारे में आपकी ही सरकार ने पंडित नारायण दत्त तिवारी ने, 74 और उसके बीच में, एक एक्ट पेश किया, वही अभी लागू नहीं हुआ । उसी को अगर आप लागू कर दें और व्यापक और वृहद् विधेयक जो लाने वाले हैं, ले आयें, मैं समझता हूं तब भी उनका भला हो सकता है । खेतिहर मजदूर तो छुट-पुट हैं । जो बड़े-बड़े फार्मर हैं, जहां संगठित मजदूर हैं, खेती में काम करने वाले, वहां भी अभी तक वह कानून लागू नहीं हुआ । इसलिए मेरा निवेदन है वह लागू कर दें ।

दूसरा प्रश्न उठा मान्यवर, सेवायोजन कार्यालयों में भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को ऊपर-नीचे करने, उनका नाम भेजने, रजिस्ट्रेशन के बारे में । बड़ा व्यापक प्रश्न है । इस पर विचार करना चाहिए । क्योंकि सेवायोजन कार्यालय को हमने इसलिए खोला है कि जो लोग बेकार हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से उनको ही नौकरी दी जाये ताकि कम से कम बेकारों की संख्या तो मालूम होती रहे और यह भी मालूम होता रहे कि कितनों को हमने नौकरी दी । एक तो उद्देश्य यह है और दूसरा है अच्छे और कुशल कारीगरों को पैदा करना, उनको कामों पर लगाना, ये दोनों उद्देश्य जो हैं,

उसमें हम कामयाब नहीं हुए । इसलिए इसमें रुचि होनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए ।

मैं आपका ध्यान प्रादेशिक सेवायोजन अधिकारी, कानपुर के बारे में दिलाना चाहता हूं । केवल हिन्ट करूंगा । कोई साहब हैं बी०बी० सिंह, उनके बारे में शिकायतें हैं और जांच भी हुई है, मैं समझता हूं कोई रिपोर्ट होगी, मैं चाहता हूं मंत्री जी इस मामले को देखें । वह नियमों का उल्लंघन हुआ है । अर्डिनेंस फैक्ट्री में, स्टोर-कीपरों की भर्ती में, चकेरी कानपुर में, सब जगहों में, राजकीय निकायों में, नियुक्तियों में बड़ी शिकायतें हैं । सही हैं या गलत, यह मैं नहीं कह सकता, आप जांच करा लें ।

पेंशन के बारे में, बृद्धावस्था पेंशन, दो तरह की पेंशनों के बारे में मन्त्री जी ने जिक्र किया है । मेरा ख्याल है एक वृद्धावस्था पेंशन है और एक विधवाओं के लिए । वह हरिजन और समाज कल्याण विभाग में है । इसमें कुछ प्रतिबन्ध ऐसे हैं जिसका वजह से लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती । एक तो यह कि गरीब हैं ? अगर उनका कोई लड़का है, अलग है उस खाने में पूछा जाता है कि कोई लड़का हैं या नहीं, कमाने वाला है या नहीं, तो कुछ नियमों में ऐसा प्राविधान कर देना चाहिए ताकि लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल जाये । बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि 50 रुपये कम हैं, उसको मात्रा सीमित साधनों में जो कुछ बढ़ा सकें तो बढ़ा दें और उम्र का जो सवाल है उसको भी कम करना चाहिए ।

ऐसा मेरा ख्याल है । मैं समझता हूं कि शासन इस पर विचार करेगा ।

श्रीमन् एक चीज यह कहना चाहता हूं कि सभी सरकारों ने, कोई भी सरकार हो, पहले की सरकारों ने भी और पिछली सरकार ने और इस सरकार ने भी, ये नियम बना रखें हैं कि 3 वर्ष तक काम करने वालों को स्थायी कर दिया जायेगा । जब नियम हैं, कानून हैं, तो सेवायोजक लोग, या हमारे जो कल-कारखाने हैं, या सरकारी निगम हैं, उनमें काम करने वाले लोग, अगर 3 वर्ष से ज्यादा काम कर चुके हैं, तो उसके लिये यहां सवाल करने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, यह श्रम मन्त्री और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक विभाग की जानकारी रखें कि 3 वर्ष से ज्यादा कितने लोगों ने काम कर लिया है जिनको परमानेंट करना आवश्यक है और उनको परमानेंट कर दिया जाय । ऐसी निगाह रखनी चाहिये ।

मान्यवर, जैसा कि मैंने जिक्र किया और कई माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया एक नीति ग्रेच्युटी और प्राबीडेंट फंड के बारे में है । भविष्य निधि का कानपुर में दफ्तर है । अगर उसमें स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ और बढ़ाना चाहियें । अगर उसमें कहीं कोई कमजोरी हो, या कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो उसको भी दूर करना चाहिये क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हर आदमी यह समझता है कि हमारा जो इस समय पैसा है, भविष्य निधि का और प्राबीडेंट फंड वगैरह का, वह सभी हमको मिल जायेगा और दौड़ना नहीं पड़ेगा । लेकिन देखने में आता है लखनऊ और कानपुर के लेबर कमिश्नर दफ्तर और भविष्य निधि के दफ्तर तक मजदूरों को दौड़ना पड़ता है और बेचारे परेशान हो जाते हैं । इसलिये सरकार का ध्यान इस मसले की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस पर भी सोचे ।

[श्री ऊदल--]

श्रीमन्, एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं कि सरकार को मजदूरों का पक्षधर होना चाहिये और मजदूरों के पक्षधर होने में चाहे कोई भी परेशानी हो, मालिकों की तरफ से कितनी भी अड़ंगेबाजियां की जायं, परन्तु हर सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मजदूरों की मदद के लिये आये और अगर सरकार मजदूरों की तरफ नहीं खड़ी होगी, उनको शोषण से नहीं बचायेगी, तो आज के युग में, इस वैज्ञानिक युग में, इस प्रगति के युग में हम जो मजदूरों को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, वह प्रदान नहीं कर पायेंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, मेरा कटु अनुभव है और पिछले वर्ष में और कभी भी मौका मिला तो मैंने कहा है कि ऐसे मिल मालिकान हैं जो हमारे लेबर कमिश्नर और लेबर सेक्रेट्री को घास नहीं डालते । मान्यवर, लेबर कमिश्नर और लेबर सेक्रेट्री को घास नहीं डालते जिनके पीछे सत्ता और शासन है । तो इसके लिये आपने क्या उपाय किया ? इसके बारे में मैंने पिछले वर्षों में भी कहा और आज भी दोहराता हूं कि अगर अधिकार की जरूरत है, तो कौन-सी कठिनाई है कि जिसकी वजह से उस अधिकार को मजदूरों के हितों के लिये, मजदूरों को शोषण से बचाने के लिये श्रम विभाग और श्रम मन्त्रालय और लेबर कमिश्नर को नहीं देना चाहते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं । इसलिये निवेदन है कि अगर कहीं अधिकारों की कमी है, तो उन अधिकारों को दिलाकर श्रम मन्त्रालय को और मजबूत बनाने की जरूरत है । मान्यवर, बिड़ला के मैनेजर, मि0 कोठारी, श्रम मन्त्रालय के बुलाने पर, श्रम मंत्री जी और लेबर सेक्रेट्री के बुलाने पर भी नहीं आते । मान्यवर, मैंने मार्टिन बर्न लि0 को गोरखपुर और वाराणसी में देखा जबकि वह बिजली की कम्पनी थी कि वह हमारे लेबर सेक्रेट्री और कमिश्नर और कलेक्टर को घास नहीं डालती थी । लेकिन आज का युग बदल गया है । ऐसे लोग जो छोटे मजदूरों का शोषण कर रहे हैं तो ऐसे तमाम लोगों को ठीक करने के लिये अगर कानून की जरूरत है, कुछ उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, कुछ अधिक अधिकार लेने की जरूरत है, तो सरकार को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ।

अधिकार लेने में सरकार को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलने चाहिये ताकि मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके । माननीय रियासत हुसेन जी ने कहा कि श्रम से सम्बन्धित बहुत से कानून हैं, यह बात सही है । मैं समझता हूं कि अब जमाना आ गया है कि मजदूरों और श्रमिकों के बारे में एक व्यापक विधेयक सदन के अन्दर श्रम मन्त्री जी लायें ताकि उससे सभी मजदूरों को चाहे वह खेतिहर मजदूर हों, चाहें कालीन के मजदूर हों, चाहे बिजली के मजदूर हों या सरकारी निगमों के मजदूर हों या प्राइवेट सेक्टर के मजदूर हों सबका उसमें समावेश किया जाय और सबके हितों को फायदा पहुंचे । श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे मिर्जापुर, दक्षिणांचल में, वहां मजदूरों को सभा करने की इजाजत नहीं है । रेनुकूट, शक्तिनगर, कोटा आदि में मिल मालिकों के कहने पर सरकार ने दबाव में आकर परमानेंट दफा 144 लगा रखी है । मैं जानना चाहता हूं रेनुकूट, शक्तिनगर, कोटा जहां श्रमिकों की वजह से आधुनिक मिर्जापुर बस रहा है, बड़े-बड़े कल कारखाने खड़े हो रहे हैं, उद्योगपति मजदूरों का शोषण कर रहे हैं । ऐसी जगहों पर मजदूरों की आवाज को 144 लगाकर सरकार दबाना चाहती है और मिल मालिकों का भला करना चाहती है । यह चलने वाला नहीं है ।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत से कारखाने हैं जैसे कांच, खांडसारी, शुगर मिल, कारपेट और इसी प्रकार के उद्योगों में जहां असंगठित मजदूर हैं उनके लिये एक व्यापक सर्वे करा लीजिये कि कितने कल कारखाने ऐसे हैं जिनमें फैक्टरी ऐक्ट, मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हो सकता है और मिल मालिक कारखाने दार लागू नहीं करना चाहते हैं। वह फर्जी रजिस्टर तैयार करते हैं, 11 महीने काम करवाते हैं और एक महीने के लिये बैठा देते हैं, गैर हाजिरी दिखा देते हैं ताकि उनके ऊपर फैक्टरी ऐक्ट और मिनिमम वेजेज ऐक्ट न लागू हो सके। इससे मजदूरों का बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने एक बात और कही सफाई मजदूरों के बारे में कि सरकार ने विचार किया है अगर उनका कोई आदमी नहीं चुना जायगा तो एक आदमी नामिनेट कर दिया जायगा। यह बधाई के योग्य है, इसका मैं स्वागत करता हूं। आपने मजदूरों और मालिकों के बीच में समझौते लागू कराये हैं, लेकिन बहुत से अभी लागू नहीं हुये हैं। लखनऊ में एच0 ए0 एल0 आपके बगल में है, मजदूर बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं। अगर समझौता हो गया है तो जबाब में बता दीजियेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः जोर देता हूं और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, मैं आज का दिन अपने लिये बड़ा सौभाग्य का दिन समझता हूं कि आज के दिन इस सदन के सदस्यों से चाहे वे इस ओर या उस ओर के हों। बड़े खुले तौर पर उन समस्याओं के सम्बन्ध में जिनसे प्रदेश का मजदूर उद्वेलित है और कष्ट पा रहा है बहुमूल्य विचार सुनने को मिले साथ ही उनके भाषणों के प्रकाश में हमने अपने कर्मियों को देखा। बिना इस प्रकार की चर्चा के जनतंत्र चल नहीं सकता। फिर भी जो बातें कहीं गयीं। उनमें से कुछ का मैं उत्तर देना चाहूंगा। कुछ के बारे में मतभेद हो सकता है क्योंकि या तो वे किसी विचारधारा और दल की नीतियों के दृष्टिकोण से कहीं गयीं या (किसी वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिये) अनुभव के आधार पर नहीं कही गयीं। हमारी विचारधारा जो है सो है। लेकिन सदन में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में बैठकर हम उसी विचारधारा का अनुसरण हो सकता है जो संविधान के अनुकूल है। इस सदन के अन्दर तो संविधान की आइडालोजी चलेगी। हमें तो उद्योग के विवादों को हल करना होता है। मांगें मजदूर रखते हैं। उनको मानने की बात मालिकों के सामने उपस्थित होती है। जब मालिक नहीं मानता है, एक समस्या उपस्थित होती है मजदूर हड़ताल करते हैं इसमें कोई शक नहीं है। श्रीमन्, जब कभी भी मालिक हठवादिता करते हैं तो मजदूर हड़ताल करता है। अर्थशास्त्र के मजदूरों के न्याय शास्त्र के अनुसार निसंदेह मजदूरों का मौलिक अधिकार है हड़ताल करना। इसका मतलब यह है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी चीज को बेचने या न बेचने का अधिकार है, मजदूर को भी अधिकार है कि वह अपना श्रम बेचे या न बेचे या किसी शर्त पर बेचे। हड़ताल मजदूरों का मौलिक अधिकार है और हम इसको स्वीकार करते हैं। रामपुर में भी हमने कहा था तथा एक अन्य स्थान पर भी कि हड़ताल करना मजदूरों का मौलिक अधिकार है लेकिन साथ ही उन लोगों के भी जो उद्योग चलाते हैं और जो दुकान खोलते हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं। उन्हें अधिकार है कि अपना धंधा वे कब तक चलायें, कैसे चलायें और कब बन्द कर दें।

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---]

हर आदमी जो नौकरी नहीं पाता अथवा करता है, जो स्वावलम्बी है तो वह उसके आधार पर अपनी जीविका कैसे चलायेगा वह छोटा अथवा बड़े उद्योग की सहायता लेगा। आखिरकार नौकरी करने वाले को अपने श्रम को न बेचने का भी अधिकार है, तो उद्यमशील व्यक्तियों को भी अपने व्यवसाय को बन्द करने का भी अधिकार है। इस तरह हमारे सामने मालिक व मजदूरों के परस्पर विरोधी दो मौलिक अधिकार हैं। इन दोनों के बीच में संविधान के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अथवा प्ररोक्ष रूप से निर्विष्ट सिद्धान्तों के अनुसार हम ताल मेल बैठाते हैं। श्रीमन्, सदन का .....।

श्री उपाध्यक्ष---

(कुछ सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

माननीय धरमपाल जी, आपस में बात न करें।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

थोड़ा सा धैर्य रखिये, आन्तरिक अनुशासन की बात है। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हमारे सामने सामाजिक न्याय के उद्देश्य का महत्व है। उन विसंगतियों में संगति ढूंढना उस उद्देश्य को पूर्ति का एक अभ्यास है। आज के असंतोष के वातावरण में संगति देने के लिए हम दोनों पक्षों को बुलाकर बात करते हैं। श्रीमन्, इस सदन के सदस्यों को अपने प्रिवलेज का अधिकार है और होना भी चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करता हूं कि जो लोग श्रमिकों का संगठन करके उसे इण्डियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 में रजिस्टर करा के चलते हैं, उन गरीबों के भी कुछ प्रिविलेज हैं। मैं आपके द्वारा अनुरोध करता हूं कि वे उनके उस प्रिविलेज का सम्मान करें। उसमें हस्तक्षेप न करें। आप स्वयं जानते हैं कोई ऐसी पोलीटिकल पार्टी नहीं है जिसका अपना श्रमिक संगठन नहीं है। यदि किसी श्रमिक समस्या पर, भूल से, मैं ऊदल जी से बात करने के बजाय हरीश जी से बात कर बैठूं, यदि राजेन्द्र जी से बात करने के बजाय राम नरेश जी से बात कर बैठूं, यदि मैं मोहन सिंह जी से बात करने के बजाय बीरेश्वर त्यागी से बात कर बैठूं तो क्या मैं गलती करूंगा। यह कैसे गलत माना जा सकता है जब उनके अपने-अपने संगठन हैं, उनकी अपनी-अपनी यूनियनें हैं। जो निर्णय उन्होंने किया, जिनका विचार आपने किया, उसमें उन सबका इन्वाल्वमेन्ट है। यह अच्छा नहीं लगता है कि इन ट्रेड यूनियन की प्रिवलेज की रक्षा इस सदन के द्वारा न हो। मैं तो यह समझता था कि इस सदन के सम्मानित सदस्य उनके प्रिविलेज की रक्षा जरूर करेंगे। अपने इस विश्वास पर मैं अडिग हूं।

फिर एक बात, यह नैराश्य की भावना क्यों और कहां से ? पिता सोचता है कि मैं न रहूंगा तो मेरा पुत्र गृहस्थी चला पायेगा कि नहीं। इसी तरह मैं कह दूं कि यदि सदन में उपस्थित नेता सोचने लगे कि वह न हो तो मजदूर नेता आन्दोलन चला पायेंगे या नैराश्य की भावना का द्योतक है।

श्री धरम पाल---

आप लोग ताली बजाइये इस बात पर।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

क्षमा कीजिये, आप ताली बजाइये या न बजाइये पर इसे स्वीकार कीजिये, हमको ताली नहीं बजवाना है।

श्री उपाध्यक्ष--

धरमपाल जी, चाहे कोई ताली बजाय या न बजाये पर आपने जो कहा यह हास्यास्पद जरूर है ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

भारतवासियों के मानस के अन्दर स्वावलम्ब का अभाव होना सामाजिक और उनके अन्दर नैराश्य से नैपथ्य को ओर देखना हमारे देश की प्रगति के लिये बाधक है । इस दृष्टिकोण से हम देखें कि जो बात हुई उससे ऐसा लगता है कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है सभी लोग जानते हैं कि लगभग सभी मजदूरों के कानून केन्द्रीय कानून हैं, चाहे वो प्राविडेन्ड फण्ड ऐक्ट हो, चाहे इम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट हो, चाहे वो फैक्ट्रीज ऐक्ट हो, उनमें संशोधन की बात के सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि आप भारत सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, हम स्वयं उसे यहां लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हम सक्षम नहीं । खेतिहर जदूरों के विधेयक के बारे में जो बात मैंने कही है वह भारत सरकार ने भी विधेयक बनाया है, उससे सम्बन्धित थी । भारत सरकार ने हमारी सरकार से कहा कि हम विधेयक बना रहे हैं आप लोग उसके सम्बन्ध में अपने विचार भेजिये । हमने उसकी जानकारी आपको दी । निश्चय ही यह एक श्लाघ्य वस्तु है ।

जो जानकार लोग हैं वह जानते हैं कि कुमार मंगलम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने सब श्रम कानून को लेकर एक कोड भी बनाया था । वह 110 श्रम कानूनों का कोड था । वह दिल्ली की सरकार के पास विद्यमान है । हम उनसे उस पर विचार करने के लिये केवल अनुरोध कर सकते हैं । श्रीमन् इसलिए जो श्रम कानूनों में विसंगतियां हैं उसे दूर करने का हम भी प्रयास करें और आप भी प्रयास कर । जितने भी मान्य दल हैं वे सभी अखिल भारतीय दल हैं । उन सब के प्रतिनिधि संसद में हैं । यदि आप उनके द्वारा इस डिवेट को राष्ट्रीय मंच पर ले जायें हम आप का साथ दे सकते हैं । लेकिन इस स्थान पर उन पर विचार नहीं हो सकता है, और न कोड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है । जो बातें चाहे वह सीतापुर के कारखाने की हों, रानीखेत के कारखाने की हों या देवरिया के कारखाने की हों यहां कही गई है तथा जिन्हें हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, उन्हें हमारे श्रमायुक्त देखेंगे । हमारी ओर से त्रुटि एरर आफ जजमेन्ट के कारण हो सकती हैं इरादतन नहीं । जो आदमी काम करेगा उससे गलती होगी । यह विश्वास करिए कि कोई डेलीबरेट गलती नहीं होगी । बहरहाल, जो बात बाजपेई जी ने कही और वह बात ऐसी थी जिसके सम्बन्ध में बाराबंकी के विधायकों के दो दल दो बात कह रहे थे, दो बातों के बीच किसी न किसी बात को मानने के लिये आदमी विचलित हो ही जाता है । मैं मनुष्य हूं देवता नहीं । जब दो बराबर के वकील बहस करते हैं तो जज भी किसी न किसी ओर विचलित हो जाता है ।

श्रीमन्, जागरण की बात कही गई । पालेकर एवार्ड की भी बात कही गई । इसमें श्रीमन्, दिक्कत हमारी यह है कि पालेकर एवार्ड ने स्वयं ही एवार्ड को लागू करने के लिये 9 महीने का समय दे रखा है । वह अवधि हमारे मार्ग की एक बाधा है, लेकिन यह जान लीजिए कि जैसा मैंने यहां पहले कहा कि सदस्यों के कुछ प्रिविलेज हैं तो ट्रेड यूनियन्स का भी कुछ प्रिविलेज है । पत्रकारों की ट्रेड यूनियन्स को पत्रों को कई बार लिखने के बाद भी उनसे उसके सम्बन्ध में कोई मसविदा हमारे अधिकारियों को न मिला इनिशियेटिव लेने के बाद । श्रीमन, हमारी सहायता आश्वासन स्थापित कर करें ।

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---]

जागरण की बात उठाई गई गोरखपुर के जागरण की। कह रहा हूं। हमने उच्च अधिकारी भेजा जो 4 मार्च को वहां पहुंचा था। वह अधिकारी एडिशनल लेबर कमिश्नर श्री शिव प्रताप सिंह थे। वहां पहुंच कर दोनों पक्षों से उन्होंने चर्चा की। चर्चा में यह तय हुआ कि शेष चर्चा मंत्री जी के सामने 2 बजे लखनऊ में 5 मार्च को की जाय। एडिशनल लेबर कमिश्नर आये, डिप्टी लेबर कमिश्नर आये, 2 बजे से 5 बजे तक 5 मार्च को मेरे यहां बैठे रहे। मैं भी बैठा रहा। पत्रकार नहीं आये। बाद में पता यह चला कि जिस बस में चले थे वह लखनऊ लेट पहुंची, 2 बजे का समय इसलिए रखा था कि रात्रि में ट्रेन से चलते लेकिन चले थे बस से। यह हो सकता था कि अपने उनके लीडरों को जो लखनऊ में रहते थे को टेलीफोन कर अपने स्थान पर उपस्थित रहने को कहते। वह भी नहीं किया। लेकिन जो इसके बावजूद भी हम दोनों पक्षों से कल फिर मिल रहे हैं। यह बैठक गोरखपुर के जागरण के सम्बन्ध में होगी। कल ही मोदीनगर के एवार्ड की तिथि निश्चित है। सारे प्रयास हमारे कर्त्तव्य निष्ठा से हो रहे हैं। उनमें एरर आफ जजमेन्ट हो सकता है।

एक बात और है वह यह कि जब मालिक व मजदूर दोनों अपने बुनियादी अधिकारों, पर हठ करते हैं तब वह मामला ऐसा रूप ले लेता है जैसा कि उसने रामपुर में ले लिया है। मेरा निवेदन सब लोगों से है कि वे किसी न किसी तरीके श्रम कमिश्नर पर मामला छोड़ दें, उन्हे अधिकार दे दें। इससे मामला हल हो सकता है क्योंकि कानूनी अधिकार से हम केवल रिफ्रेन्स कर सकते हैं। जब हमें आप अपना अधिकार देंगे तो हम उस अधिकार का प्रयोग कर आपकी सेवा करेंगे। तो हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिये सक्षम होने हेतु ऐसा अनुरोध कर रहे हैं।

श्री ऊदल--

मैं दे रहा हूं.....

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में उठाये हैं निश्चय ही इन पर विचार किया जायगा, एजेन्डे के रूप में वे भविष्य में होने वाली कन्सल्टेटिव कमेटी की बैठक के सामने आयेंगे छोटी कमेटी में बैठकर हम उस पर तफसील से विचार कर सकेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि महंगाई का ख्याल करते हुए कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। विष्ट जी...

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

एक ही निवेदन है कि माननीय मंत्री जो जो हैं वह अपने कार्यालय में कम से कम अपने मिलने का टाइम तो बता दें ताकि हम लोग अपनी समस्यायें उनके सामने रख सकें। मेरा श्रम मंत्री जी और सभी मंत्रियों से अनुरोध है....।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मैं तो....

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

ये तो ढूंढ़ने से भी मिलते नहीं हैं और यहां सदन में उनके पास ....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्रम मंत्री जी, क्या आप भी विष्ट जी के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं ? बिना बुलाए खड़े हो गए ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमेटी बनायेंगे, एजेन्डे के रूप में रखेंगे, कोई खास आश्वासन नहीं मिला, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,76,55,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45-श्रम विभाग (श्रम सेवायोजन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45--श्रम विभाग (श्रम सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,05,36,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से एक सूचना स्वीकृत हुई । एक माननीय सदस्य की सूचना भी उसी तरह की थी इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है । यह सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की

[श्री उपाध्यक्ष--]

थी और उसी तरह की सूचना श्री विमल प्रसाद तिवारी ने भी दी थी जिसमें कहा गया था कि विगत 7 मार्च, 1981 को फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार फर्रुखाबाद में 26 फरवरी, 1981 से गुमशुदा जेल वार्डर के लड़के का शव बरामद होने से वहां पर असन्तोष एवं आतंक व्याप्त है । इसको स्वीकार किया गया है और इस पर कारागार मंत्री 13-3-81 को वक्तव्य देंगे । शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

मैनपुरी जिले के थाना सिरसागंज के ग्राम जायमई में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों की हत्या एवं कई व्यक्तियों के घायल किए जाने से उत्पन्न आतंक एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

आइटम नं0 10 माननीय मुख्य मंत्री....

(स्वास्थ्य मंत्री के खड़े होने पर)

एक सदस्य--

बधाई हो । विश्वनाथ का मतलब लोकपति ही होता है ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

लोकपति और विश्वनाथ में अन्तर है । लोकपति जो है वह भू-मंडल का स्वामी है और विश्वनाथ जो है वह ओंकार का स्वामी है ।

श्री लोकपति--

दिनांक 24-2-81 को समय 7-15 प्रातः श्री गेंदा लाल पुत्र श्री भोखम सिंह निवासी ग्राम जायमई, थाना सिरसागंज ने थाना सिरसागंज पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि 7 नामजद व्यक्ति व 17-18 अन्य सशस्त्र बदमाशों द्वारा दिनांक 23/24 फरवरी, 1981 को समय 10-30 बजे रात 8 व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या, 2 को घायल तथा मकानों के छप्परों में आग लगा दी गई है । इस सूचना पर अपराध संख्या 58/81 अन्तर्गत धारा 396/436 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । श्री कामता सिंह पुत्र भोगी लाल यादव निवासी ग्राम जायमई ने भी दिनांक 24-2-81 को प्रातः 7-45 बजे अपराध संख्या 58-ए/81 धारा 302 भा0 दं0 वि0 भूरा व कल्लन पुत्रगण गेंदा लाल निवासी जायमई के विरुद्ध अंकित कराया जिसमें आरोप लगाया कि भूरा व उसके भाई ने उसके दो भतीजों को गोली मार कर हत्या कर दी ।

उपर्युक्त अपराधों की विवेचना दिनांक 24-2-81 को प्रारम्भ कर दी गई । विवेचना से 6 अभियुक्त बन्दी बनाकर जेल भेजे गए । इन अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर रायफल, एक 12 बोर पौना तथा 2 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है । विवेचना जारी है इसलिए आरोप पत्र किसी अभियुक्त के विरुद्ध अभी नहीं भेजा गया है ।

मृतकों का शव परीक्षण दिनांक 25-2-81 को किया गया। शव परीक्षण से दो आग से जलने तथा शेष आठ को गोली लगने से मृत्यु होना पाया गया। दो व्यक्ति तथा एक स्त्री जो गोली लगने से घायल हुए, को चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई। घायल ठीक अवस्था में हैं। घटना में किसी महिला के साथ बलात्कार नहीं किया गया है। यह घटना आपसी पुरानी रंजिश व बदले की भावना से हुई प्रतीत होती है।

वर्तमान समय में गांव में सुरक्षा हेतु दिनांक 24-2-81 से डेढ़ सेक्शन पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गई है। दस मृतकों के परिवारजनों व तीन घायल व्यक्तियों को 200 प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान कर दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना जिस दिन घटी उससे एक दिन पहले वहां थाने में इस तरह की जानकारी मिल चुकी थी कि इस तरह का हमला होने वाला है? यदि हां, तो पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की और इस घटना की जांच उसके बाद हो गयी होगी तो उस जांच के क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं और उस सन्दर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हुई है?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, अभी विवेचना जारी है। यह घटना 23/24 की रात को हुई उसके एक दिन पहले यानी 22 की रात को ऐसी कोई सूचना थाने में नहीं थी कि झगड़ा होने वाला है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह घटना रात साढ़े 10 बजे हुई और घटना की जानकारी प्रातः साढ़े 7 बजे होती है और वह भी तब जब एक पीड़ित आदमी वहां पहुंच कर दर्ज कराता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि गांव से थाने की दूरी कितनी थी जोकि इस नृशंस घटना होने के इतने देर बाद पहुंची वह भी तब जब पीड़ित व्यक्ति वहां गया यदि वह नहीं जाता तो थानेदार या पुलिस वाले अपने श्रोत से जानकारी नहीं कर पाते। तो सूचना के सम्बन्ध में जो इतना विलम्ब हुआ वह किन परिस्थितियों में हुआ? दूसरा, इस घटना का उल्लेख अपराध संख्या 58/81 और 58-ए/81 धारा 396 और दूसरी 302 में दर्ज हुई। 302 में दो व्यक्तियों के मरने की बात है और 396 में मरने वालों की संख्या 8 बताई जाती है जिसमें दो को जलने से और 6 को गोली लगने से तो जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इसमें यह नहीं बताया गया है कि यह किस अपराध संख्या के हैं? किन-किन अपराधियों से कितना असलहा बरामद हुआ? जो आपने पोस्टमार्टम कराया है वह किस अपराध संख्या के व्यक्ति हैं? जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह किस अपराध से सम्बद्ध हैं?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया कि दूरी कितनी है। तो दूरी 8 किलोमीटर है, जहां पर घटना हुई वहां से थाना 8 कि0 मी0 है।

[श्री लोकपति--]

दूसरा प्रश्न आपने उठाया कि एक 58 तथा दूसरी धारा 58-ए है। तो यह एक दूसरे के खिलाफ आपसी गुटबन्दी का झगड़ा है इसमें जो लोग मारे गए हैं वह जो हैं 58 वाले हैं उन्हीं से सम्बद्ध लोग अधिक मरे हैं। 58-ए वाले दो व्यक्ति मरे हैं।

असलहा जो बरामद हुआ है उसमें 315 बोर की एक, 12 बोर की एक बन्दूक दो तमंचा और एक बारह बोर का, वह आ गया है। यह असलहे किस-किस से बरामद हुए यह वर्णन श्रीमन्, मेरे पास नहीं है। फिर भी देखता हूं....

श्री मोहन सिंह--

यह निहायत गैर जिम्मेदारी की बात है....

श्री लोकपति--

अभी मैं आपके सम्पूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अन्यथा आपसे निवेदन कर देता कि छोटे-छोटे प्रश्न कीजिए। आपने वक्तव्य दिया मैं भी वक्तव्य दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि आपस में बात न हो तो समय कुछ कम लगेगा।

श्री लोकपति--

जो 58 वाली रिपोर्ट है, उनके साथ दो असलहे हैं और जो 58-ए वाली है, उसके साथ असलहों की संख्या अधिक है और असलहे बरामद हुए...

श्री उपाध्यक्ष--

अपने स्टेटमेंट में आपने चार बताया है।

श्री मोहन सिंह--

यह प्रश्न मूल वक्तव्य में ही आ जाना चाहिए था कि अभियुक्त किन-किन अपराध संख्या के हैं, यह भी कि 2 का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं? यदि हुआ तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? यह वक्तव्य ही अधूरा है, इसको आप सप्लीमेंटरी से पूरा नहीं कर सकते हैं।

श्री लोकपति--

दफा 58 में जो घायल हुए हैं, उसमें है, जिनके ऊपर रिपोर्ट की गई है 390 और 436 की--दुर्बीन सिंह उस गांव के हैं। पुत्र भोगीलाल, निवासी जायमई, थाना सिरसागंज, रतन सिंह पुत्र झम्मन सिंह, निवासी ग्राम जायमई, थाना सिरसागंज, वीरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह, जायमई, थाना सिरसागंज, रसला सिंह पुत्र लालाराम, ग्राम गुरा, थाना रामसागर, सत्रसिंह पुत्र अभिराम सिंह, ग्राम गुरा, थाना रामसागर, अतर सिंह आदि, ग्राम गुरा, थान रामसागर, नायब सिंह पुत्र राम सकल यादव...

श्री मोहन सिंह--

यह क्या आप पढ़ रहे हैं?

मैनपुरी जिले के थाना किशनी के ग्राम जायमई में डाकुओं द्वारा कतिपय व्यक्तियों की हत्या तथा कई व्यक्तियों के घायल किये जाने से उत्पन्न आतंक एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री लोकपति--

जिन पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई....

श्री मोहन सिंह--

मैंने अभियुक्तों के बारे में पूछा है ?

श्री लोकपति--

पहला उत्तर जो मैंने दिया 58 म दर्ज हुए, उनमें 6 अभियुक्त पकड़े गये थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो दो अलग-अलग एफ0 आई0 आर0 हैं, उनमें जो अलग-अलग आदमी नामजद हैं, उसको पकड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है और इस घटना का कारण आपसी रंजिश बताने का आधार सरकार के पास क्या है ? यह डकैती नहीं थी, हत्याकांड था । तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस के पास रंजिश होने का आधार क्या है और पुलिस को इस बात की जानकारी कब हुई कि आपसी रंजिश है ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, 2-3 वर्षों से आपसी रंजिश चली आ रही थी । घटना इस प्रकार है । वहां पर एक डाक्टर श्रीचन्द हैं । उनकी एक रेणुबाला नाम की कन्या थी । उसकी शादी एक श्री राम चन्द्र यादव के पुत्र श्री कंगन सिंह से हुई थी । जब लड़की अपनी ससुराल गयी तो लड़की के पिता डाक्टर ने श्री दुरबीन सिंह नाम के व्यक्ति को उसकी ससुराल भेज दिया । कहा जाता है कि दुरबीन सिंह के माध्यम से लड़की के पिता ने अपने समधी का वध करवा दिया और वह सम्पत्ति जो ससुराल में थी, उसको उसने हड़प लिया । श्री दुरबीन सिंह उसके बाद उसकी लड़की को लेकर फिरोजाबाद चला गया और वहां पर एक लेबर कालोनी में रहने लगा । दुरबीन सिंह अदतन एक शातिर बदमाश था । उसने दिल्ली में एक हादसा भी किया था ये लाखों रुपये की सम्पत्ति भी लूटी । वह सम्पत्ति उसने जाकर फिरोजाबाद में उस लड़की के पास रख दिया । यह घटना 1979 की है । उसमें दुरबीन सिंह पकड़ा गया । बाद में लड़की के पुत्री हुई जिसका नाम डिम्पिल था । पिता लड़की और उसकी पुत्री को मय सम्पत्ति के अपने घर ले आये और यह कहा जाता है कि पिता ने अपनी लड़की की हत्या हाकिम सिंह की मारफत करा दी । दुरबीन सिंह जब जेल से छूट कर आया तो उसको इसका पता लगा । घटना का मौका आगरा में था जिसमें भूल से नाम छूट गया । दुरबीन सिंह की लड़की के पिता से रंजिश हुई और हाकिम सिंह जो छूट गया था और कहते हैं कि दुरबीन सिंह ने उसके घर पर आक्रमण किया । उसके 2-3 दिन पहले उस गांव में एक शादी थी और थाने की पुलिस वहां पर पोस्टेड थी । शादी खत्म होने पर जब बारात विदा हो गयी तो 21 या 22 की रात में पुलिस तो हट गयी और 23-24 की रात में यह घटना हुई और जिस स्थान पर यह घटना घटी उस स्थान से थाने की दूरी 8 किलोमीटर है ।

श्री मोहन सिंह--

पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि इस तरह की घटना घट सकती है। पुलिस 3 दिन पहले वहां मौजूद थी। एक दिन पहले पुलिस चली आयी। तो इस मामले में पुलिस की तरफ से जो लापरवाही बरती गयी है इसके लिये क्या सरकार कोई उच्चस्तरीय जांच करायेगी ?

श्री लोकपति--

किस चीज की जांच आप चाहते हैं ?

श्री मोहन सिंह--

पुलिस की लापरवाही इसमें हुई है या नहीं इस चीज की जांच। इसके लिये कोई अधिकारी जरूर जिम्मेदार होगा।

श्री लोकपति---

शादी के वक्त पुलिस वहां थी और यह दुरबीन सिंह उस समय वहां नहीं था। जैसे ही पुलिस हटी, उसने आक्रमण बोल दिया। पुलिस वहां इसलिये गयी थी कि शादी के मौके पर कोई लूटपाट न हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो तीन की बात लिखी है वह एक दिन या दो दिन हो सकता है, तथ्यों के विषय में फर्क हो सकता है, पर मेरा प्रश्न यह है कि जब पुलिस वहां पर थी और पुलिस को यह जानकारी थी कि ऐसा हादसा होने वाला है तो पुलिस वहां से क्यों चली आयी ? और दूसरी बात यह कि क्या यह सही है कि मैनपुरी के कांग्रेस (आई) के विधायकों ने भी कोई ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया है जिसमे यह मांग की गयी है कि इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जाये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और वह पत्र क्या है ?

श्री लोकपति--

पुलिस तो शादी के मौके पर थी। उन लोगों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि उनको हिफाजत के लिये पुलिस भेजी जाये। जब शादी खत्म हो गयी तो पुलिस चली आयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उन लोगों ने जो प्रार्थना-पत्र दिया वहां के हल्के के दरोगा को जिसके आधार पर पुलिस गयी, वह पत्र पढ़ दिया जाय और यह भी मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि क्या इस मामले में कुछ राजनैतिक लोगों की भी रुचि थी ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह प्रार्थना-पत्र क्या इस मामले से लिंक है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो मूल सूचना हमने दी है उसे आप देख लें उसमें इस बात का जिक्र है। गम्भीर बात यह है कि घटना से दो दिन पहले पुलिस वहां गयी और पुलिस की जानकारी में यह था कि ऐसी घटना हो सकती है। दो दिन या तीन

दिन की टैक्निकल बात में मैं नहीं जाता, पर पुलिस को लिखित सूचना जब मिली कि उनके यहां शादी है और झगड़ा हो सकता है और उस प्रश्न का उत्तर आप जरुर दे दें कि क्या वहां पर कांग्रेस (आई0) के अध्यक्ष और कुछ विधायकों ने पत्र लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा इनके पत्र में लिखा हुआ है कि चिन्ता तो यह है कि दो दिन पूर्व गांव वालों द्वारा थाने में इस आशय की सूचना मिलने के बाद कि डकैती होने वाली है, कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं की गयी ।

श्री लोकपति—

श्रीमन्, न डकैती की घटना घटी और न डकैती होने वाली थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अगर पत्र पढ़वा दें, तो दो प्रश्न और पूछूंगा । अभी पोल खुल जायेगी । वह पत्र आप पढ़वा दें, बड़ी गम्भीर रहस्यात्मक बात सदन के अन्दर पैदा हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, वह पत्र पढ़ दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अगर पुलिस को स्वतः यह एहसास हो गया कि वहां पर खतरा था, तो मेरे प्रश्न का उत्तर स्वतः आ जाता है । उस पत्र को पढ़वा दें, मान्यवर ।

श्री लोकपति—

18 तारीख को हुंकम सिंह जो नाम है, उसकी लड़की की शादी थी, उन्होंने जबानी जाकर थाने में अनुरोध किया या पत्र लिखा । लेकिन स्वतः मैंने यह ड्राफ्ट किया.....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, थाने में रवानगी लिखी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई पत्र आपके पास है ? यदि है तो पढ़ दें ।

श्री लोकपति—

मान्यवर, इस तरह का कोई पत्र मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पुलिस का जान, वहां पर लिखा होगा रवानगी—वापसी पुलिस की डायरी में लिखी होगी, मान्यवर ।

श्री लोकपति--

शादी के लिए पुलिस वहां पर गयी, मान्यवर....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्यों गयी ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, डाका वगैरह तो वहां पर कोई पड़ा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एफ० आई० आर० दो हैं । एक लिखी गयी और एक बाद में लिखवाई गयी ।

श्री लोकपति--

एफ० आई० आर० नं० 58....

(व्यवधान)

डाक्टर धर्मपाल--

मान्यवर, पुलिस की रवानगी और जी० डी० पढ़वा दें ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, पुलिस जब वहां पर गयी, उसकी रवानगी की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

सत्य को इसमें छिपाया गया है, मान्यवर ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, पुलिस जब गयी है, उसके रोजनामचे की रिपोर्ट नहीं है, मगर जिस दिन जनपद मैनपुरी में जिस स्थान पर शादी थी या किसी भी स्थान पर जहां शादी होती हो, या कोई उत्सव होता हो, वहां पर अमतौर पर पुलिस मांगी जाती है, सुरक्षा के लिए और पुलिस ऐसे स्थानों पर जाती है । मगर जितनी देर वह कार्यक्रम चलता है, बस उतनी देर ही वहां पुलिस ठहरती है, उसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमारा प्रश्न यह नहीं, जिसका मन्त्री जी ने उत्तर दिया । प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सही है कि मैनपुरी जिले में [illegible] शादी थी और उसने अपने प्रार्थना-पत्र में किस वजह से पुलिस मांगी और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिला मैनपुरी के कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष और इसी पार्टी के कुछ सदस्यों ने आपको यह लिख कर दिया है कि जब तक मामले की इन्क्वायरी न हो जाय तब तक सारी कार्यवाही स्थगित रखी जाय ?

श्री लोकपति--

माननीय, इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है मैनपुरी जिला कमेटी के अध्यक्ष से जो सम्बन्धित प्रश्न आपने पूछा है, यह उनसे ही मालूम किया जा सकता है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने अपने स्टेटमेन्ट में कहा कि आपसी पुरानी रंजिश थी, जिसकी बिना पर डाका पड़ने का भय था । तो जब इस बिना पर पुलिस मांगी गयी तो वह लिखित रूप में मांगी गयी होगी । थाने लेबल पर या एस० पी० आफिस से । तो जब आन दि रिक्वेस्ट पुलिस मांगी गयी तो वह दरख्वास्त कहां है और इस आधार पर फिर पुलिस रवानगी भी दिखायी गयी होगी, उसके बारे में बताइय ? अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो माननीय, यह प्रश्न ही स्थगित कर दिया जाय और जब माननीय मन्त्री जी के पास पूरी जानकारी प्राप्त हो तब दुबारा रखा जाए ।

श्री लोकपति--

श्रीमन, उन्होंने पुलिस मांगी, लिखित रूप में मांगी या जबानी इसकी जानकारी....

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् जब आर्म्स मांगे गये होंगे ?

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि या शासन हां या ना पर एक सुनिश्चित उत्तर देगी या सम्भावनाओं पर इन्फरेन्स देगी ? इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात ठीक है कि शासन द्वारा जो भी उत्तर दिया जाय वह सुनिश्चित होना चाहिए लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखा जाय कि जैसी स्थिति वहां पैदा हुई । क्योंकि उन्हें जी० डी० और रवानगी की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है और जो भी इन्फरेन्स के आधार पर उन्हें मालूम था, वह आपके सामने रखा ।

(शोर)

एक सदस्य--

प्रश्न माननीय, स्थगित करवा दिया जाए, क्योंकि मन्त्री जी के पास पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

हमारी समझ से अब कोई सूचना ऐसी तो नहीं है, जो पूछने से बची हो..

श्री लोकपति--

दिनांक 23 फरवरी, 1981 को मैनपुरी जिले के थाना शिरसागंज के ग्राम जायमई में डाकुओं द्वारा 10 व्यक्तियों की निर्मम हत्या एवं कई अन्य लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर दिये जाने से उत्पन्न आतंक एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में । इस पर जो भी बात मैंने कही है सब हां और न में कही है सब स्पष्ट है ।

श्री ऊदल--

एक बात साफ नहीं हो पा रही है उसी को सफाई कर दें एक तो यह कि उस व्यक्ति ने जबानी सूचना दी जिसको माननीय मंत्री जो कहते हैं या लिखित यदि लिखित दिया तो उस रिपोर्ट को पढ़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न है या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री ऊदल--

व्यवस्था और प्रश्न दोनों कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, दोनों नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी एजेन्डे पर सन्दर्भ और संकेत को पढ़ दिया । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो बातें संकेत पर हैं वह मेरे द्वारा नियम 51 में विधिवत् दी गई सूचना के आधार पर ह । तो यह ठीक है या नहीं है उत्तर स्पष्ट है या नहीं यह आप मेरे द्वारा दी गई सूचना को पत्रावली से निश्चित करेंगे या इनके आधार पर ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो व्यवस्था का प्रश्न है नहीं जो आपने सूचना दी है यह तो उस पर है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुझे आशा थी कि अध्यक्ष पीठ से आप उनको टोकेंगे मगर मैंने नहीं सुना तो मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया ।

श्री लोकपति--

मैं आपके पत्र की ही बात कह रहा हूं। उस पत्र में जो बात थी उसके सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा है सब सूचना स्पष्ट है मैंने सब सदन के सम्मुख रख दिया है आप आज्ञा दें तो माननीय सदस्य का पत्र पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

पूरा पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 41 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
9 मार्च, 1981

विधान भवन

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1117 पर ।)

वर्ष 1978–79 व वर्ष 1979–80 में लाभ हानि का दुग्धशालावार विवरण

नाम दुग्धशाला/संस्था	वर्ष 1978–79		वर्ष 1979–80	
	लाभ	हानि	लाभ	हानि
1	2	3	4	5
1—कोटद्वार	..	77,555·86	..	97,652·09
2—पिथौरागढ़	..	58,059·52	..	19,445·63
3—अल्मोड़ा	..	84,471·21	..	1,27,926·84
4—देहरादून	..	4,64,086·53	..	5,22,093·90
5—लालकुंआ	..	3,61,042·35	..	2,43,021·52
6—कानपुर	..	14,44,912·73	..	..
7—गोरखपुर	..	3,68,748·63	..	..
8—मथुरा	98,646·40	..	..	..
9—बरेली	..	3,33,100·55	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
10—लखनऊ	..	31,16,087·92	..	..
11—इलाहाबाद	..	4,92,395·30	..	..
12—राजकीय दुग्धशाला, आगरा	..	91,371·92	..	..
13—प्रतापगढ़	..	1,15,700·63	..	1,70,658·30
14—जौनपुर	..	2,61,762·76	..	..
15—आजमगढ़	..	1,96,209·62	..	..
16—रायबरेली	..	1,50,616·31	..	..
17—सीतापुर	..	2,04,798·28	..	..
18—उन्नाव	..	1,28,307·14	..	..
19—शाहजहांपुर	..	1,39,072·03	..	..
20—ऊरई (जालौन)	..	26,039·23	..	..
21—बिजनौर	..	1,53,323·14	..	..
22—फर्रुखाबाद	..	54,476·73	..	79,832·19
23—आगरा	10,498·32	..	..	..
24—गोण्डा (निष्क्रय)	84·82	..	69·35	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25--बनारस मिल्क यूनियन (निष्क्रिय)	17,471·73	..	34,529·87	..
26--मुजफ्फरनगर	45,855·23	..	..	54,084·83
27--गाजियाबाद	..	8,650·50	..	..
28--बुलन्दशहर	17,626·24	..	9,310·57	..
29--मेरठ	..	49,140·78	32,074·23	..
30--मुरादाबाद संघ	243·50	..	..	..
31--अलीगढ़	..	1,05,247·66	..	58,392·78
32--इटावा	..	35,953·83	..	..
33--फैजाबाद संघ	2,506·34	..	..	..
34--बदायूं	1,521·87	..	..	..
35--बांदा (कर्वी)	..	3,648·95	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1121 पर)

सेवा में,

श्रीमान निदेशक,

पशुपालन विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि आपका ध्यान जिला पशुधन अधिकारी, श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव की ओर व उनके कार्यालय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब से यह आये तब से इनका कार्यालय और वह स्वयं इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि इनका अन्दाजा जांच करने पर लगाया जा सकता है जिले के सभी विभागीय कर्मचारी इनके कार्यालय के कुशासन से इतना ऊब चुके ह कि उनके कार्यालय में न कोई नियम है, न कोई न्याय है, कर्मचारियों के साथ पशु जैसा व्यवहार करते हैं कि मानों मनुष्य है ही नहीं । न तो किसी का समय से इन्क्रीमेण्ट न नगदीकरण अवकाश की स्वीकृति, न समय से वेतन निकालना, टी0 ए0 बिलों की भारी कटौती के बारे में व नगदीकरण की स्वीकृतिकरण के बारे में क्लर्क लोग पैसा मांगते हैं बिना पैसे के कार्य नहीं करते । जिला पक्षुधन अधिकारी स्वयं इतना भ्रष्ट है कि यह समस्त कार्य उनके क्लर्क व उनके लिए साधारण सी बात है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जांच करके शीघ्रातिशीघ्र क्लर्क व जिला पशुधन अधिकारी, लखनऊ का स्थानान्तरण करें, जिससे कार्यालय के शुद्धीकरण व कर्मचारियों को इस भ्रष्ट अधिकारी से छुटकारा दिला सकें ।

अति महान कृपा होगी ।

प्रतिलिपि नं0

(1) विशेष सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(2) जिलाधिकारी, लखनऊ ।

भवदीय,

सूरज प्रकाश गर्ग,

मण्डल हाउस, लखनऊ ।

दिनांक 20-2-80

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1124 पर।)

मांगों की सूची

तृतीय वर्गीय भूमि संरक्षण कर्मचारी संघ, उ0 प्र0, गोरखपुर मंडल की 26 सूत्री मांगें

(परियोजना स्तर की)

1—वर्ष 1979-80 में कराये गये प्रत्येक विकास कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान अविलम्ब किया जाय।

2—जिन क्षेत्रों में चकबन्दी सम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपेण सम्पन्न नहीं हो पाया है उसमें विकास कार्य न कराया जाय।

3—राजस्व अभिलेख, जिनकी प्रक्षेत्र विकास कार्यों के लिए आवश्यकता होती है वे सही स्वच्छ प्रमाणित प्रति दिलाने की उचित व्यवस्था की जाय।

4—वर्ष 1975-76 में जबकि कार्य कार्यादेश द्वारा किया जाता था तब प्रत्येक सं0 भू0 स0 नि0 का वार्षिक लक्ष्य 40 हे0 था परन्तु वर्ष 80-81 के लिए 200 हे0 रखा गया है जबकि कार्य दैनिक श्रमिक चिट्ठा द्वारा करना है अतः लक्ष्य 40 हे0 ही रखा जाय।

5—कार्य क्षेत्र में कुछ स्थानीय ऐसे तत्व हैं, जो अपने निजी स्वार्थ हेतु विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं उन पर शासन की ओर से कड़ी नजर रखी जाय।

6—सीमेन्ट की बोरियां प्रायः 20 से 35 किलो ग्राम मिलती हैं, जिससे कार्य का स्तर स्वाभाविक रूप से गिर जाता है अतः कार्य के स्तर के निर्वाह हेतु 50 किलो की बोरियां उपलब्ध करायी जांय।

7—ईंट की साइज जो मौके पर उपलब्ध है उसी के अनुरूप मापन किया जाय न कि डिजाइन मैनुअल के आधार पर।

8—पक्के कार्य की तराई सप्ताह भर बाद तक चलती रही है उसके लिए अतिरिक्त मजदूरों की व्यवस्था की जाय ताकि कार्य का स्तर बरकरार रहे।

9—मजदूरों की मजदूरी स्थानीयता के आधार पर निर्धारित किया जाय जैसे शहर के करीब मजदूरों की मजदूरी अधिक देने की व्यवस्था करायी जाय।

10—श्रमिकों के चिट्ठों का भुगतान सप्ताह—सप्ताह के तीसरे दिन अनिवार्य रूप से करने की व्यवस्था की जाय।

11—कमचारियों के कार्य में सुविधा के लिए अभिलेखों के रख-रखाव हेतु आलमारी, बक्सा, कुर्सी, मेज, वाटर वाटिल आदि की व्यवस्था करायी जाय।

12--सरकारी कार्यों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक स0 भू0 स0 नि0 स्तर पर एक गोदाम तथा एक सरकारी चौकीदार की व्यवस्था की जाय।

13--मौके पर कार्य के समय उच्च कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा चिट्ठे का सत्यापन निश्चित रूप से मौके पर ही किया जाय अन्यथा स0 भू0 स0 नि0 द्वारा प्रस्तुत चिट्ठे का भुगतान किया जाय।

14--कार्य हो जाने के बाद कार्य को तोड़-फोड़ की जिम्मेदारी सम्बन्धित कर्मचारियों को न ठहराया जाय।

15--ईंट, बालू समय से कार्य-स्थल पर पहुंचाया जाय तथा उसका चिट्ठा निर्धारित रूप के लगवा कर ही स0 भू0 स0 नि0 से प्राप्त कराया जाय।

16--सीमेन्ट वितरण के लिए हफ्ते में दिन निर्धारित कर दिया जाय तथा उस दिन आप के स्तर से आकस्मिक जांच किया जाय ताकि वितरण की व्यवस्था समुचित रूप से निश्चित मात्रा में हो सकें।

17--आपके आदेशों के अनुसार कार्य निर्धारण के बावजूद भी भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा फार्म 17 का कार्य स0 भू0 स0 नि0 से ही जबरदस्ती कराया जा रहा है ऐसा न करने पर अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि, वेतन को रोक देना आदि के साथ-साथ अन्य प्रकार की धमकियां दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे वास्तविक कार्य में अवरोध पैदा हो जाता है। इसका निराकरण अविलम्ब किया जाय।

18--कर्मचारियों की चरित्र पंजिका को समय से लिखने के लिए बाध्य किया जाय, जिससे कर्मचारी अधिकारियों के आतंक से भयभीत न रहें तथा निदेशालय द्वारा मांगी गई चरित्र पंजिका समय से भेजी जायं, जिससे पदोन्नति आदि में असुविधा पैदा न हो।

19--कर्मचारियों के यात्रा भत्ता समय से यात्रा के अनुसार दिया जाय साथ ही साथ सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाय।

20--मजदूरों के भुगतान हेतु स0 भू0 स0 नि0 को उसके मांग पत्र के अनुसार अग्रिम धनराशि की व्यवस्था चेक द्वारा किया जाय।

21--सीमेन्ट, ईंट बालू में क्रम से 5, 10, 15 प्रतिशत क्षति पूर्ति की व्यवस्था की जाय तथा मापन के साथ क्षति पूर्ति का माप पुस्तिका में अंकन कर दिया जाय जिससे वसूली में समय से उसका वसूली फार्म बन जाय।

22--उप निदेशक एवं प्रशासक महोदय के स्तर पर होने वाली अधिकारियों की बैठक में प्रत्येक इकाई से एक-एक स0 भू0 स0 नि0 भाग लिया करें, जो संघ द्वारा मनोनीत हुआ करेगा।

23--निलम्बित कर्मचारियों को अविलम्ब बहाल करके उनके मामलों को शीघ्र निपटाया जाय।

24--कर्मचारियों के जमानती पासबुक को एन0 एस0 सी0 में परिवर्तित किया जाय तथा दूसरे कार्यालय में पड़े उनके एन0 एस0 सी0 पासबुक तथा एकाउन्टस सम्बन्धित कार्यालय से वापस मंगाया जाय।

25—कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 लेखों का पास बुक आपके आदेश के बावजूद अधिकारियों द्वारा नहीं बनाया गया है जिसे शीघ्र बनाया जाय।

26—कर्मचारियों को 25% अन्य विभागों की भांति परियोजना भत्ता दिया जाय तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता भी 20% दिया जाय।

सुरेन्द्र सिंह
(अध्यक्ष)

विश्राम राय,
(मंत्री)।

तृतीय वर्गीय भूमि संरक्षण कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश मंडल, गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0--37 वि0 सभा--2-5-81-835(पी0 डी0)